



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2015-2016

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2016

परिचायक टिप्पणी

विषय अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरे और अंतिम बैच 2015-2016.

वर्ष 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 70 अनुदान मांगे तथा 4 विनियोग हैं। ₹1,12,622.43 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹27,770.33 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹84,850.80 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, ₹130 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2015-2016.

The Third and Final batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-2016 includes 70 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 1,12,622.43 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 27,770.33 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/ Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 84,850.80 crore. Besides, token provision of ₹ 130 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards			
1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (26.25 करोड़ रुपए), राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (16 करोड़ रुपए), परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (5 करोड़ रुपए) सामान्य सेवा संगठन (5.50 करोड़ रुपए) निर्माण, सेवाएं और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (6 करोड़ रुपए) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (2.40 करोड़ रुपए) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (7 करोड़ रुपए) और अनुसंधान और विकास परियोजना (1.71 करोड़ रुपए) 2. निम्नलिखित को अनुदान सहायता वेतन (i) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (18 करोड़ रुपए) (ii) टाटा स्मारक अस्पताल (25 करोड़ रुपए) (iii) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (6 करोड़ रुपए) (iv) गणित और विज्ञान संस्थान (4 करोड़ रुपए) (v) राष्ट्रीय होमी भाभा संस्थान (0.02 करोड़ रुपए) (vi) परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति (0.60 करोड़ रुपए)।	1. O&M expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 26.25 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 16 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 5 crore), General Services Organisation (₹ 5.50 crore), Directorate of Construction, Services & Estate Management (₹ 6 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 2.40 crore), International Atomic Energy Agency (₹ 7 crore) and R&D Projects (₹ 1.71 crore). 2. Grants-in-aid salaries to (i) Tata Institute of Fundamental Research (₹ 18 crore) (ii) Tata Memorial Hospital (₹ 25 crore) (iii) Institute of Plasma Research (₹ 6 crore) (iv) Institute of Mathematics and Science (₹ 4 crore) (v) Homi Bhabha National Institute (₹ 0.02 crore), (vi) Atomic Energy Education Society (₹ 0.60 crore) 3. Grants-in-aid General to (i) Saha Institute of Nuclear Physics (₹ 3 crore) (ii) Institute of Physics (₹ 1 crore) (iii) Harish Chandra Research Institute (₹ 1.14 crore) and (iv) Institute of Plasma Research (₹ 1 crore)	-	55.23	55.23
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14. डाक विभाग	14 Department of Posts			
(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पुरस्कार दिए जाने के कारण भुगतान पूरा करने के लिए।	(a) For meeting payment arising out of award given by Central Administrative Tribunal, Chandigarh.	-	0.05	0.05

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (114.40 करोड़ रुपए) पेंशन (226.26 करोड़ रुपए) मजदूरी (64.95 करोड़ रुपए) ग्रामीण डाक सेवा को पृथक्करण भत्ता (24.11 करोड़ रुपए) पीएलआई निवेश बोर्ड (0.25 करोड़ रुपए) और अन्य कार्यचालन खर्च (218.54 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹ 114.40 crore), Pension (₹ 226.26 crore), Wages (₹ 64.95 crore), Severance Allowance to Gramin Dak Sewak (₹ 24.11 crore), PLI Investment Board (₹ 0.25 crore) and other operational expenses (₹ 218.54 crore).	-	81.86	81.86
15 दूरसंचार विभाग	15 Department of Telecommunications			
(क) चालू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और वेतन/सी-डाटा को प्रकीर्ण पर अनुदान सहायता सामान्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General on ongoing R&D projects and salaries/miscellaneous to C-DoT.	144.93	-	144.93
(ख) पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards payments of pension and retirement benefits	-	866.98	866.98
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति (60 करोड़ रुपए) और (ii) टेलीमेटिकन विकास के लिए केन्द्र को अतिरिक्त अनुदान सहायता (20 करोड़ रुपए)।	(c) For augmentation of provision under NER and Sikkim towards (i) compensation to service providers from Universal Service Obligation fund (₹ 60 crore) and (ii) additional Grants-in-aid to Centre for Development of Telematics (₹ 20 crore).	80.00	-	80.00
(घ) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) बीएसएनएल को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अपफ्रंट प्रभारों की वापसी (3340.50 करोड़ रुपए) और एमटीएनएल (428.95 करोड़ रुपए), (ii) सीडीएमए स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को अभ्यर्पित करने के लिए बीएसएनएल को क्षतिपूर्ति (169.16 करोड़ रुपए) (iii) न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण एमटीएनएल को (492.25 करोड़ रुपए) एमटीएनएल द्वारा जारी बांडों पर ब्याज भुगतान (387 करोड़ रुपए) और पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड को लंबित देनदारी का निपटान (77.55 करोड़ रुपए)।	(d) For meeting expenditure towards (i) refund of upfront charges of BWA spectrum to BSNL (₹ 3340.50 crore) and MTNL (₹ 428.95 crore), (ii) compensation to BSNL for surrender of CDMA spectrum to BSNL (₹ 169.16 crore) (iii) financial support to MTNL on account of levy of Minimum Alternate Tax (MAT) (₹ 492.25 crore), payment of interest on bonds issued by MTNL (₹ 387 crore) and settlement of pending dues to Pakistan Telecom Company Limited (₹ 77.55 crore).	-	4,630.72	4,630.72
(ङ) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति (640 करोड़ रुपए) सार्वभौमिक सेवा दायित्व से (ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण (700 करोड़ रुपए) और वित्तीय सहायता (5.04 करोड़ रुपए) दक्षिण एशिया खेल के कारण बीएसएनएल को वित्तीय सहायता।	(e) For meeting expenditure towards (i) compensation to service providers (₹ 640 crore) from Universal Service Obligation Fund, (ii) transfer to Universal Service Obligation Fund (₹ 700 crore) and Financial support (₹ 5.04 crore) to BSNL on account of South Asian Games.	634.75	-	634.75
16. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	16 Department of Electronics and Information Technology			
(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (98 करोड़ रुपए)	(a) For meeting additional expenditure (₹ 98 crore) of National Informatics Centre towards (i) Professional Services (₹ 84 crore) (ii) Minor Works (₹ 10 crore) and (iii) Rent, Rates and Taxes (₹ 4 crore).	95.50	-	95.50
(i) व्यावसायिक सेवाएं (84 करोड़ रुपए)				
(ii) लघु निर्माण कार्य (10 करोड़ रुपए)				
और (iii) किराया महसूल और कर (4 करोड़ रुपए)।				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के अंतर्गत प्रावधान बढ़ाने के लिए स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता हेतु (25 करोड़ रुपए) (i) इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन (5 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (10 करोड़ रुपए) (iii) उन्नत संगणना विकास केन्द्र (6 करोड़ रुपए) और (iv) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान (4 करोड़ रुपए)।	(b) For augmentation of provision under NER and Sikkim (₹ 25 crore) towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Electronic Governance (₹ 5 crore) (ii) National Knowledge Network (₹ 10 crore) (iii) Centre for Development of Advanced Computing (₹ 6 crore) and (v) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (₹ 4 crore).	13.00	-	13.00
(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (163.71 करोड़ रुपए) निम्नलिखित के लिए 1. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (2 करोड़ रुपए) 2. स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता (i) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना हेतु जनसमूह के लिए आईटी में कौशल विकास और आईटी के लिए डिजिटल इंडिया और जनशक्ति विकास (1 करोड़ रुपए) (ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन (अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक आयोजना के लिए (1 करोड़, 5 करोड़ जनजाति क्षेत्र उप-योजना और अन्य के लिए 41 करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (1 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना जनजातीय उप-योजना के लिए 8 करोड़ और अन्य के लिए 45 करोड़ रुपए); (iv) अभिसरण, संचार और कार्यनीतिक इलेक्ट्रॉनिक (5 करोड़ रुपए) (v) माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और नैनो प्रौद्योगिकी विकास (3.71 करोड़ रुपए) (vi) उन्नत संगणना विकास केन्द्र (5 करोड़ रुपए) (vii) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान (8 करोड़ रुपए) (viii) मीडिया लैब एशिया (6 करोड़ रुपए) 3. पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (6 करोड़ रुपए) और अनुदान सहायता वेतन (8 करोड़ रुपए) उन्नत संगणना विकास केन्द्र के लिए और 4. पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (5 करोड़ रुपए) और अनुदान सहायता वेतन (13 करोड़ रुपए) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान के लिए।	(c) For meeting additional expenditure (₹ 163.71 crore) towards 1. Professional Services under Tribal Area Sub Plan under the Scheme National Informatics Centre (₹ 2 crore); 2. Grants-in-aid General under the scheme (i) Digital India and Manpower Development for Skill Development in IT and IT for Masses for Special component plan for Scheduled castes (₹ 1 crore) (ii) Electronic Governance (₹ 1 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes, ₹ 5 crore for Tribal Area Sub Plan and ₹ 41 crore for Others) (iii) National Knowledge Network (₹ 1 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes, ₹ 8 crore for Tribal Area Sub Plan and ₹ 45 crore for Others) (iv) Convergence, Communications and Strategic Electronics (₹ 5 crore) (v) Micro-Electronics and Nano-Technology Development (₹ 3.71 crore) (vi) Centre for Development of Advance Computing (₹ 5 crore) (vii) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (₹ 8 crore) (viii) Media Lab Asia (₹ 6 crore); 3. Grants for creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 8 crore) for Centre for Development of Advance Computing and 4. Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 13 crore) for Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research	20.49	-	20.49

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

18 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
18 Department of Food and Public
Distribution

(क) निम्नलिखित हेतु (i) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के लेन-देन संबंधी एफसीआई और

(a) For (i) subsidy payable to FCI and others on foodgrains transaction under

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अन्य को भुगतान योग्य सब्सिडी (15,000 करोड़ रुपए.) (ii) कच्चे चीनी उत्पादन की विपणन और संवर्धन सेवाओं पर प्रोत्साहन का भुगतान (100 करोड़ रुपए) और (iii) चीनी मिलों को कम ब्याज पर लोन देने की स्कीम 2015 पर ब्याज माफी (51.29 करोड़ रुपए)।	NFSA (₹ 15,000 crore) (ii) payment of incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production (₹ 100 crore) and (iii) interest subvention on scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 51.29 crore).	-	14,952.98	14,952.98
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सीवीसी के कार्यालय के संबंध में जल प्रभारों और किराए के संबंध में बकाया के भुगतान के लिए।	(b) For payment of arrears of water charges and rent in respect of Office of CVC on Public Distribution System	-	0.01	0.01
41 पेंशन पेंशन में संशोधन के कारण कतिपय श्रेणी के पेंशन भोगियों को बकाया के भुगतान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	41 Pensions For meeting expenditure towards payment of arrears to certain category of pensioners due to revision of pension.	-	500.00	500.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
43 राजस्व विभाग सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करने राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के लिए (1287.25 करोड़ रुपए)।	43 Department of Revenue For Grants-in-aid to State Governments for providing CST Compensation to States for Revenue loss due to phasing out of CST (₹ 1287.25 crore).	-	894.55	894.55
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (क) सीजीएचएस पेंशनरों के अस्पताल के बिलों का निपटान करने के लिए। (ख) अनुदान सहायता वेतन का प्रावधान करने के लिए (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (95 करोड़ रुपए) (ii) जेआईपीएमआर, क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, पुदुचेरी (11 करोड़ रुपए) (iii) स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (95 करोड़ रुपए)।	48 Department of Health and Family Welfare (a) For settlement of hospital bills in respect of CGHS Pensioners. (b) For providing Grants-in-aid Salaries to (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 95 crore) (ii) Regional Post Graduate Centre JIPMER, Puducherry (₹ 11 crore) (iii) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 95 crore).	-	201.00	201.00
55 पुलिस (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) वेतन (137.99 करोड़ रुपए) (ii) गुप्त सेवा व्यय (142.20 करोड़ रुपए) (iii) अनुसंधान (24.37 करोड़ रुपए) (iv) कपड़े और पट्टियों की अधिप्राप्ति (52.80 करोड़ रुपए) और गोला बारूद (117.99 करोड़ रुपए) (v) लघु निर्माण कार्य (18 करोड़ रुपए) (vi) सीआईएसएफ के लिए वेतन (9 करोड़ रुपए) (vii) व्यावसायिक सेवाएं (27 करोड़ रुपए) और (viii) दिल्ली पुलिस के लिए डीटीई (10 करोड़ रुपए)। (ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसंधान (652 करोड़ रुपए) (ii) असम राइफल्स के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद (5 करोड़ रुपए) और आश्रु गैस यूनिट (0.40 करोड़ रुपए)।	55 Police (a) For meeting expenditure towards (i) Salaries (₹ 137.99 crore) (ii) Secret Service Expenditure (₹ 142.20 crore) (iii) Research (₹ 24.37 crore) (iv) Procurement of Clothing & Tentage (₹ 52.80 crore) and of Arms & Ammunition (₹ 117.99 crore) (v) Minor Works (₹ 18 crore) (vi) Salary for CISF (₹ 9 crore) (vii) Professional Services (₹ 27 crore) and (viii) DTE for Delhi Police (₹ 10 Crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Research (₹ 652 crore) (ii) procurement for Machineries and Equipments for Assam Rifles (₹ 5 crore) and Tear Smoke Unit (₹ 0.40 crore).	-	273.98	273.98
		-	144.25	144.25

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
57 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	57 Transfers to Union Territory Governments			
(क) दिल्ली उच्च न्यायलय के अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु केंद्रीय सरकार के हिस्से के लिए भुगतान	(a) For payments towards Central Government's share for construction of additional block of Delhi High Court.	49.90	-	49.90
(ख) 1984 के दंगा पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान के लिए	(b) For payment towards for enhanced compensation to victims of 1984 riots.	-	9.00	9.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
निम्न के लिए सामान्य अनुदान सहायता (i) बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम (62 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय साधन सह योजना छात्रवृत्ति (61.50 करोड़ रुपए) (iii) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/एसआरसी संस्थाओं को सहायता (24.27 करोड़ रुपए) (iv) विद्यालयों में मध्यम भोजन कार्यक्रम (5.64 करोड़ रुपए) (v) नवोदय विद्यालय समिति के लिए सामान्य अनुदान सहायता (59.14 करोड़ रुपए) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (40.00 करोड़ रुपए) और अनुदान सहायता वेतन (108.00 करोड़ रुपए)।	For providing 1. Grants-in-Aid General under (i) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (₹ 62 crore) (ii) National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹ 61.50 crore) (iii) Support to NGOs/SRC's/Institutions for Adult Education & Skill Development (₹ 24.27 crore) (iv) National Programme of Mid Day Meals in Schools (₹ 5.64 crore) and (v) for Navodaya Vidyalaya Samiti under Grants in aid General (₹ 59.14 crore) and 2. Grants for Creation of capital Assets (₹ 40 crore) and Grants in aid salaries (₹ 108 crore).	67.00	-	67.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के भुगतान के लिए अनुदान सहायता हेतु (1000 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure of ₹ 1,000 crore towards Grants-in-aid General for payment of Employees Pension Scheme, 1995.	-	123.70	123.70
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 निर्वाचन आयोग	63 Election Commission			
इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on construction of India International Institute of Democracy and Election Management campus.	-	4.00	4.00
65 विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायलय	65 Appropriation - Supreme Court of India			
माननीय न्यायधीशों और स्टाफ के वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने (0.50 करोड़ रुपए) और रजिस्ट्री के कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों को संशोधित वेतन और भत्ते (2 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure towards pay & allowances to Hon'ble Judges & Staff (₹ 0.50 crore) and revised pay and arrears of pay & Allowances to certain categories of employees of the Registry (₹ 2 crore).	-	2.50	2.50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	(a) For meeting additional expenditure (i) Prime Ministers Employment			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(पीएमईजीपी) (205.59 करोड़ रुपए) (अनुदान सहायता) (35.89 करोड़ रुपए) एससीएसपी के लिए और (25.82 करोड़ रुपए) मार्जिन मनी सब्सिडी की देनदारी के निपटान हेतु टीएसपी के लिए (ii) खादी हस्तशिल्पियों के लिए वर्कशेड स्कीम (1.90 करोड़ रुपए) (अनुदान सहायता) (0.38 करोड़ रुपए) एससीएसपी के लिए और (0.28 करोड़ रुपए) वचनबद्ध देनदारी हेतु टीएसपी के लिए (iii) स्फूर्ति (0.48 करोड़ रुपए) (कार्यालय खर्च-आईटी) विषयगत उपाय के क्रियाकलाप के तहत आवश्यकता हेतु (iv) स्फूर्ति (0.50 करोड़ रुपए) (कार्यालय प्रशासन खर्च) प्रशासनिक लागत, मानीटरिंग और मूल्यांकन लागत के लिए (v) स्फूर्ति (0.02 करोड़ रुपए) (व्यावसायिक सेवाएं) (vi) नवोन्मेष, ग्राम उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (अन्य प्रशासनिक खर्च) (1 करोड़ रुपए) (vii) कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम (9 करोड़ रुपए) (अनुदान सहायता) वचनबद्ध देनदारी के निपटान हेतु (viii) विपणन सहायता स्कीम (2.52 करोड़ रुपए) (सब्सिडी)।	Generation Programme (PMEGP) (₹ 205.59 crore) (GIA) including (₹ 35.89 crore) for SCSP and (₹ 25.82 crore) for TSP for discharge of liability of Margin Money Subsidy (ii) Workshed Scheme for Khadi Artisans (₹ 1.90 crore) (GIA) including (₹ 0.38 crore) for SCSP and (₹ 0.28 crore) for TSP for the committed liability (iii) SFURTI (₹ 0.48 crore) (Office Expenses-IT) for the requirement under Thematic Interventions activity (iv) SFURTI (₹ 0.50 crore) (Office Administration Expenses) for the administrative cost, monitoring & evaluation cost (v) SFURTI (₹ 0.02 crore) (Professional Services) (vi) Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) (Other Administrative Expenses) (₹ 1 crore) (vii) Performance & Credit Rating Scheme (₹ 9 crore) (GIA) for discharge of committed liability (viii) Marketing Assistance Scheme (₹ 2.52 crore) (Subsidies).	7.46	-	7.46
(ख) पेंशन के भुगतान के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान देने हेतु (14 करोड़ रुपए) और वेतन (13 करोड़ रुपए)।	(b) For providing Grants to Khadi & Village Industries Commission towards payment of pension (₹ 14 crore) and Salaries (₹ 13 crore).	-	5.96	5.96
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
72 संसदीय कार्य मंत्रालय मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के भुगतान और वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	72 Ministry of Parliamentary Affairs For meeting the additional expenditure towards payment of additional instalments of DA and payment of Salaries.	-	0.18	0.18
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभेदक रायल्टी के भुगतान के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता सामान्य प्रदान करने हेतु (53.80 करोड़ रुपए)।	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing Grants-in-aid General to States Governments for payment of differential royalty (₹ 53.80 crore).	-	23.80	23.80
80 राज्य सभा निम्नलिखित निधि की अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) संसद भवन परिसर में उत्तर रेलवे के खान-पान यूनिट के सब्सिडी दावे का निपटान (0.28 करोड़ रुपए), (ii) उत्तर रेलवे को उनके द्वारा संसद भवन परिसर में खान-पान सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान और नवगठित न्यायधीशों की जांच समिति संबंधी बिलों का भुगतान (1 करोड़ रुपए), (iii) सचिवालय के स्टाफ के सरकारी घरेलू दौरों के संबंध में एअर इंडिया इनवोइस/	80 Rajya Sabha For meeting the additional expenditure towards (i) settlement of subsidy claim of Northern Railway catering units in Parliament House Complex (₹ 0.28 crore), (ii) Payment of Northern Railway towards Establishment charges incurred by them for providing catering services in Parliament House Complex and payment of bills relating newly constituted judges Inquiry			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
समिति दौरा का निपटान (0.28 करोड़ रुपए) और (iv) पीटीआई भवन नई दिल्ली में कार्यालय घरेलू स्थान हेतु मासिक किराया प्रभारों का भुगतान (0.10 करोड़ रुपए)।	Committee (₹ 1 crore), (iii) Settlement of AI Invoices/Committee tour Bills in respect of official domestic visits of the staff of the Secretariat (₹ 0.28 crore) and (iv) Payment of monthly hiring charges for office domestic space at PTI Building, New Delhi (₹ 0.10 crore).	-	1.66	1.66
81 संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक खर्च, परीक्षा भर्ती परीक्षा और चयन पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (13 करोड़ रुपए), भारतीय आकस्मिकता निधि की पुनःप्राप्ति सहित 5 करोड़ रुपए।	81 Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on Administrative expenses, examination, Recruitment Tests & Selections (₹ 13 crore), including recoupment to Contingency Fund of India (₹ 5 crore).	-	13.00	13.00
82 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय खराब वाहन के स्थान पर से दान उच्च सुरक्षा वाली बुलेट प्रुफ कार खरीदने के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	82 Secretariat of the Vice-President For meeting expenditure towards purchase of Sedan High Security Bullet proof car against condemned vehicle.	-	2.90	2.90
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (i) केन्द्रीय सड़क कोष (6889.91 करोड़ रुपए) को अन्तरण। (ii) आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण और अन्तर्राज्य सड़क (61.35 करोड़ रुपए) स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान (iii) अनुसंधान और विकास के तहत सामान्य अनुदान सहायता एवं अन्य प्रशासनिक व्यय (10.00 करोड़ रुपए)।	83 Ministry of Road Transport and Highways For providing (i) transfer to Central Road fund (₹ 6889.91 crore) (ii) additional Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Economically Important and Inter-State Road (₹ 61.35 crore) (iii) Grants-in-aid General and other administrative expenses under Research and Development Scheme (₹ 10 crore).	1,275.35	-	1,275.35
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) संपोषणीय आजीविका और जलवायु परिवर्तन परियोजना का अनुकूलन (13 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता (2008 करोड़ रुपए) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)।	84 Department of Rural Development For meeting additional expenditure for (i) Sustainable Livelihood and Adaption to Climate Change Project (SLACC) (₹ 13 crore) under National Rural Livelihood Mission and (ii) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets (₹ 2,008 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA).	2,008.00	-	2008.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
87 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) प्रशासन के तहत सीएसआईआर हेतु अनुदान सहायता सामान्य (51.30 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के तहत सीएसआईआर हेतु अनुदान सहायता वेतन (94.70 करोड़ रुपए)।	87 Department of Scientific and Industrial Research For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under "Administration" (₹ 51.30 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under National Laboratories (₹ 94.70 crore).	-	5.70	5.70

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
99 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए।	99 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional requirement under various Major Heads	210.53	78.85	289.38
101 दादरा और नागर हवेली विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए।	101 Dadra and Nagar Haveli For meeting additional requirement under various Major Heads	140.62	-	140.62
103 लक्षद्वीप (क) मुख्य शीर्ष के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों को वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के संबंध में संविदात्मक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (83.94 करोड़ रुपए)।	103 Lakshadweep (a) For meeting additional expenditure towards salaries to the employees of UT Administration under various Major Heads (b) For meeting the additional expenditure towards Contractual services in respect of Lakshadweep Development Corporation Limited (₹ 83.94 crore).	-	5.00	5.00
		-	44.94	44.94
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	4,747.53	23,022.80	27,770.33
3. पूरक मांग अनुदानों के इस बैच में 84,850.80 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालय/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या बचतों के समतुल्य है। ये मदें निम्नानुसार हैं:- तकनीकी पूरक अनुदानों की मांग	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 84,850.80 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows: Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा (ग) भाभ परमाणु अनुसंधान केंद्र (3.58 करोड़ रुपए) और गुरु जल बोर्ड (9.61 करोड़ रुपए) की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	4 Atomic Energy (c) For meeting additional expenditure for projects of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 3.58 crore), Heavy Water Board (₹ 9.61 crore).	-	13.19	13.19
5. नाभिकीय विद्युत स्कीम (क) निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) ईंधन सूची (209.24 करोड़ रुपए) और (ii) एचडब्ल्यूपी (80 करोड़ रुपए) ब्याज दरों में संशोधन के कारण। (ख) कोवाडा गांव, आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर (इक्विटी सहायता) हेतु (211 करोड़ रुपए) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ग) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के लिए ऋण हेतु अतिरिक्त व्यय (300 करोड़ रुपए) पूरा करने के लिए।	5 Nuclear Power Schemes (a) For meeting additional expenditure towards (i) Fuel Inventory (₹ 209.24 crore) and (ii) HWP (₹ 80 crore) due to revision of interest rates. (b) For meeting additional expenditure (₹ 211 crore) towards land acquisition and R&R for the proposed Nuclear Power Project at Kovvada village, Andhra Pradesh (equity support). (c) For meeting additional expenditure (₹ 300 crore) towards Loans for Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI).	-	289.23	289.23
		121.25	-	121.25
		278.00	-	278.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10 नागर विमानन मंत्रालय निम्न के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (i) नागर विमानन प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली के नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख	10 Ministry of Civil Aviation For providing additional funds under (i) Major Works of Directorate General of Civil Aviation for construction work of Aviation			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
निर्माण कार्य (4.35 करोड़ रुपए) और (ii) मशीनरी और उपकरणों के लिए नागर विमानन ब्यूरो (बीसीएएस) को (9.79 करोड़ रुपए)।	Training Academy, New Delhi (₹ 4.35 crore) and (ii) Bureau of Civil Aviation for Machinery & Equipment (₹ 9.79 Crore).	4.00	-	4.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 वाणिज्य विभाग	12 Department of Commerce			
निम्न के लिए (i) न्यायालय के आदेश से मैसर्स पिपल इंजीनियरिंग एण्ड मोटर वर्क्स लि. को भुगतान के लिए डीजीएस एण्ड डी को स्वीकृत आकस्मिक अग्रिम (0.41 करोड़ रुपए) की पुनः प्राप्त करना (ii) न्यायालयों के आदेश से मैसर्स यूनिपैक इण्डस्ट्रीज, यमुना नगर को भुगतान के लिए डीजीएस एण्ड डी (0.05 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	For (i) recoupment of Contingency Advance (₹ 0.41 crore) sanctioned to DGS&D for payment arising out of Court Orders for payment to M/s Peoples Engineering and Motor Works Ltd., Kolkatta and (ii) meeting additional requirement of DGS&D (₹ 0.05 crore) for payment to M/s Unipac Industries, Yamuna Nagar arising out of Court Orders.	-	0.46	0.46
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 डाक विभाग	14 Department of Posts			
(ख) वेतन के कारण व्यय संबंधी स्थापना के तहत अतिरिक्त मांग को पूरा करना। (114.40 करोड़ रुपए) पेंशन (226.26 करोड़ रुपए) मजदूरी (64.95 करोड़ रुपए), ग्रामीण डाक सेवा को सेवरेंस भत्ता (24.11 करोड़ रुपए) पीआईएल निवेश बोर्ड (0.25 करोड़ रुपए) और संचालन संबंधी अन्य व्यय (रुपए 218.54 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards establishment related expenditure on account of Salaries (₹ 114.40 crore), Pension (₹ 226.26 crore), Wages (₹ 64.95 crore), Severance Allowance to Gramin Dak Sewak (₹ 24.11 crore), PLI Investment Board (₹ 0.25 crore) and other operational expenses (₹ 218.54 crore).	-	566.64	566.64
15 दूरसंचार विभाग	15 Department of Telecommunications			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) बीएसएनएल (3340.50 करोड़ रुपए) और एमटीएनएल (428.95 करोड़ रुपए), को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अपफ्रंट प्रभारों का रिफंड (ii) बीएसएनएल को सीडीएमए स्पेक्ट्रम अभ्यर्पित करने हेतु बीएसएनएल को प्रतिपूर्ति (169.16 करोड़ रुपए) (iii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रभारित करने के कारण एमटीएनएल को वित्तीय सहायता (492.25 करोड़ रुपए), एमटीएनएल द्वारा जारी बंधपत्रों पर ब्याज का भुगतान (387 करोड़ रुपए) और पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमि. को लंबित देयों का व्यवस्थापन (77.55 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure towards (i) refund of upfront charges of BWA spectrum to BSNL (₹ 3340.50 crore) and MTNL (₹ 428.95 crore), (ii) compensation to BSNL for surrender of CDMA spectrum to BSNL (₹ 169.16 crore) (iii) financial support to MTNL on account of levy of Minimum Alternate Tax (MAT) (₹ 492.25 crore), payment of interest on bonds issued by MTNL (₹ 387 crore) and settlement of pending dues to Pakistan Telecom Company Limited (₹ 77.55 crore).	-	264.69	264.69
(ख) सार्वभौमिक सेवा निधि में अंतरण हेतु।	(b) For transfer to Universal Service Obligation Fund.	700.00	-	700.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
(क) (i) एफसीआई और एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के लेन-देन पर अन्वों को देय सब्सिडी (15000 करोड़ रुपए) (ii) मार्केटिंग एण्ड	(a) For (i) subsidy payable to FCI and others on food grains transaction under NFSA (₹ 15000 crore) (ii) payment of			

(x) अनुदानों की पूरक मांगें, 2015-2016 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रमोशन सर्विसेज आफ रॉ शुगर प्रोडक्शन पर प्रोत्साहन का भुगतान (100 करोड़ रुपए) और (iii) चीनी मिलों का आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की योजना, 2015 पर ब्याज माफी (51.29 करोड़ रुपए)।	incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production (₹ 100 crore) and (iii) interest subvention on scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 51.29 crore).	-	166.91	166.91
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
19 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	19 Ministry of Corporate Affairs			
वेयर हाऊस डाटा की अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर लाइसेंसेसों और अन्य आईटी घटकों संबंधी एनालिटिक्स के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure for procuring data warehouse and analytics related software licenses and other IT components.	2.15	-	2.15
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा मंत्रालय	21 Ministry of Defence			
(क) न्यायालय के आदेशों के कारण रक्षा लेखा संगठन के निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए, वेतन (0.80 करोड़ रुपए) और मेडिकल उपचार (0.05 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure towards Salaries (₹ 0.80 crore) and Medical Treatment (₹ 0.05 crore) of Defence Accounts Organisation arising out of court orders .	-	0.85	0.85
(ख) न्यायालय के आदेशों के कारण कैंटी भंडार विभाग के वेतन का व्यय पूरा करने के लिए ।	(b) For meeting expenditure towards Salaries of Canteen Stores Department arising out of court orders.	-	10.25	10.25
25 रक्षा सेवाएं- वायु सेना	25 Defence Services - Air Force			
वेतन और भत्तों (2 करोड़ रुपए) और निर्माण कार्यों (0.10 करोड़ रुपए) का व्यय पूरा करने के लिए ।	For meeting expenditure towards pay and allowances (₹ 2 crore) and Works (₹ 0.10 crore).	-	1.60	1.60
26 रक्षा आयुध निर्माणी	26 Defence Ordnance Factories			
(क) विनिर्माण शीर्ष के तहत वेतन और भत्तों का खर्च पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on pay and allowances under the Head Manufacture.	-	10.00	10.00
(ख) भंडार (687.22 करोड़ रुपए), शोध और विकास परियोजनाएं (10 करोड़ रुपए) और दिशा और प्रशासन (4.06 करोड़ रुपए). का व्यय पूरा करने के लिए	(b) For meeting expenditure towards Stores (₹ 687.22 crore), research & Development Projects (₹ 10 crore) and Direction and Administration (₹ 4.06 crore).	-	660.95	660.95
27 रक्षा सेवाएं-शोध और विकास	27 Defence Services - Research and Development			
न्यायालय के आदेश के कारण अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए	For meeting additional expenditure towards arising out of court orders.	-	0.30	0.30
पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
32 पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और मंत्रालय	32 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थानों (भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.25 करोड़ रुपए) और टाईगर परियोजना (0.25 करोड़ रुपए) के लिए अनुदान सहायता। (ii) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थानों भारतीय प्लाईवुड उद्योग (अनुसंधान संस्थान (0.75 करोड़ रुपए) को पूंजी आस्तियों के	(a) For providing (i) Grants-in-aid General to Forestry and wild life institutions (Indian Plywood Industries Research Institute) (₹ 0.25 crore) and Project Tiger (₹ 0.25 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Forestry and Wild Life Institutions (Indian			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सृजन हेतु अनुदान। (iii) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत अभियान) के तहत वेतन और स्थापना संबंधी खर्च (1.75 करोड़ रुपए)।	Plywood Industries Research Institute) (₹ 0.75 crore) (iii) Salaries & Establishment related expenses (₹ 1.75 crore) under National Afforestation Programme (Green India Mission).	1.75	-	1.75
(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए (1 करोड़ रुपए)	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to National River Conservation Plan (₹ 1 crore)	1.00	-	1.00
(ग) (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (34.09 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत मिशन) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (80.25 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए	(c) For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets to National River Conservation Plan (₹ 34.09 crore) (ii) Grants-in-aid General under National Afforestation Programme (Green India Mission)(₹ 80.25 crore)	62.34	-	62.34
वित्त मंत्रालय				
34 आर्थिक कार्य विभाग				
(क) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) (i) अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) (3 करोड़ रुपए) (ii) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (2237 करोड़ रुपए) (एआईआईबी) को अंशदान का भुगतान (2) विभेदक एसडीआर आरक्षित निधि पूरी करने के लिए खरीद (378.94 करोड़ रुपए) (3) कोटा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान के लिए 69575.47 करोड़ रुपए का निवेश।	(a) For meeting additional amount on account of (i) Payment of subscription to International Development Association (IDA) (₹ 3 crore) (ii) Payment of ₹ 2,237 crore is required towards subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (iii) Purchase of SDR to meet the differential SDR Reserve (₹ 378.94 crore). (iv) Investment of ₹ 69,575.47 crore towards subscription to International Monetary Fund for Quota increase.	-	72,194.41	72,194.41
(ख) हैदराबाद मेट्रो रेल लिमि. को अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Hyderabad Metro Rail Ltd.	131.00	-	131.00
(ग) एग्जिम बैंक का ब्याज समकरण सहायता के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards Interest Equalisation Support to Exim Bank	-	153.62	153.62
37 राज्य और संघ राज्य सरकारों को अंतरण				
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए ।	37 Transfers to State and Union Territory Governments For providing additional funds towards assistance to States affected by Natural Calamities.	-	1,484.78	1,484.78
43 राजस्व विभाग				
कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (1,287.25 करोड़ रुपए)।	43 Department of Revenue For Grants-in-aid to State Governments for providing CST Compensation to States for Revenue loss due to phasing out of CST (₹ 1287.25 crore).	-	96.00	96.00
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय				
51 भारी उद्योग विभाग				
हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड को अनुदान में गैर-आयोजना ऋण का अंतरण (3 करोड़ रुपए) और इस पर प्रोद्भूत ब्याज (5.97 करोड़ रुपए)।	51 Department of Heavy Industry Conversion of Non-Plan loan (₹ 3 crore) and interest accrued thereon (₹ 5.97 crore) into Grants to Hindustan Salts Limited.	-	8.97	8.97

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
55 पुलिस	55 Police			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) वेतन (137.99 करोड़ रुपए) (ii) गुप्त सेवा व्यय व्यय (142.20 करोड़ रुपए) (iii) अनुसंधान (24.37 करोड़ रुपए) (iv) वस्त्र एवं टेंटेंज की खरीद (52.80 करोड़ रुपए) और शस्त्र एवं गोला बारूद (117.99 करोड़ रुपए) (v) गौण निर्माण कार्य (18 करोड़ रुपए) (vi) सीआईएसएफ के लिए वेतन (9 करोड़ रुपए) (vii) व्यावसायिक सेवाएं (27 करोड़ रुपए) (viii) दिल्ली पुलिस के लिए डीटीई (10 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Salaries (₹ 137.99 crore) (ii) Secret Service Expenditure (₹ 142.20 crore) (iii) Research (₹ 24.37 crore) (iv) Procurement of Clothing & Tentage (₹ 52.80 crore) and of Arms & Ammunition (₹ 117.99 crore) (v) Minor Works (₹ 18 crore) (vi) Salary for CISF (₹ 9 crore) (vii) Professional Services (₹ 27 crore) (viii) DTE for Delhi Police (₹ 10 crore).	-	11.09	11.09
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 चुनाव आयोग	63 Election Commission			
भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईडीईएम) परिसर के निर्माण के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure relating to construction of India International Institute of Democracy and Election Management campus.	-	4.00	4.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कर्मचारी चयन आयोग की पेशेवर सेवाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure for Professional Services of Staff Selection Commission.	-	4.32	4.32
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
80 राज्यसभा	80 Rajya Sabha			
डीएवीपी को विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के लिए भुगतान हेतु।	For payment to DAVP towards Advertisement and Publicity.	-	0.30	0.30
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) केन्द्रीय सड़क कोष (6889.91 करोड़ रुपए) को अन्तरण। (ii) आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण और अन्तर्राज्य सड़क (61.35 करोड़ रुपए) स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान (iii) अनुसंधान और विकास के तहत सामान्य अनुदान सहायता एवं अन्य प्रशासनिक व्यय (10.00 करोड़ रुपए)।	(a) For providing (i) transfer to Central Road fund (₹ 6889.91 crore) (ii) additional Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Economically Important and Inter-State Road (₹ 61.35 crore) (iii) Grants-in-aid General and other administrative expenses under Research and Development Scheme (₹ 10 crore).	5,528.56	-	5,528.56
(ख) (i) 'विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम उत्तर-पूर्व में (900.00 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त मांग पूरी करना (ii) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम के तहत-विश्व बैंक (70.00	(b) For providing (i) additional requirement under the scheme Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़ रुपए) की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करना। (iii) सड़क स्कंद (130.00 करोड़ रुपए) की बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम के लिए प्रतिपक्ष निधियन प्रदान करना। (iv) चालू राष्ट्रीय राजमार्ग (अन्य) कार्य- मुख्य निर्माण कार्य (2279.00 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त मांग को पूरा करना।	(₹ 900 crore) (ii) committed liabilities under Externally Aided Schemes - World Bank (₹ 70 crore) (iii) counterpart funding for Externally Aided Schemes of Road Wing (₹ 130 crore) (iv) additional requirement towards on-going National Highway (Other) Major Works (₹ 2279 crore)	1,290.00	-	1,290.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
87 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	87 Department of Scientific and Industrial Research			
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर को (i) "प्रशासन" के तहत अनुदान सहायता सीएसआईआर के लिए जनरल (51.30 करोड़ रुपए) और (ii) अनुदान सहायता वेतन (94.70 करोड़ रुपए) का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General for CSIR under "Administration" (₹ 51.30 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under National Laboratories (₹ 94.70 crore).	-	1.30	1.30
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
मैसर्स हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के संबंध में आयकर देनदारियों के भुगतान के लिए (51.58 करोड़ रुपए)।	For payment of Income Tax liabilities in respect of M/s. Hooghly Dock & Port Engineers Ltd (₹ 51.58 crore)	-	6.16	6.16
96 वस्त्र मंत्रालय	96 Ministry of Textiles			
(i) राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम को सामान्य सहायता अनुदान (6.50 करोड़ रुपए) (ii) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (32.62 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए और (iii) हस्तकरघा के स्वस्थानिक उन्नयन हेतु पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (25 करोड़ रुपए)।	For providing (i) Grants-in-aid General to National Handloom Development Programme (₹ 6.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Infrastructure & Technology Development Project Scheme (₹ 32.62 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets for in-situ upgradation of powerloom (₹ 25 crore)	6.50	-	6.50
केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
101 दादरा और नगर हवेली	101 Dadra and Nagar Haveli			
(1) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कनेक्शन के बिजली के बिलों के भुगतान सहित जल आपूर्ति योजना के संचालन के लिए (1.00 करोड़ रुपए) और स्वच्छता सामग्री की खरीद के लिए और साफ-सफाई के लिए सिलवासा नगर परिषद को (2.00 करोड़ रुपए) सामान्य सहायता अनुदान के लिए। (2) (i) नारोली, दादरा और समरवानी के लिए एकीकृत जल प्रबंधन योजना के लिए (20.00 करोड़ रुपए)। (ii) दुधानी और मंडोनी के लिए नेट कार्य प्रणाली सहित जलापूर्ति योजना। (iii) जारी गौण जलापूर्ति योजनाएं, कुएं और बोरवेल। (iv) बिलहारी, गनसा, कोंचा और जमालपाड़ा के लिए एकीकृत जल आपूर्ति योजना, के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	For providing (1) Grant-in-Aid General to (i) Panchayat for operation of water supply scheme including the payment of electricity bills of water supply connections in rural areas (₹ 1.00 crore) and silvassa Municipal Council for procurement of sanitation material and for sanitation work (₹ 2.00 crore). (ii) (2) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20.00 crore) to Panchayat for (i) Integrated Water Management plan for Naroli, Dadra and Samarvani. (ii) Water Supply Scheme for Dudhani and Mandoni including net work system. (iii) on going minor water supply schemes wells and bore wells. (iv) Integrated water supply scheme for Bildhari, Gunsa, Kauncha and Jamalpada.	0.03	-	0.03

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
103 लक्षद्वीप लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के संबंध में अनुबंध सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 83.94 करोड़ रुपए)।	103 Lakshadweep For meeting the additional expenditure towards Contractual services in respect of Lakshadweep Development Corporation Limited (₹ 83.94 crore).	-	39.00	39.00
शहरी विकास मंत्रालय 104 शहरी विकास मंत्रालय (क) अन्य प्रशासनिक खर्च (0.05 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्य (1.29 करोड़ रुपए) और किराया दर और कर (4.14 करोड़ रुपए) के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना। (ख) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के तहत राज्यों को अनुदान सहायता जारी करने के लिए।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 104 Department of Urban Development (a) For meeting additional expenditure under Other Administrative Expenses (₹ 0.05 crore), Minor Works (₹ 1.29 crore) and Rent Rates and Taxes (₹ 4.14 crore) under President's Estates. (b) For release of Grants-in-aid to States under the scheme Swachh Bharat Mission (Urban)	-	4.83	4.83
		680.76	-	680.76
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 107 जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए सहायता अनुदान सामान्य के रूप में अतिरिक्त आवंटन (131.50 करोड़)। (ii) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवंटन (75.00 करोड़)।	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For meeting additional allocation towards (i) Grants-in-aid General for River Management Activities and Works related to Border Areas (₹ 131.50 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Flood Management Programme (FMP) (₹ 75 crore).	29.61	-	29.61
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय फरीदाबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भूमि की खरीद और प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए संबंधित निर्माण गतिविधियों के लिए।	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 108 Ministry of Women and Child Development For procurement of land and related construction activities for proposed food testing laboratories at Faridabad, Kolkata, Navi Mumbai and Chennai.	20.00	-	20.00
कुल तकनीकी	Total Technical	8,856.95	75,993.85	84,850.80
4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए के पूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है, जिनके सामने दर्शाए गए व्यय संगत अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, में बचत के पुनर्विनियोजन से पूरे किए जाएंगे। सांकेतिक पूरक अनुदान मांग	4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant. Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय 1 कृषि और सहकारिता विभाग (क) (1)(i) राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एमसीआईपी) स्कीम के तहत अंशदान	MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation (a) For (1) meeting additional expenditure towards (i) contribution under National			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(37.58 करोड़ रुपए) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना (21.72 करोड़ रुपए) (ii) एकीकृत बागवानी विकास (केन्द्रीय क्षेत्र)-जनजाति क्षेत्र उप-योजना (3.00 करोड़ रुपए) और अनाज और सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (162.62 करोड़ रुपए) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (31.38 करोड़ रुपए) (2) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी (एसएमएएफ) के कार्यान्वयन (0.10 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।	Crop Insurance Programme (NCIP) (₹ 373.58 crore) and Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 21.72 crore) (ii) Grants-in-aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector)-Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore) and Prize Stabilization Fund for Cereals and Vegetables (₹ 162.62 crore) and Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 31.38 crore) (2) implementation of Sub-Mission on Agro-Forestry (SMAF) under National Mission on Sustainable Agriculture (₹ 0.10 crore).	592.40	-	592.40
(ख) एकीकृत कृषि सहकारिता योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid General under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation.	13.00	-	13.00
(ग) (i) अनाज और सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (12.50 करोड़ रुपए) और और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (3.50 करोड़ रुपए) (ii) एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (2 करोड़ रुपए) और (iii) एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना (2.94 करोड़ रुपए) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हुए।	(c) For providing Grants-in-aid General under (i) Price Stabilization Fund for Cereals and Vegetables (₹ 12.50 crore) and Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 3.50 crore) (ii) Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 2 crore) and (iii) for Special Component Plan for Scheduled Caste under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 2.94 crore).	20.94	-	20.94
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) (i) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (15.98 करोड़ रुपए) कृषि विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश (1.60 करोड़ रुपए) बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना (1.60 करोड़ रुपए) मत्स्य पालन संस्थान (0.05 करोड़ रुपए) को सामान्य सहायता अनुदान। (ii) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (5.16 करोड़ रुपए) कृषि शिक्षा संस्थान (3.50 करोड़ रुपए), कृषि इंजीनियरिंग (1.17 करोड़ रुपए), कृषि विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश (2 करोड़ रुपए), बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना (2 करोड़ रुपए), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (5.19 करोड़ रुपए) पशु विज्ञान संस्थान (0.09 करोड़ रुपए) और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड (1.25 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत (4.42 करोड़ रुपए) कृषि विस्तार संस्थान (5.09 करोड़ रुपए) कृषि शिक्षा संस्थान (0.30 करोड़ रुपए) को वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Indian council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 15.98 crore), Agriculture University, Andhra Pradesh (₹ 1.60 crore), Horticultural University Telengana (₹ 1.60 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.05 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 5.16 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 3.50 crore), Agricultural Engineering (₹ 1.17 crore), Agriculture University, Andhra Pradesh (₹ 2 crore), Horticultural University, Telengana (₹ 2 crore), Natural Resource Management Institutes (₹ 5.19 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.09 crore) and to Central Agriculture University Bundelkhand (₹ 1.25 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 4.42 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 5.09 crore) and Agricultural Education Institute (₹ 0.30 crore)	49.40	-	49.40
(ख) (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत (0.05 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (8.99 करोड़ रुपए) को सामान्य अनुदान सहायता; और (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पशु विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत (22.84 करोड़ रुपए) आस्तियों सृजन हेतु अनुदान।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.05 crore) and to Central Agriculture University, Imphal (₹ 8.99 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Animal Science Institutes (₹ 22.84 crore).	31.88	-	31.88
3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) क्षेत्रीय रोग डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं (0.87 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय गौ प्रजनन कार्यक्रम (2.07 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (4.95 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories (₹ 0.87 crore), National Programme on Bovine Breeding (₹ 2.07 crore) and National Livestock Mission (₹ 4.95 crore).	7.89	-	7.89
(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under National Programme for Dairy Development.	5.00	-	5.00
(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (5 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (5.63 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure under National Livestock Mission (₹ 5 crore) and Indigenous Breeds (₹ 5.63 crore).	10.63	-	10.63
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संबंधी अतिरिक्त राजस्व व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional Revenue expenditure relating to Atomic Energy Research	201.50	-	201.50
(ख) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संबंधी अतिरिक्त राजस्व व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional capital expenditure relating to Atomic Energy Industries.	116.22	-	116.22
(ग) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संबंधी अतिरिक्त राजस्व व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional Capital expenditure relating to Atomic Energy Research.	64.58	-	64.58
(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (0.50 करोड़ रुपए) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (0.29 करोड़ रुपए), परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (0.60 करोड़ रुपए) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for projects of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.50 crore), Atomic Energy Regulatory Board (₹ 0.29 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 0.60 crore).	-	1.39	1.39

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANISIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
6. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	6 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General to Central Council for Research in Ayurvedic Science.	2.42	-	2.42
(ख) निम्न के लिए (i) स्नातकोत्तर शिक्षण और आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान सहायता वेतन (1.88 करोड़ रुपए) (ii) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (4.42 करोड़ रुपए) (iii) केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (10.51 करोड़ रुपए) (iv) केंद्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद (3.87 करोड़ रुपए) (v) वैज्ञानिक सिद्धानुसंधान परिषद (0.64 करोड़) और (vi) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान सहायता (0.36 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता (0.50 करोड़ रुपए)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid Salaries to Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 1.88 crore) (ii) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 4.42 crore) (iii) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 10.51 crore) (iv) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 3.87 crore) (v) Central Council for Research in Siddha (₹ 0.64 crore) and (vi) Grants-in-aid General to Central Council for Research in Siddha (₹ 0.36 crore) and National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹ 0.50 crore).	-	22.18	22.18
(ग) निम्न के तहत अनुदान सहायता सामान्य के लिए (i) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (5.36 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (3.34 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (15.40 करोड़ रुपए)।	(c) For Grants-in-aid General under (i) National Medicinal Plants Board (₹ 5.36 crore) (ii) National AYUSH Mission (₹ 3.34 crore) and Grants for Creation of Capital Assets under National AYUSH Mission (₹ 15.40 crore).	24.10	-	24.10
(घ) सामान्य सहायता अनुदान के लिए (3.85 करोड़ रुपए) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (3 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत।	(d) For Grants-in-aid General (₹ 3.85 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3 crore) under National AYUSH Mission.	6.85	-	6.85
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
9 भेषज विभाग	9 Department of Pharmaceuticals			
(क) तकनीकी सहायता समूह, मानिट्रिंग और राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा औषध खोज का मूल्यांकन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure for Technical Support Group, Monitoring and Evaluation for National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER) and Drug Discovery.	0.10	-	0.10
(ख) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण हेतु वेतन तथा अन्य कार्यालय खर्च का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure for National Pharmaceuticals Pricing Authority for salaries and other Office expenditure.	-	1.16	1.16
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10. नागर विमानन मंत्रालय	10 Ministry of Civil Aviation			
हज प्रचालन के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Additional Grants-in-aid General for Haj Operations.	-	30.00	30.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 वाणिज्य विभाग	12 Department of Commerce			
(क) डीजीएस एण्ड डी की वैबसाईट के सही प्रकार से संचालन और डीजीएस एण्ड डी बैकन्ड ऑपरेशन के सुनिश्चित करने के लिए आईटी अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यकता को पूरा करना।	(a) For meeting additional requirement of DGS&D towards Modernisation of Infrastructure of IT for ensuring proper running of website and DGS&D backened operation.	2.00	-	2.00
(ख) दावों की प्रतिपूर्ति हेतु काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद को सहायता अनुदान सहायता प्रदान करना।	(b) For providing Grants-in-aid General to Cashew Export Promotion Council for reimbursement of claims.	1.10	-	1.10
(ग) चाय बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन (1.73 करोड़) और सहायता अनुदान सामान्य (0.74 करोड़) प्रदान करना।	(c) For providing additional Grants-in-aid Salaries (₹ 1.73 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.74 crore) to Tea Board.	-	2.47	2.47
(घ) नटवर्किंग सेन्टर, एफडीडीआई, को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (6.98 करोड़) कृषि और परिष्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को दावों के निपटान हेतु सीएनसी और सब्सिडी (22.06 करोड़) के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।	(d) For providing additional Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.98 crore) to Networking Centre FDDI, CNC and subsidy (₹ 22.06 crore) to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for settlement of claims.	29.04	-	29.04
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	13 Department of Industrial Policy and Promotion			
13. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	For providing additional Grants-in-aid General under 'Indian Leather Development Programme including an amount of ₹ 15 crore sanctioned as an advance from Contingency Fund of India.	35.00	-	35.00
(i) भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रुपए में संस्वीकृत 15 करोड़ रुपए सहित भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान सहायता सामान्य प्रदान करने हेतु।				
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15. दूरसंचार विभाग	15 Department of Telecommunications			
(क) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए व्यय पूरा करने हेतु	(a) For meeting expenditure towards construction of office building	0.50	-	0.50
(ख) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण देने के लिए।	(b) For providing loan to Telecommunications Consultant of India Limited	26.00	-	26.00
16. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी	16 Department of Electronics & Information Technology			
इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन के तहत निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (20 करोड़ रुपए)	For meeting additional expenditure towards investment under "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing" (₹ 20 crore)	20.00	-	20.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
20 संस्कृति मंत्रालय	20 Ministry of Culture			
निम्नलिखित हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता, आरके मिशन संस्कृति संस्थान को (0.40 करोड़ रुपए) (ii) एशियाटिक सोसायटी कोलकाता (0.25 करोड़ रुपए) (iii) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी	For providing 1) Grants-in-aid General to (i) Financial Assistance for promotion of Art & culture grant to R.K. Mission Institute of Culture (₹ 0.40 crore) (ii) Asiatic Society, Kolkata (₹ 0.25 crore) (iii) Raja Rammohun			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
फाउंडेशन, कोलकाता (1.70 करोड़) (iv) इंडियन म्यूजियम कोलकाता (3.60 करोड़ रुपए) (v) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली (3.58 करोड़ रुपए) (vi) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता (0.50 करोड़ रुपए) 2) निम्नलिखित को अनुदान सहायता वेतन (i) एशियाटिक सोसायटी कोलकाता (1.75 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता (4.25 करोड़ रुपए) (iii) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली (1.15 करोड़ रुपए) (iv) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता (0.70 करोड़ रुपए)।	Roy Library Foundation, Kolkata (₹ 1.70 crore) (iv) Indian Museum Kolkata (₹ 3.60 crore) (v) Nehru Memorial museum and Library, New Delhi (₹ 3.58 crore) (vi) Victoria Memorial Hall Kolkata (₹ 0.50 crore) 2) Grants-in-aid Salaries to (i) Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.75 crore) (ii) National Council of Science Museum Kolkata (₹ 4.25 crore) (iii) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 1.15 crore) (iv) Victoria Memorial Hall Kolkata (₹ 0.70 crore)	-	17.88	17.88
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
23. रक्षा सेवाएं-थल सेना एनसीसी योग दिवस के लिए व्यय पूरा करने हेतु 56.88 करोड़ रुपए) प्रशिक्षण सिविर (10 करोड़ रुपए) और निरीक्षण अधीन रक्षा एक्सपो (81.87 करोड़ रुपए)।	23 Defence Services - Army For meeting expenditure towards NCC Yoga Day (₹ 56.88 crore), training camps (₹ 10 crore) and Defence EXPO under inspection (₹ 81.87 crore).	-	148.75	148.75
24. रक्षा सेवाएं-नौ सेना वेतन और भत्तों का व्यय पूरा करने के लिए (70 करोड़ रुपए) निर्माण कार्य (100.05 करोड़ रुपए) और पायलट प्रशिक्षण/अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2016 (31.30 करोड़ रुपए)।	24 Defence Services - Navy For meeting expenditure on pay and allowances (₹ 70 crore), works (₹ 100.05 crore) and pilot training/International Fleet Review 2016 (₹ 31.30 crore).	-	201.35	201.35
25. रक्षा सेवाएं- वायु सेना निम्नलिखित के लिए (i) सशस्त्र बल झन्डा दिवस निधि के लिए व्यय पूरा करना (1 करोड़ रुपए) और विवाह अनुदान (1.03 करोड़ रुपए) (ii) रक्षा मंत्री के विवेकाधीन निधि के लिए बकाया आवेदनों का निपटान (7.90 करोड़ रुपए)।	25 Defence Services - Air Force For (i) meeting expenditure towards Armed Forces Flag day Fund (₹ 1 crore) and marriage Grant (₹ 1.03 crore) (ii) clearing backlog of applications for Raksha Mantri Discretionary Fund (₹ 7.90 crore)	-	9.93	9.93
28. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय थलसेना वाहन का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए-(117.02 करोड़ रुपए) निर्माण कार्य (1,270.85 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय राईफल्स (4 करोड़ रुपए) नौसेना के लिए वायुयान (633.92 करोड़ रुपए) नौ-सेना वाहन (24 करोड़ रुपए)।	28 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure towards Army-Vehicle (₹ 117.02 crore), Works (₹ 1,270.85 crore), Rashtriya Rifles (₹ 4 crore), Air Craft for Navy (₹ 633.92 crore) and Navy-vehicles (₹ 24 crore)	-	2,049.79	2049.79
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों को अतिरिक्त अनुदान सहायता पूरा करने के लिए।	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation For meeting additional Grants-in-aid to States.	2.50	-	2.50
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE			
32. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निम्न के लिए (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता (उत्कृष्टता केन्द्र) के तहत सहायता अनुदान वेतन (2.30 करोड़ रुपए)। 2. सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम (16 करोड़ रुपए) (ii) स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यनीतियों के विकास एवं संवर्धन हेतु	32 Ministry of Environment, Forests & Climate Change For providing 1. Grants-in-aid Salaries (₹ 2.30 crore) under Environment information, Education and Awareness (Centres of Excellence) 2. Grants-in-aid General to (i) National Coastal Management Programme (EAP) (₹ 16 crore) (ii) Pollution			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(0.61 करोड़ रुपए) प्रदूषण में कमी लाने के लिए (0.59 करोड़ रुपए)। 3. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत वेतन और स्थापना (5.99 करोड़ रुपए) और सामान्य अनुदान सहायता (4.01 करोड़ रुपए)।	Abatement for Development and Promotion of Clean Technology and Waste Minimization Strategies (₹ 0.61 crore) and Abatement of Pollution (₹ 0.59 crore) 3. Grants-in-aid General (₹ 4.01 crore) and salary & establishment expenses (₹ 5.99 crore) under National River Conservation Plan.	29.50	-	29.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34 आर्थिक कार्य विभाग	34 Department of Economic Affairs			
(क) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure for transfer to National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).	500.00	-	500.00
(ख) वीजीएफ के लिए व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards VGF.	420.00	-	420.00
35 वित्तीय सेवाएं विभाग	35 Department of Financial Services			
(क) अटल पेंशन योजना के उपभोक्ताओं पर हुए सरकारी अंशदान के अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Government Contribution to the subscribers of Atal Pension Yojna.	150.00	-	150.00
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के 5,050 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इंडिया एसपिरेशन फंड के तहत सिडबी को सहायता अनुदान (500 करोड़ रुपए)। देश में स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी प्रवाह।	(b) For (i) meeting additional expenditure on recapitalization of Public Sector Banks (₹ 5,050 crore) and (ii) Grants-in-aid to SIDBI under India Aspiration Fund (₹ 500 crore). The flow of equity to start-ups and growth stage of Micro, Small & Medium Enterprises(MSMEs) in the country.	5,550.00	-	5,550.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
47 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	47 Ministry of Food Processing Industries			
प्रौद्योगिकी उन्नयन स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए।	For providing additional Grants-in-aid General under the scheme of Technology Upgradation, Establishment and Modernization of Food Processing Industries.	2.11	-	2.11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (1) निम्न को सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम (0.50 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु तंत्र विज्ञान संस्थान, बेंगलूर (6 करोड़ रुपए) (2) निम्न को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम (10 करोड़ रुपए) (ii) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (9 करोड़ रुपए) (3) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु तंत्र विज्ञान संस्थान, बेंगलूर को वेतन सहायता अनुदान (3.17 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid General to (i) National Programme for the care of the Elderly (₹ 0.50 crore) (ii) National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 6 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets to (i) National Programme for the care of the Elderly (₹ 10 crore) (ii) Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 9 crore) (3) Grants-in-aid Salaries to National Institute of Mental Health & Neuro Science, Bangalore (₹ 3.17 crore).	28.67	-	28.67

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(b) For augmentation of provisions under NER	14.44	-	14.44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
50 एड्स नियंत्रण विभाग	50 Department of AIDS control			
राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एसएसीएस) को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies.	-	2.70	2.70
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 गृह मंत्रालय	53 Ministry of Home Affairs			
निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) पारस्परिक कानूनी सहायता के अन्य प्रभारों के लिए (0.03 करोड़ रुपए) (ii) पुलिस पदक के अन्य प्रभार (2 करोड़ रुपए) और (iii) प्रोटेक्टिज के निवास स्थल पर निर्माण कार्य संबंध सुरक्षा के गौण निर्माण कार्य (1.59 करोड़ रुपए)।	For meeting expenditure for (i) other charges of Mutual Legal Assistance (₹ 0.03 crore) (ii) other charges of Police Medal (₹ 2 crore) and (iii) Minor Works of Security related works at the residence of protectees (₹ 1.59 crore).	-	3.62	3.62
55 पुलिस	55 Police			
निम्न की अधिप्राप्ति/निर्माण संबंधी व्यय पूरा करने के लिए पर (i) सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा फ्लोटिंग बोर्डर आउट पोस्ट्स (40 करोड़ रुपए) और (ii) निर्भया फंड स्कीम के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए मशीनरी और उपकरण (0.45 करोड़ रुपए)	For meeting expenditure on Procurement/ construction of (i) Floating Border Out Posts by Border Management Division-Major Works (₹ 40 crore) and (ii) Machineries and Equipments for safety of women scheme under Nirbhaya Fund (₹ 0.45 crore).	40.45	-	40.45
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) नागालैंड राज्य को बकाया बिलों और हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए लंबित देयों के भुगतान के लिए	(a) For payment of outstanding bills and pending subsidy dues to the state of Nagaland for helicopter services.	-	30.00	30.00
(ख) आपदा के मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की विशेष क्षमता निर्माण के लिए मशीनरी और उपकरणों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure of Machinery & Equipment for building up specialized capability of rapid intervention in case of disaster.	-	8.00	8.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) एनसीईआरटी के तहत अनुदान सहायता प्रदान करना (32.79 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत अन्य प्रभार (0.22 करोड़ रुपए)।	(a) For providing Grants in aid Salaries under NCERT (₹ 32.79 crore) and Other Charges under National Award to Teachers (₹ 0.22 crore)	-	33.01	33.01
(i) नवोदय विद्यालय समिति के तहत वेतन सहायता अनुदान (17 करोड़ रुपए) (ii) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/एसआरसी/संस्थाओं को सहायतार्थ सामान्य सहायता अनुदान (0.73 करोड़ रुपए) (iii) सामान्य सहायता अनुदान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए (10 करोड़ रुपए)।	(i) Grants in aid Salaries under Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 17 crore) (ii) Grants in aid General under Support to NGOs/SRC's/Institutions for Adult Education & Skill Development (₹ 0.73 crore) (iii) Grants in aid General (₹ 30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) under Strengthening of Teachers Training Institutions.	57.73	-	57.73

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) निम्न के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (350 करोड़ रुपए) भारतीय भाषा प्रोत्साहन हेतु अनुदान (1.50 करोड़ रुपए) तथा (iii) वेतन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)।	(a) For providing (i) Grants-in-aid General to University Grant Commission (₹ 350 crore) and to Grants for Promotion of Indian Language (₹ 1.50 crore) and (ii) Grants in aid Salaries (₹ 0.50 crore).	352.00	-	352.00
(ख) भारतीय भाषा प्रोत्साहन हेतु अनुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपए)।	(b) For providing Grants in aid General under Grants for Promotion of Indian Languages.	-	2.00	2.00
(ग) सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (20 करोड़ रुपए) (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (170 करोड़ रुपए) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण पहल (8.25 करोड़ रुपए)।	(c) For providing Grants in aid General to (i) Indian Institutes of Technology (₹ 20 crore) (ii) All India Council for Technical Education (₹ 170 crore) and Grants for Creation of capital assets to National Initiative for Technology Transfer (₹ 8.25 crore)	198.25	-	198.25
(घ) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (100 करोड़ रुपए) (ii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी, रांची तथा सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं को सहायता (30 करोड़ रुपए)।	(d) For providing Grants for Creation of Capital Assets to (i) National Institute of Technology (₹ 100 crore) (ii) Assistance to Other institute including SLIET, NERIST, NIFFT, Ranchi & CIT, Kokrajhar (₹ 30 crore).	130.00	-	130.00
(ङ) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (5.00 करोड़ रुपए) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।	(e) Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan under Grants in aid General (₹ 5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore)	15.00	-	15.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) बच्चों के लिए फिल्म निर्माण योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म और वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional Grants-in-aid General for production of Films and Documentaries in various regional languages under the scheme 'Production of Films for Children'.	2.00	-	2.00
(ख) भारतीय जनसंचार संस्थान को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Institute of Mass Communication towards meeting its expenditure on retirement benefits.	-	1.00	1.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) कौशल विकास मिशन-योजना के तहत अतिरिक्त खर्च पूरा करना।	(a) For meeting the additional expenditure under the scheme - Skill Development Mission.	2.50	-	2.50
(ख) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करने हेतु (i) योजना-कौशल विकास मिशन स्कीम में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति उप-आयोजना और जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना	(b) For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General under (i) General Component, Scheduled Caste Sub Plan & Tribal Area Sub (₹ 4 crore) of the scheme Skill Development			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(4 करोड़ रुपए) और (ii) कौशल विकास मिशन (ईएपी) में सामान्य घटक (8 करोड़ रुपए)।	Mission and (ii) General Component of Skill Development Mission (EAP) (₹ 8 crore).	12.00	-	12.00
(ग) कौशल विकास मिशन योजना के सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General under the General Component of the scheme Skill Development Mission.	2.00	-	2.00
64 विधि और न्याय विधि अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों के सरकारी काउंसिल और मध्यस्थता पैनल काउंसिल के पेशेवर शुल्क का अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए।	64 Law and Justice For meeting the additional expenditure towards payment of professional fees to Law Officers, government Counsel of Supreme Court, High Courts, Subordinate Courts and Arbitration Panel Counsel.	-	8.88	8.88
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मार्जिन मनी को देनदारी के लिए वस्तु सहायता अनुदान के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (28.09 करोड़ रुपए) (ii) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना (0.10 करोड़ रुपए) (iii) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (0.90 करोड़ रुपए)।	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises For augmentation of provision of Prime Ministers Employment Generation Programme (₹ 28.09 crore) for liability of Margin Money (ii) Workshed Scheme for Khadi Artisans (₹ 0.10 crore) for the committed liability (iii) Assistance to Training Institutions (₹ 0.90 crore).	29.09	-	29.09
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) 'नई मंजिल' नामक योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (0.01 करोड़ रुपए) और (ii) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (5.45 करोड़ रुपए)। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के तहत निधियों में बढ़ोत्तरी करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	68 Ministry of Minority Affairs (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under "Nai Manzil" and (ii) Grants-in-aid General or the scheme of National Fellowship for Students from Minority Communities (₹ 5.45 crore). (b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Grants-in-aid General for the schemes of National Fellowship for Students form Minority Communities.	5.47 0.30	- -	5.47 0.30
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (क) 50एम/80एम पर पवन संसाधनों का आकलन करने के लिए ऑफ-ग्रिड पवन ऊर्जा-पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत एनईआर एवं सिक्किम के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) ऑफ-ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय विद्युत -पवन ऊर्जा के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.06 करोड़ रुपए),	69 Ministry of New and Renewable Energy (a) For augmentation of provision under NER & Sikkim under Off-grid-wind Power-North Eastern Region for carrying out Wind Resource assessment at 50M/80M. (b) For meeting additional expenditure under Off-grid/distributed and Decentralized Renewable Power-Wind	8.00	-	8.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जैव विद्युत (0.10 करोड़ रुपए) और अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा में डिजाइन एवं विकास- पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (8.70 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (25 करोड़ रुपए)।	Power (₹ 0.06 crore), Bio Power (₹ 0.10 crore) and Research, Design & Development in Renewable Energy-Centre for Wind Energy Technology (₹ 8.70 crore) and National Institute of Solar Energy (₹ 25 crore).	33.86	-	33.86
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) "आरटीआई अधिनियम के प्रचार-प्रसार" के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.32 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) को वेतन सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under "Propagation of RTI Act" (₹ 0.32 crore) & (ii) Grants-in-aid Salaries to National Council (JCM) (₹ 0.04 crore)	0.36	-	0.36
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क के विकास और सहायता हेतु अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement for development and support of National Database Networks.	10.00	-	10.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ₹ 10 करोड़ (23 करोड़ रुपए) और आरएसईटीआई (10 करोड़ रुपए) की अभिसरण गतिविधियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for NROs and convergence activities of IPPE-II (₹ 23 crore) and RSETI (₹ 10 crore) under National Rural Livelihood Mission.	33.00	-	33.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 भूमि संसाधन विभाग	85 Department of Land Resources			
(क) नीरांचल योजना के कार्यालयी व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Office Expenses of the scheme of Neeranchal.	0.10	-	0.10
(ख) नीरांचल योजना के तहत राज्यों को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional Grants-in-aid General to states under the scheme of Neeranchal.	4.50	-	4.50
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	86 Department of Science and Technology			
निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) निम्न के लिए सामान्य अनुदान सहायता (क) वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थान/व्यवसायिक निकाय (6 करोड़ रुपए) (ii) सामाजिक आर्थिक विकास (एसएण्डटी) संचार व प्रचार-प्रसार (4 करोड़ रुपए) (iii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (4 करोड़ रुपए) और (iv) अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एसएण्डटी सहयोग (6 करोड़ रुपए) और (ख) निम्न के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	For meeting additional expenditure towards (a) Grants-in-aid General for (i) Scientific Autonomous Institutions/ Professional Bodies (₹ 6 crore) (ii) S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Communication & Popularization (₹ 4 crore) (iii) Disha Programme for Women in Science (₹ 4 crore) and (iv) International Cooperation			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(i) वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थान/व्यवसायिक संगठनों को सहायता (21 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म विज्ञान और सूक्ष्म तकनीकी मिशन (3.15 करोड़ रुपए) और विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (1 करोड़ रुपए)।	S&T Cooperation with Other Countries (₹ 6 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (i) Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies (₹ 21 crore) and (ii) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 3.15 crore) and for Disha Programme for Women in Science (₹ 1 crore).	45.15	-	45.15
87 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	87 Department of Scientific and Industrial Research			
(क) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी के तहत सीएसआईआर (28.10 करोड़ रुपए) (ii) अनुसंधान स्कीमों, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति (27.00 करोड़ रुपए) (iii) परामर्श विकास केन्द्र (0.90 करोड़ रुपए) (iv) सीईएल के लिए अनुसंधान और विकास स्कीम को सहायता (5.00 करोड़ रुपए) (v) राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम (1.80 करोड़ रुपए) और (vi) वाणिज्यिकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (1.80 करोड़ रुपए) और (ख) औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (3.36 करोड़ रुपए)।	For providing (a) Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 28.10 crore) (ii) Research Schemes, Scholarships and Fellowships (₹ 27 crore) (iii) Consultancy, Development Centre (₹ 0.90 crore) (iv) Support to R&D Schemes to CEL (₹ 5 crore) (v) National Research & Development Corporation (₹ 1.80 crore) and (vi) Programme for Development of Technologies for commercialization (₹ 1.80 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets towards Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD) (₹ 3.36 crore).	67.96	-	67.96
88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology			
मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General for Human Resources Development.	0.30	-	0.30
पोतपरिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोतपरिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) सामान्य आरक्षित निधि में अंशदान (8.45 करोड़ रुपए) और (ii) लाईट हाउसों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (0.30 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) contribution to General Reserve Fund (₹ 8.45 crore) and (ii) meeting additional requirement towards promotion of tourism at Light Houses (₹ 0.30 crore).	-	8.75	8.75
(ख) अन्य परियोजनाओं सहित जलमार्ग 1 और 3 की परियोजनाओं/स्कीमों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on projects/schemes of National Water Ways 1 and 3 including other projects.	11.00	-	11.00
(ग) लाईटहाउसेस और लाईटशिप्स महानिदेशालय के लिए जामनगर और कांडला निदेशालय में ई-कार्यालय के कार्यान्वयन पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure on implementation of e-office in Jamnagar and Kandla Directorate for Directorate General of Lighthouses and Lightships	0.20	-	0.20
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	91 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) निम्नलिखित के लिए निधि जारी करना (i) अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास (4.69 करोड़ रुपए), (ii) ओबीसी और ईबीसी के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (12.10 करोड़ रुपए) और (iii) ओबीसी के	(a) For meeting expenditure of (i) Girls Hostels for Scheduled Castes (₹ 4.69 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Fellowship for Other Backward Classes and Economically Backward			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
लिए बालक तथा बालिका छात्रावास (2.39 करोड़ रुपए)।	Classes (₹ 12.10 crore) and (iii) Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 2.39 crore).	19.18	-	19.18
(ख) निम्नलिखित के लिए निधि जारी करना (i) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (7.00 करोड़ रुपए) और नशाखोरी एवं पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग रोकथाम स्कीम (8.00 करोड़ रुपए)।	(b) For providing funds for (i) National Institute of Social Defence (₹ 7 crore) and scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse (₹ 8 crore).	15.00	-	15.00
92 विकलांगता मामले विभाग	92 Department of Disability Affairs			
निम्न के लिए निधि जारी करना (i) सामान्य सहायता अनुदान (1.28 करोड़ रुपए) तथा अंधे, बहरे, मंद बुद्धि और अस्थि विकलांग (3 करोड़ रुपए) के लिए राष्ट्रीय संस्थान, (ii) विकलांगों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण (25.90 करोड़ रुपए) विकलांगों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (12.57 करोड़ रुपए) ब्रेल प्रेस बढ़ाने के लिए सहायता (5.99 करोड़ रुपए) और सूचना और जनसंचार शिक्षा प्रकोष्ठ (15.00 करोड़ रुपए)	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.28 crore) and Grant-in-aid Salaries (₹ 3 crore) under National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (ii) Grants-in-aid General under Aids and Appliances for Handicapped (₹ 25.90 crore), Rajiv Gandhi National Fellowships for persons with disabilities (₹ 12.57 crore), Support for Augmentation of Braille Press (₹ 5.99 crore) and Information & Mass Education Cell (₹ 15 crore).	63.74	-	63.74
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
94 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	94 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए के वेतन सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Grants-in-aid Salaries for Indian Statistical Institute, Kolkata.	-	8.84	8.84
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96 वस्त्र मंत्रालय	96 Ministry of Textiles			
जूट योजना सहित टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	For providing Grants for Creation of Capital Assets for Technical Textiles including Jute Scheme.	5.45	-	5.45
केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
99 अंडमान और निकोबार द्वीप	99 Andaman and Nicobar Islands			
विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 22 सांकेतिक पूरक अनुदान द्वारा व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under various Major Heads through 22 token supplementaries	46.09	-	46.09
100 चंडीगढ़	100 Chandigarh			
विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 15 सांकेतिक पूरक अनुदान द्वारा व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under various Major Heads through 15 token supplementaries	22.39	14.19	36.58
103 लक्षद्वीप	103 Lakshadweep			
विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 4 सांकेतिक पूरक अनुदान द्वारा व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under various Major Heads through 4 token supplementaries	5.25	-	5.25

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104 शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
(क) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान सहायता जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अन्तरण के लिए (शहरी)।	(a) For transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-aid to State/UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban).	600.00	-	600.00
(ख) राज्य सभा का चालू मुख्य निर्माण कार्य (₹ 6.26 करोड़)। लोक सभा का चालू मुख्य निर्माण कार्य (13.32 करोड़)।	(b) For meeting expenditure under Major Works of Rajya Sabha (₹ 6.26 crore) and for Lok Sabha (₹ 13.32 crore).	-	19.58	19.58
(ग) विद्यमान देयताओं से पूरा करने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम में (417.01 करोड़) और कोचि मेट्रो में निवेश (44.88 करोड़)।	(c) For investment in Delhi Metro Rail Corporation (₹ 417.01 crore) and in Kochi Metro (₹ 44.88 crore).	461.89	-	461.89
(घ) दिल्ली मेट्रो रेल निगम को पास थू सहायता प्रदान करना (i) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (91.97 करोड़ रुपए) (ii) मुम्बई मेट्रो (65.00 करोड़) अधीनस्थ गालियारों के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (187.74 करोड़ रुपए)।	(d) For providing 1. Pass through Assistance to (i) Delhi Metro Rail Corporation (₹ 91.97 crore) (ii) Mumbai Metro (₹ 65 crore) and 2. Sub-ordinate Debt to Delhi Metro Rail Corporation (₹ 187.74 crore).	344.71	-	344.71
105 लोक निर्माण कार्य	105 Public Works			
संसदीय सौध के विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा के लिए।	For meeting additional expenditure for extension of Parliament House Annexe and other works.	-	16.33	16.33
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
नदी प्रबंध क्रियाकलापों और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवंटन पूरा करना।	For meeting additional allocation under River Management Activities and Works related to Border Areas	8.00	-	8.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child Development			
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत विज्ञापन और प्रचार के लिए।	For advertisement and Publicity under Beti Bachao Beti Padhao.	26.00	-	26.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
109 युवा मामले और खेल मंत्रालय	109 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) 12वें एशियाई खेलों (एसएजी) के लिए भारत के आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम 133 करोड़ रुपए और सामान्य अनुदान सहायता (32 करोड़ रुपए) के रिकूपमेंट के लिए।	(a) For recoupment of an advance of ₹ 133 crore sanctioned from Contingency Fund of India and Grants-in-aid General (₹ 32 crore) for 12th South Asian Games (SAG).	165.00	-	165.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्न के अधीन वेतन सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान (3.50 करोड़ रुपए) (ii) नेहरू युवा केंद्र संगठन (5.10 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (3.57 करोड़ रुपए) (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (1.95 करोड़ रुपए)।	(b) For Grants-in-aid Salary under (i) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 3.50 crore) (ii) Nehru Yuva Kendra Sangthan (₹.5.10 crore) (iii) Sports Authority of India (₹ 3.57 crore) (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 1.95 crore).	-	14.12	14.12
कुल सांकेतिक	Total Token	1.01	0.29	1.30
5. भारत की आकस्मिकता निधि से आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा करने के लिए 153,41,00,000 रुपए की कुल राशि के चार अग्रिम मंजूर किए गए। इन्हें अनुदान की अनुपूरक मांग के मंजूर होने के बाद दोबारा निधि में वापस डाल दिया जाएगा।	5. Four advances aggregating ₹ 153,41,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	13,605.49	99,016.94	1,12,622.43
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	4,747.53	23,022.80	27,770.33
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	8,856.95	75,993.85	84,850.80
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	1.01	0.29	1.30

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.03	...	0.03 1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02 3-4
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.03	...	0.03 5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	55.24	13.22	68.46 6-10
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	289.23	399.25	688.48 11
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
6.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	6. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.04	...	0.04 12-13
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
9.	भेषज विभाग	स्वीकृत	9. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.02	...	0.02 14
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
10	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	4.00	4.01 15
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
12.	वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	12. Department of Commerce	Charged	0.46	...	0.46 16-17
				Voted	0.04	...	0.04
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	13. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.01	...	0.01 18
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
14.	डाक विभाग	भारित स्वीकृत	14. Department of Posts	Charged	0.05	...	0.05 19
				Voted	648.50	...	648.50
15.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	15. Department of Telecommunications	Voted	7322.07	0.02	7322.09 20-21
16.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	16. Department of Electronics and Information Technology	Voted	128.99	0.01	129.00 22-23
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.01	...	0.01 24-25
				Voted	15119.89	...	15119.89
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
19.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Corporate Affairs	Voted	...	2.15	2.15 26
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
20.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Culture	Voted	0.01	...	0.01 27

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
21. रक्षा मंत्रालय	भारित	21. Ministry of Defence	Charged	11.10	...	11.10	28
23. रक्षा सेवाएं - थल सेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Army	Voted	0.01	...	0.01	29
24. रक्षा सेवाएं - थल सेना	स्वीकृत	24. Defence Services - Navy	Voted	0.01	...	0.01	30
25. रक्षा सेवाएं - थल सेना	भारित	25. Defence Services - Air Force	Charged	1.60	...	1.60	31
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
26. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	भारित	26. Defence Ordnance Factories	Charged	10.00	...	10.00	32
	स्वीकृत		Voted	660.95	...	660.95	
27. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	भारित	27. Defence Services - Research and Development	Charged	0.30	...	0.30	33
28. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	28. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	34
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
30. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	...	0.01	35
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
32. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		32. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	65.10	...	65.10	36-37
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
34. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	34. Department of Economic Affairs	Voted	153.64	72325.41	72479.05	38-39
35. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	35. Department of Financial Services	Voted	0.01	0.01	0.02	40
37. राज्य और संघ शासित सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	37. Transfers to State and Union Territory Governments	Voted	1484.78	...	1484.78	41
41. पेंशन	स्वीकृत	41. Pensions	Voted	500.00	...	500.00	42
43. राजस्व विभाग	स्वीकृत	43. Department of Revenue	Voted	990.55	...	990.55	43
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	47. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health and Family Welfare	Voted	301.02	...	301.02	45-46
50. एड्स नियंत्रण विभाग	स्वीकृत	50. Department of AIDS Control	Voted	0.01	...	0.01	47
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
51. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	51. Department of Heavy Industry	Voted	8.97	...	8.97	48
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
53. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	53. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	49
55. पुलिस	स्वीकृत	55. Police	Voted	285.07	144.26	429.33	50-51
56. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	56. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	52
57. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	57. Transfers to Union Territory Governments	Voted	58.90	...	58.90	53
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
59. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	59. Department of School Education and Literacy	Voted	67.02	...	67.02	54
60. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.05	...	0.05	55-56

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page		
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.02	...	0.02	57	
	स्वीकृत						
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
62. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	123.73	...	123.73	58	
	स्वीकृत						
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
63. निर्वाचन आयोग	63. Election Commission	Voted	...	8.00	8.00	59	
64. विधि और न्याय	64. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	60	
65. विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	65. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	2.50	...	2.50	61	
	भारित						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	13.43	...	13.43	62-63	
	स्वीकृत						
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.02	...	0.02	64	
	स्वीकृत						
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.02	...	0.02	65	
	स्वीकृत						
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS						
72. संसदीय कार्य मंत्रालय	72. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.18	...	0.18	66	
	स्वीकृत						
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	4.33	...	4.33	67	
	स्वीकृत						
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	23.80	...	23.80	68	
	स्वीकृत						
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
80. राज्य सभा	80. Rajya Sabha	Voted	1.96	...	1.96	69	
81. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	81. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	13.00	...	13.00	70	
	भारित						
82. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	82. Secretariat of the Vice-President	Voted	2.90	...	2.90	71	
	स्वीकृत						
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
83. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	6803.92	1290.00	8093.92	72-73	
	स्वीकृत						
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
84. ग्रामीण विकास विभाग	84. Department of Rural Development	Voted	2008.01	...	2008.01	74	
85. भूमि संसाधन विभाग	85. Department of Land Resources	Voted	0.02	...	0.02	75	
	स्वीकृत						

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		MINISTRY OF SCIENCE					
मंत्रालय		AND TECHNOLOGY					
86.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	86. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01 76
87.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	87. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	7.01	...	7.01 77
88.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01 78
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
89.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	6.18	0.01	6.19 79
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
91.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02 80
92.	निशक्तता कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	92. Department of Disability Affairs	Voted	0.01	...	0.01 81
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
94.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01 82
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
96.	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	6.51	...	6.51 83
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
99.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	99. Andaman and Nicobar Islands	Voted	70.39	219.21	289.60 84-88
100.	चंडीगढ़	स्वीकृत	100. Chandigarh	Voted	0.08	0.07	0.15 89-91
101.	दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	101. Dadra and Nagar Haveli	Voted	60.12	80.53	140.65 92-95
103.	लक्षद्वीप	स्वीकृत	103. Lakshadweep	Voted	88.94	0.04	88.98 96-98
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
104.	शहरी विकास विभाग	भारित स्वीकृत	104. Department of Urban Development	Charged Voted	4.83 680.77	... 0.03	4.83 680.80 99-100
105.	लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	105. Public Works	Voted	...	0.01	0.01 101
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
107.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	107. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	29.62	...	29.62 102
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
108.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	108. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	20.00	20.01 103
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
109.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	109. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02 104
कुल जोड़			GRAND TOTAL		38116.18	74506.25	112622.43
		भारित स्वीकृत		Charged Voted	43.85 38072.33	... 74506.25	43.85 112578.58
अनुबंध		ANNEXURE					105-117

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	16959.36	44.99	17004.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.08	2.76	2.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16959.47	47.75	17007.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01
2425 - सहकारिता	स्वीकृत: 2425 -Co-operation	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एमसीआईपी) स्कीम के तहत अतिरिक्त अंशदान (₹ 373.58 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 21.72 करोड़)।
- (ii) एकीकृत बागवानी विकास (केन्द्रीय क्षेत्र) मिशन जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना (₹ 3.00 करोड़) की अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता को पूरा करना।
- (iii) राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (₹ 0.10 करोड़) के तहत कृषि-वानिकी (एसएमएएफ) के उप-मिशन का कार्यान्वयन।
- (iv) अनाज और सब्जियों (₹ 162.62 करोड़) के लिए मूल्य स्थिरीकरण के अन्तर्गत और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत (₹ 31.38 करोड़) अतिरिक्त सामान्य अनुदान को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता प्रदान करना (₹ 13.00 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) additional contribution under National Crop Insurance Programme (NCIP) (₹ 373.58 crore) and for providing additional contribution under Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 21.72 crore).
- (ii) meeting additional Grants in aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector) - Tribal Area Sub-Plan (₹ 3.00 crore).
- (iii) implementation of Sub-Mission on Agro-Forestry (SMAF) under National Mission on Sustainable Agriculture (₹ 0.10 crore).
- (iv) meeting additional Grants in aid General under Price Stabilization Fund for Cereals and Vegetables (₹ 162.62 crore) and under Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 31.38 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) providing additional Grants in aid General under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 13.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) (i) अनाजों और सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (₹ 12.50 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना के तहत (₹ 3.50 करोड़) का अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।</p> <p>(ii) एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता प्रदान करना (₹ 2.00 करोड़)।</p> <p>(iii) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.94 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p> | <p>(c) (i) meeting additional Grants in aid General under Price Stabilization Fund for Cereals and Vegetables (₹ 12.50 crore) and under Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 3.50 crore).</p> <p>(ii) providing additional Grants in aid General under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 2.00 crore).</p> <p>(iii) providing additional Grants in aid General for Special Component Plan for Scheduled Caste under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 2.94 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 6320.00	...	6320.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6320.03	...	6320.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01 (क)a	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ख)b	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अन्तर्गत (₹ 15.98 करोड़) कृषि विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश (₹ 1.60 करोड़) बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना (₹ 1.60 करोड़) मत्स्य पालन संस्थान के तहत (₹ 0.05 करोड़) सामान्य अनुदान सहायता।
- (ii) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 5.16 करोड़) कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 3.50 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (₹ 1.17 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (₹ 2.00 करोड़) बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना (₹ 2.00 करोड़), राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन संस्थान योजना (₹ 5.19 करोड़) पशु विज्ञान संस्थान (₹ 0.09 करोड़), के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान।
- (iii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 4.42 करोड़) कृषि विस्तार संस्थान (₹ 5.09 करोड़) कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 0.30 करोड़) स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान।
- (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड (₹ 1.25 करोड़) को आस्थियों के सृजन के लिए अनुदान।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 15.98 crore), Agriculture University, Andhra Pradesh, (₹ 1.60 crore), Horticultural University, Telangana (₹ 1.60 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.05 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 5.16 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 3.50 crore), Agricultural Engineering (1.17 crore), Agriculture University, Andhra Pradesh (₹ 2.00 crore), Horticultural University, Telangana (₹ 2.00 crore), Natural Resource Management Institutes (5.19 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.09 crore).
- (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 4.42 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 5.09 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 0.30).
- (iv) Grants for creation of Capital Assets to Central Agriculture University, Bundelkhand (₹ 1.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) फसल विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹ 0.05 करोड़) को सामान्य अनुदान सहायता। (ii) पशु विज्ञान संस्थान (₹ 22.84 करोड़), स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (₹ 8.99 करोड़) को सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b) (i) Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.05 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Animal Science Institutes (₹ 22.84 crore). (iii) Grants-in-Aid General to Central Agriculture University, Imphal (₹ 8.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
--	--

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2120.22	15.94	2136.16	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	4.45	4.48	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2120.28	20.39	2140.67	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: 0.01	(क) ...	0.01	
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted: 0.01	(ख) ...	0.01	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01	(ग) ...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (₹ 0.87 करोड़), राष्ट्रीय गौ प्रजनन कार्यक्रम (₹ 2.07) करोड़) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (₹ 4.95 करोड़) के लिए सहायता अनुदान जारी करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम स्कीम (₹ 5.00 करोड़) की अतिरिक्त मांग को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम (₹ 5.00 करोड़) और देशी नस्ल की स्कीम (₹ 5.63 करोड़) की अतिरिक्त मांग को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

(a) release of Grant-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories (₹ 0.87 crore), National Programme on Bovine Breeding (₹ 2.07 crore) and National Livestock Mission (₹ 4.95 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting the additional demand in the scheme of National Programme for Dairy Development (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting the additional demand in the scheme of National Livestock Mission (₹ 5.00 crore) and in the scheme of Indigenous Breeds (₹ 5.63 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु उर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	1.00	0.50	1.50
स्वीकृत:	Voted:	7583.51	4500.43	12083.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.04	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	55.24	13.22	68.46
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7639.76	4514.19	12153.95
भारित:	Charged:	1.00	0.50	1.50
स्वीकृत:	Voted:	7638.76	4513.69	12152.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 - Atomic Energy Research	Voted: 0.01	(का) 55.23	(खब) 55.24
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted: 0.01	(गक) 13.19	(घद) 13.20
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted: 0.01	(डे) 0.01	(चफ) 0.02
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	13.20	13.22
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	68.43	68.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) निम्नलिखित को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) परियोजना ऐलिस उपयोगिता और सीबीएम भागीदारी के लिए भौतिकी संस्थान (₹ 0.50 करोड़) (ii) निम्न परियोजनाओं के लिए गणितीय विज्ञान संस्थान:- पुस्तकालय का विस्तार और आधुनिकीकरण (₹ 0.50 करोड़), अवसंरचना सुविधा का विस्तार (₹ 0.85 करोड़), कम्प्यूटेशनल नेटवर्किंग सुविधाएं और सेट-आईएमएससी कूटलिपि परियोजना (₹ 0.90 करोड़) (iii) सामग्री के लिए जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी परियोजनाओं के लिए टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (₹ 11 करोड़), (iv) गणित और कंप्यूटर विज्ञान (₹ 0.75 करोड़) (v) निम्न परियोजनाओं के तहत प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान:- इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) (₹ 150 करोड़) और संलयन रिएक्टर सामग्री, बल्लेकेट्स, शील्ड्स, ड्राईवर्ट और ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां (₹ 25 करोड़) (vi) टाटा मेमोरियल सेंटर

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional (1) Grant for Creation of Capital Assests to (i) Institute of Physics for the Project ALICE Utilization and CBM Participation (₹ 0.50 crore), (ii) Institute of Mathematical Sciences for the projects:- Extension and Modernisation of Library (₹ 0.50 crore), Augmentation of Infrastructure Facility (₹ 0.85 crore), and Computational Networking Facilities and SETS-IMSc Cryptology Project (₹ 0.90 crore) (iii) Tata Institutes of Fundamental Reserch for the project Biology, Chemistry and Physics of Materials (₹ 11 crore), (iv) Mathematics and Computer Science (₹ 0.75 crore) (v) Institute for Plasma Research under the projects :- International Thermo Nuclear Experimental Reactor (ITER)(₹ 150 crore) and Technologies

परियोजनाओं के लिए - निदान और सेवाओं के लिए अग्रिम सुविधाएं (₹ 3.50 करोड़) और आंध्र प्रदेश में कैंसर अस्पताल (₹ 8 करोड़ की स्थापना) (2) अनुदान सहायता परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के लिए (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एंसेकैतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (₹ 26.25 करोड़), राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 16 करोड़), परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (₹ 5 करोड़) सामान्य सेवा संगठन (₹ 5.50 करोड़) निर्माण, सेवाएं और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय सेवा संगठन (₹ 6 करोड़) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, (₹ 2.40 करोड़) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (₹ 7 करोड़) और अनुसंधान और विकास परियोजना (₹ 1.71 करोड़) 2. निम्नलिखित को अनुदान सहायता वेतन (i) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (₹ 18 करोड़) (ii) टाटा स्मारक अस्पताल (₹ 25 करोड़) (iii) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (₹ 6.00 करोड़) गणित और विज्ञान संस्थान (₹ 4.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय होमी भाभा संस्थान (₹ 0.02 करोड़) (vi) परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति (₹ 0.60 करोड़) 3. निम्नलिखित को अनुदान सहायता (i) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (₹ 3 करोड़) (ii) भौतिकी संस्थान (₹ 1.14 करोड़) और (iii) हरिश चंद्र अनुसंधान संस्थान (₹ 1.14 करोड़) और (iv) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (₹ 1 करोड़)।

₹ 129.62 करोड़ की आवश्यकता की तुलना में ₹ 74.39 करोड़ अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें ₹ 55.23 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) मुख्य निर्माण कार्य और मशीनरी तथा उपकरण अर्थात् भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय रिसाइकल बोर्ड, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, विकिरण और आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय इंधन परिसर, भारी जल बोर्ड निम्नलिखित परियोजनाओं के तहत- विरल धातु और विरल भूमि में पाए जाने वाले खनिज (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.20 करोड़) साइक्लोट्रॉन उत्पाद के लिए प्रसंस्करण सुविधा, रेडियो आईसोटोप रेडियो फार्मा स्युटिकल्स (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.03 करोड़), उन्नत रेडियेशन प्रौद्योगिकी उपकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास (मशीनरी और उपकरण (₹ 0.40 करोड़) उन्नत रेडियेशन प्रौद्योगिकी उपकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास (मशीनरी और उपकरण (₹ 1.20 करोड़) फास्ट रियक्टर इंधन चक्र सुविधा (मशीनरी और उपकरण ₹ 20.26 करोड़ रु.) फास्ट रियक्टर इंधन चक्र सुविधा (मुख्य निर्माण कार्य 40.60 करोड़ रु. 2 एमजीडी आरओ डीसालिनेशन संयंत्र, कालपक्कम (मशीनरी और उपकरण ₹ 2.78 करोड़) 2 एमजीडी आरओ डीसालिनेशन संयंत्र, कालपक्कम (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 1.52 करोड़) डीईए कालपक्कम परिसर में सुरक्षा बढ़ाना (मशीनरी तथा उपकरण ₹ 0.11 करोड़ डीईए कालपक्कम परिसर में सुरक्षा बढ़ाना (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 2.44 करोड़)। पीएफबीआर और एफबीटीआर इंधन पुनः प्रसंस्करण के लिए प्रचालनात्मक विशेषताओं को बढ़ाना (मशीनरी और उपकरण ₹ 3 करोड़) एनएफसीकोटा (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 9.04 करोड़) एनएफसी सुविधाओं का उन्नयन (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.02 करोड़) की जिरकोनियम उत्पादन सुविधा का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण (मशीनरी

for Fusion Reactor Materials, Blankets, Shields, Divertor & Fuel Cycle (₹ 25 crore) (vi) Tata Memorial Centre for the projects :- Advance Facilities for Diagnostics and Services (₹ 3.50 crore) and Establishment of Cancer Hospital at Andhra Pradesh (₹ 8 crore) (2) Grants-in-aid towards Atomic Energy Regulatory Board (₹ 0.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting additional expenditure towards 1. O&M expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 26.25 cr), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 16 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 5 crore), General Services Organisation (₹ 5.50 crore), Directorate of Construction, Services & Estate Management (DCSEM) (₹ 6 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 2.40 crore), International Atomic Energy Agency (₹ 7 crore) and R&D Projects (₹ 1.71 crore). 2. Grants-in-aid salaries to (i) Tata Institute of Fundamental Research (₹ 18 crore) (ii) Tata Memorial Hospital (₹ 25 crore) (iii) Institute of Plasma Research (₹ 6.00 crore) (iv) Institute of Mathematics and Science (₹ 4.00 crore) (v) Homi Bhabha National Institute (₹ 0.02 crore), (vi) Atomic Energy Education Society (₹ 0.60 crore) 3. Grants-in-aid General to (i) Saha Institute of Nuclear Physics (₹ 3 crore) (ii) Institute of Physics (₹ 1 crore) (iii) Harish Chandra Research Institute (₹ 1.14 crore) and (iv) Institute of Plasma Research (₹ 1 crore).

Against the requirement of ₹ 129.62 crore savings of ₹ 74.39 crore available in the same section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. This will entail a cash outgo of ₹ 55.23 crore.

- (c) meeting additional expenditure towards Major Works and Machinery and Equipment viz. Bhabha Atomic Research Centre, Nuclear Recycle Board, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Board of Radiation and Isotope Technology, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Nuclear Fuel Complex, Heavy Water Board under following projects Exploration and Recovery of Rare Metal and Rare Earth Minerals (Machinery and Equipment ₹ 0.20 crore) Processing Facility for Cyclotron produced Radio Isotopes and Radiopharmaceuticals (Machinery and Equipment ₹ 0.03 crore) Technology Development for Advanced Radiation Technology Equipment (Machinery and Equipment ₹ 0.40 crore) Technology Development for Advanced Radiation Technology Equipment (Major Work ₹ 1.20 crore) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) (Machinery and Equipment ₹ 20.26 crore) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) (Major Work ₹ 40.60 crore) 2MGd RO Desalination Plant at Kalpakkam (Machinery and Equipment ₹ 2.78 crore) 2MGd RO Desalination Plant at Kalpakkam (Major Work ₹ 1.52 crore) Enhancement of security at DAE Kalpakkam complex (Machinery and Equipment ₹ 0.11 crore) Enhancement of security at DAE Kalpakkam complex (Major Work ₹ 2.44 crore) Enhancement of operational

और उपस्कर ₹ 0.56 करोड़)मेलटिंग और एकजुटता सुविधाओं का आधुनिकीकरण और बढ़ाना (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.32 करोड़) सुरक्षा अवसंरचना सुविधाओं और विद्युतीय प्रणाली बढ़ाना (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 3.96 करोड़) उपयोगिता का पुनरुद्धार और बढ़ाना, आईटी और संचार सुविधाएं (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.58 करोड़)एनएफसी-4 (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.50 करोड़) यूरेनियम आक्साइड सुविधा,कलपक्कम (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 10 करोड़) एचडब्ल्यूपी मनुगुरु का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 3.51 करोड़) एकीकृत सूचना प्रणाली-आईटी अवसंरचना के साथ साथ अनुप्रयोग (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.69 करोड़) समृद्ध बोरोन के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रक्रियान्वयन (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 1.49 करोड़) ट्राम्बे में थोरियम घोल भण्डार सुविधा (मशीन और उपस्कर ₹ 0.21 करोड़)। निस्सारी उपचार संयंत्रों को बढ़ाना और ट्राम्बे, ताराबुर एवं कलपक्कम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (मशीनरी और उपस्कर ₹ 5.27 करोड़)निस्सारी उपचार संयंत्रों को बढ़ाना और ट्राम्बे, तारापुर एवं कलपक्कम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 1.25 करोड़)विशेष प्रयोजन का परीक्षण और योग्यता तथा बार्क, मैसूर में सहायक सुविधाएं स्थापित करना (मशीनरी और उपस्कर ₹ 6 करोड़) अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं बढ़ाना (मुख्य कार्य ₹ 0.28 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 3.58 करोड़), भारी जल बोर्ड (₹ 9.61 करोड़)की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (d)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) मुख्य निर्माण कार्य और मशीनरी तथा उपस्कर के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अर्थात् भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, सामान्य सेवा संगठन, निम्नलिखित परियोजनाओं के तहत एचआरडी सुविधाओं का सृजन (मुख्य कार्य ₹ 0.87 करोड़) वायुजनित और भू-भौतिकी सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और यूरेनियम अन्वेषण के लिए जीआईएस अध्ययन (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.62 करोड़) यूरेनियम अन्वेषण के लिए अत्याधुनिक इन्ट्रूमेंटेशन सहित प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन (मशीनरी और उपस्कर ₹ 3.86 करोड़)दक्षिण क्षेत्र बंगलौर में कार्यालय परिसर चरण II का निर्माण (मशीनरी और उपस्कर ₹ 2 करोड़) अनुपुरम टाउनशिप में मकानों का निर्माण (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 9.70 करोड़) अनुपुरम टाउनशिप में एफिसिएंसी प्लस अपार्टमेंट और टाइप-III/सी का निर्माण (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 5 करोड़) फास्ट रिएक्टर फ्यूवेल रीप्रोसेसिंग के लिए प्रक्रियान्वयन उपकरण और सिस्टम विकास के लिए सुविधाएं बढ़ाना (मशीनरी और उपकरण ₹ 1.35 करोड़) फास्ट रिएक्टर फ्यूवेल रीप्रोसेसिंग के लिए प्रक्रियान्वयन उपकरण और सिस्टम विकास के लिए सुविधाएं बढ़ाना (मुख्य

features for PFBR and FBTR Fuel Reprocessing (Machinery and Equipment ₹ 3 crore) NFC – Kota (Major Work ₹ 9.04 crore) Upgradation of NFC Facilities (Major Works ₹ 0.02 crore) Revamping and Modernisation of Zirconium Production Facility (RMZPF) (Machinery and Equipment ₹ 0.56 crore) Modernisation and Augmentation of melting and extrusion facilities (MAMEF) (Machinery and Equipment ₹ 0.32 crore) Augmentation of security, infrastructure facilities and electrical systems (ASIES)(Major Work ₹ 3.96 crore) Renovation and augmentation of utility, IT and Communication facilities (RAUITC)(Machinery and Equipment(₹ 0.58 crore) NFC 4(Major Work ₹ 0.50 crore) Uranyl Oxide Facility, Kalpakkam(Major Work ₹ 10 crore) Revamping &Modernisation of HWP Manuguru (Major Works ₹ 3.51 crore) Integrated Information System (IIS) Application along with IT Infrastructure (Major Works ₹ 0.69 crore) Alternate Process for Production of Enriched Boron (Major Works ₹ 1.49 crore) Thorium Solution Storage Facility at Trombay (Machinery and Equipment ₹ 0.21 crore) Augmentation of Effluent Treatment Plants & Solid Waste Management Facilities at Trombay, Tarapur & Kalpakkam (Machinery and Equipment ₹ 5.27 crore) Augmentation of Effluent Treatment Plants & Solid Waste Management Facilities at Trombay, Tarapur & Kalpakkam (Major Work ₹ 1.25 crore) Testing and Qualification of Special Purpose Machines and setting up of supporting facilities at BARC, Mysore (Machinery and Equipment ₹ 6 crore) Augmentation of waste management facilities (AWMF) (Major Work ₹ 0.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for projects of Bhabha Atomic Reserch Centre (₹ 3.58 crore), Heavy Water Board (₹ 9.61 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (e) meeting additional expenditure for Major Works and Machinery and Equipment viz. Bhabha Atomic Research Centre, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Variable Energy Cyclotron Centre, General Services Organisation under following projects Creation of HRD facilities(Major Work ₹ 0.87 crore) Airborne & Ground Geophysical Surveys, Remote Sensing & GIS Studies for Exploration Of Uranium(Machinery and Equipment ₹ 0.62 crore) Upgradation of Laboratory Facilities with state of art Instrumentation for Uranium Exploration (Machinery and Equipment ₹ 3.86 crore) Construction of Office Complex Phase II at Southern Region Bangalore (Machinery and Equipment ₹ 2 crore) Construction of Houses at Anupuram Township (Major Work ₹ 9.70 crore) Construction of Efficiency Plus Apartments and Type - III/C at Anupuram Township (Major Work ₹ 5 crore) Augmentation of facilities for process, equipment and system

निर्माण कार्य ₹ 0.49 करोड़) उन्नत डीजीटल इंस्ट्रुमेंटेशन का विकास (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.26 करोड़) एफबीआर के लिए कम्प्यूटर आधारित आईएंडसी सिस्टम का विकास और रिप्रोसेसिंग संयंत्र (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.83 करोड़) सेन्ट्रल वर्कशॉप डिवीजन का विस्तार (मशीनरी और उपस्कर ₹ 1.01 करोड़) डीएई संयंत्र की पश्चिमी ओर और एडियर क्षेत्र में आईजीसीएआर में अवसंरचना विकास और सुविधाओं में सुधार (मुख्य कार्य ₹ 0.68 करोड़) आईजीसीएआर में साज-सज्जा और एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन की स्थापना (मुख्य कार्य ₹ 0.49 करोड़) सोडियम प्रौद्योगिकी परिसर (मुख्य कार्य ₹ 2.29 करोड़) सीएफबीआर के लिए घटकों का परीक्षण (मशीनरी और उपस्कर ₹ 1.09 करोड़) सोडियम सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.13 करोड़) सोडियम सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (मुख्य कार्य ₹ 2.97 करोड़) इरेडिएशन विष्पादन आंकलन और रिमोट हैंडलिंग, रोबोटिक्स का विकास एफबीआर के लिए एनडीई और आईएसआई टूल्स और ईंधन चक्र सुविधाएं (मशीनरी और उपस्कर ₹ 2.53 करोड़) उन्नत कोटिंग और सेंसर के लिए नैनोसामग्री और नैनो संरचना (मुख्य कार्य ₹ 0.56 करोड़) नवोन्मेषी एसएफआर के लिए डिजाइन वैधकरण और सुरक्षा निदर्शन (मुख्य कार्य ₹ 0.10 करोड़) फास्ट रिएक्टर के लिए सिविल इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास ₹ 0.21 करोड़) औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुसंधान (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.02 करोड़) सेमाटिक डिजिटल लाइब्रेरी (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.25 करोड़) त्वरक घटकों के लिए विनिर्माण और रासायनिक उपचार सुविधाओं को बढ़ाने (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.48 करोड़) उन्नत लेजर का विकास और अनुप्रयोग (मशीनरी और उपस्कर ₹ 2.89 करोड़) अधिक घनत्व और अत्यधिक घनत्व क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली लेजर और लेजर प्लाजमा परस्पर क्रिया (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.85 करोड़) कंप्यूटर का विकास और कार्य में लगाना, संचार और सूचना प्रणाली (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.17 करोड़) सर्न त्वरक परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.45 करोड़) उच्च ऊर्जा प्रोटॉन लिनक आधारित स्पॉलेशन न्यूट्रॉन स्रोत (मशीनरी और उपस्कर ₹ 3.75 करोड़) उच्च ऊर्जा प्रोटॉन लिनक आधारित स्पॉलेशन न्यूट्रॉन स्रोत (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.67 करोड़) राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.30 करोड़) इलेक्ट्रॉन और भारी लौह के लिए सुपर कंडक्टिंग लिनक (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.42 करोड़) साइक्लोट्रॉन सिस्टम का विकास (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.70 करोड़) न्यूक्लियर इंस्ट्रुमेंटेशन और रेडिएशन डिटेक्टर (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.03 करोड़) विजाग: चरण-I में संगणना सुविधा (मशीनरी और उपस्कर ₹ 1 करोड़) स्वास्थ्य देखभाल सेवा बढ़ाना (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.36 करोड़) थोरियम प्रौद्योगिकी (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.21 करोड़) रिसायक्लिंग अनुप्रयोग के लिए उन्नत प्रक्रियान्वयन और उपस्कर का विकास (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.68 करोड़) बार्क में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण एवं नाभिकीय औषध कार्यक्रम (मशीनरी और उपस्कर ₹ 10.50 करोड़) सुपोषणीय और सामाजिक लाभ हेतु नाभिकीय कृषि (मशीनरी और उपस्कर ₹ 0.30 करोड़) क्रायोजेनिक ताप प्रक्रियान्वयन प्रणाली (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.05 करोड़) सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन आधारित अनुसंधान (मशीनरी और उपस्कर ₹ 2 करोड़) बार्क में विद्युतीय और तकनीकी उपयोगों का उन्नयन (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 1 करोड़) विशेष प्रौद्योगिकी विकास परियोजना (मुख्य निर्माण कार्य ₹ 0.46 करोड़)।

development for Fast Reactor Fuel Reprocessing (Machinery and Equipment ₹ 1.35 crore) Augmentation of facilities for process, equipment and system development for Fast Reactor Fuel Reprocessing (Major Work ₹ 0.49 crore) Development of advanced digital instrumentation (Major Work ₹ 0.26 crore) Development of Computer based I&C systems for FBR and reprocessing plant (Major Work ₹ 0.83 crore) Augmentation of central workshop division (Machinery and Equipment ₹ 1.01 crore) Development of Infrastructure and improvement to facilities within IGCAR, on the western side of DAE Plant site and Edaiyur area (Major Work ₹ 0.68 crore) Refurbishment and Establishment of Air-conditioning and ventilation infrastructure at IGCAR (Major Work ₹ 0.49 crore) Sodium technology complex (Major Work ₹ 2.29 crore) Testing of components for CFBR (Machinery and Equipment ₹ 1.09 crore) Engineering R&D for sodium systems (Machinery and Equipment ₹ 0.13 crore) Engineering R&D for sodium systems (Major Work ₹ 2.97 crore) Irradiation performance assessment and development of remote handling, robotics, NDE and ISI tools for FBRs and fuel cycle facilities (Machinery and Equipment ₹ 2.53 crore) Nanomaterials to nanostructures for improved coatings and sensors (Major Work ₹ 0.56 crore) Design validation and safety demonstration of innovative SFR (Major Work ₹ 0.10 crore) Civil engineering R&D for fast reactors (Major Work ₹ 0.21 crore) Industrial safety & environmental research (Machinery and Equipment ₹ 0.02 crore) Semantic digital library (Machinery and Equipment ₹ 0.25 crore) Enhancement Of Manufacturing And Chemical Treatment Facilities For Accelerator Components (Major Work ₹ 0.48 crore) Development and Applications Of Advanced Lasers (Machinery and Equipment ₹ 2.89 crore) High Power Lasers and Laser-Plasma Interaction In High Density And Ultra High Intensity Regimes (Major Work ₹ 0.85 crore) Development and Deployment of Computer, Communication and Information Systems (Major Work ₹ 0.17 crore) International Collaboration In Cern Accelerator Projects (Machinery and Equipment ₹ 0.45 crore) R&D Activities For High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source (Machinery and Equipment ₹ 3.75 crore) R&D Activities For High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source (Major Work ₹ 0.67 crore) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Major Work ₹ 0.30 crore) Supper conducting Linacs for Electrons and Heavy ion (Machinery and Equipment ₹ 0.42 crore) Development of Cyclotron Systems (Machinery and Equipment ₹ 0.70 crore) Nuclear Instrumentation & Radiation Detectors (Major Work ₹ 0.03 crore) Computing Facility at Vizag: Phase-1 (Machinery and Equipment ₹ 1 crore) Augmentation of Healthcare Services (Major Work ₹ 0.36 crore) Thorium Technologies (Machinery and Equipment ₹ 0.21 crore) Development of Advanced Processes and Equipment for Recycling Application (Machinery and Equipment ₹ 0.68 crore) Expansion & Strengthening of Health Care Services in BARC & Nuclear Medicine Programme

(Machinery and Equipment ₹ 10.50 crore) Nuclear agriculture for sustainability and societal benefits (Machinery and Equipment ₹ 0.30 crore) Development of Cryogenic Temperature process systems (Major Work ₹ 0.05 crore) Synchrotron Radiation Based Physics Research (Machinery and Equipment ₹ 2 crore) Upgradation of Electrical & Mechanical Utilities at BARC (Major Work ₹ 1 crore) Special Technology Development Project (STDP) (Major Work ₹ 0.46 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for projects of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.50 crore), Atomic Energy Regulatory Board (₹ 0.29 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 0.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (च) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की परियोजनाओं के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.50 करोड़) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (₹ 0.29 करोड़) अन्वेषण और अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज निदेशालय (₹ 0.60 करोड़)। (f)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

मांग संख्या DEMAND NO. 5

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)
(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4168.65	691.00	4859.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	289.23	399.25	688.48
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4457.89	1090.25	5548.14
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	289.23 (का)	289.23
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted: 121.25 (खb)	...	121.25
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects	Voted: 278.00 (गc)	...	278.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 399.25	...	399.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 399.25	289.23	688.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न का अतिरिक्त व्यय (₹ 289.23 करोड़) पूरा करना (i) ईंधन इन्वेन्ट्री (₹ 209.23 करोड़) और (ii) ब्याज दरों में संशोधन के कारण एचडब्ल्यूपी (₹ 80 करोड़)।
चूंकि उपर्युक्त व्यय अतिरिक्त प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, इसमें कोई नकद खर्च नहीं होगा।
- (ख) कोवाडा ग्राम, आंध्रप्रदेश (इक्विटी सहायता) में प्रस्तावित (₹ 211 करोड़) परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और आरएण्ड आर के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
चूंकि अनुदान के उसी भाग में ₹89.75 करोड़ को बचत उपलब्ध है, शेष राशि के लिए अनुपूरक तकनीकी पूरक मांगा जाता है। अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 89 करोड़ और मांग सं. 4 परमाणु ऊर्जा से ₹ 32.25 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई है, इसमें नकद नहीं देना होगा।
- (ग) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के लिए ऋण (300.00 करोड़ रु.) का अतिरिक्त खर्च पूरा करना।
चूंकि अनुदान के उसी भाग में ₹ 22 करोड़ की बचत उपलब्ध है, शेष राशि के लिए अनुपूरक मांगा जाता है। मांग सं. 4-परमाणु ऊर्जा से ₹ 278 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसमें कोई नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 289.23 crore) towards (i) Fuel Inventory (₹ 209.23 crore) and (ii)HWP (₹ 80 crore) due to revision of interest rates
As the above expenditure is matched by additional receipts, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure (₹ 211 crore) towards land acquisition and R&R for the proposed Nuclear Power Project at Kovvada village, Andhra Pradesh (equity support).
As the savings of ₹ 89.75 crore available in the same section of the Grant, the technical Supplementary is sought for the balance amount. As an amount of ₹ 89 crore from Revenue Section of the Grant and ₹ 32.25 crore from D. No. 4-Atomic Energy, will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure (₹ 300 crore) towards Loans for Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited(BHAVINI)
As savings of ₹ 22 crore available in the same section of the Grant supplementary is sought for the balance amount. An amount of ₹ 278 crore will be surrendered from Demand No. 4 Atomic Energy. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 6 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1197.00	17.00	1214.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1197.06	17.00	1214.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb) 0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	... 0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घd)	... 0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2.42 करोड़)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) निम्न के लिए सहायता अनुदान वेतन (i) स्नातकोत्तर शिक्षण और आयुर्वेद में अनुसंधान, जामनगर (₹ 1.88 करोड़) (ii) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 4.42 करोड़) (iii) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 10.51 करोड़)(iv) केंद्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद (₹ 3.87 करोड़) (v) सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद (₹ 0.64 करोड़) (vi) केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान के लिए स्कीम (₹ 0.36 करोड़)(vii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत (i) राष्ट्रीय औषधि संयंत्र बोर्ड (₹ 5.36 करोड़) (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 3.34 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन के अंतर्गत अनुदान सहायता (iii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 15.40 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General for Central Council for Research in Ayurvedic Science (₹ 2.42 crores)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries for (i) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 1.88 crores). (ii) Central Council for Research in Homeopathy (₹ 4.42 crores) (iii) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 10.51 crores) (iv) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 3.87 crores) (v) Central Council for Research in Siddha (₹ 0.64 crores) and Grants-in aid General under (vi) Scheme Central Council for research in Siddha (₹ 0.36 crore) (vii) National Institute of Homeopathy, Kolkata (₹ 0.50 crores)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in aid General under (i) National Medicinal Plants Board (₹ 5.36 crore) (ii) National AYUSH Mission (₹ 3.34 crore) and Grants-in aid for Creation of Capital Assests under (iii) National AYUSH Mission (₹ 15.40 crore)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (घ) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 3.85 करोड़) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 3.00 करोड़) के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in aid General under National AYUSH Mission (₹ 3.85 crore) (ii) Grants-in aid for Creation of capital Assets under National AYUSH Mission (₹ 3.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	258.94	0.08	259.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	24.25	24.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	258.98	24.33	283.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) तकनीकी सहायता समूह, राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की निगरानी और मूल्यांकन और औषधि की खोज (₹ 0.10 करोड़) के लिए निधि प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को वेतनों और अन्य कार्यालय खर्चों के लिए निधि प्रदान करना (₹ 1.16 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing funds for Technical Support Group, Monitoring and Evaluation for National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER) and Drug Discovery (₹ 0.10 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing fund to National Pharmaceuticals Pricing Authority for salaries and other Office expenditure (₹ 1.16 crore);
Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	813.34	2528.20	3341.54	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	49.38	829.63	879.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	4.00	4.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	862.73	3361.83	4224.56	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: ...	0.01 (का)	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 4.00 (खब)	...	4.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 4.00	0.01	4.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हज संबंधी कार्यों के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 30.00 करोड़);
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (i) महानिदेशालय नागर विमानन के लिए प्रमुख निर्माण कार्य के तहत विमानन प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली के निर्माण कार्य (₹ 4.35 करोड़);
(ii) नागर विमानन ब्यूरो के तहत मशीनरी और उपकरण के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 9.79 करोड़);
अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित ₹ 4.00 करोड़ की बचत और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 10.14 करोड़ का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional funds under Grant in Aid general for Haj operations (₹ 30.00 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing additional fund under Major Works of Directorate General of Civil Aviation for construction work of Aviation Training Academy, New Delhi (₹ 4.35 crore);
(ii) providing additional funds under Bureau of Civil Aviation (BCAS) for Machinery & Equipment (₹ 9.79 crore);
Taking into account the surrender of savings of ₹ 4.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 10.14 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 4990.01	101.50	5091.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	50.00	50.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.46	...	0.46
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4990.53	151.50	5142.03
	भारित:	Charged: 0.46	...	0.46
	स्वीकृत:	Voted: 4990.07	151.50	5141.57
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित: 2057 - Supplies and Disposals	Charged: ...	0.46 (का)	0.46
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.03	0.47	0.50
	भारित:	Charged: ...	0.46	0.46
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न के लिए (i) न्यायालय के आदेश से मैसर्स पिपल इंजीनियरिंग एण्ड मोटर वर्क्स लि. को भुगतान के लिए डीजीएस एण्ड डी को स्वीकृत आकस्मिक अग्रिम (₹ 0.41 करोड़) की पुनः प्राप्ति करना (ii) न्यायालयों के आदेश से मैसर्स यूनिपैक इण्डस्ट्रीज, यमुना नगर को भुगतान के लिए डीजीएस एण्ड डी (₹ 0.05 करोड़) की अतिरिक्त मांग में पूरा करना।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (ख) डीजीएस एण्ड डी की वेबसाइट के सही प्रकार से संचालन और डीजीएस एण्ड डी बैकएंड ऑपरेशन के सुनिश्चित करने के लिए आईटी अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु मांग (₹ 2 करोड़) पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) For (i) recoupment of Contingency Advance (₹ 0.41 crore) sanctioned to DGS&D for payment arising out of Court Orders for payment to M/s Peoples Engineering and Motor Works Ltd., Kolkata and (ii) meeting additional requirement of DGS&D (₹ 0.05 crore) for payment to M/s Unipac Industries, Yamuna Nagar arising out of Court Order.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (b) meeting additional requirement (₹ 2 crore) of DGS&D towards Modernisation of Infrastructure of IT for ensuring proper running of website and DGS&D backened operation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|--|
| <p>(ग) दावों की प्रतिपूर्ति हेतु काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद को सहायता अनुदान सहायता (₹ 1.10 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p> <p>(घ) चाय बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.73 करोड़) और सहायता अनुदान सामान्य (₹ 0.74 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p> <p>(ङ) नटवर्किंग सेन्टर, एफडीडीआई, को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 6.98 करोड़) कृषि और परिष्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को दावों के निपटान हेतु सीएनसी और सब्सिडी (₹ 22.06 करोड़) के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p> | <p>(c) providing Grants-in-aid General (₹ 1.10 crore) to Cashew Export Promotion Council for reimbursement of claims.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) providing additional Grants-in-aid Salaries (₹ 1.73 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.74 crore) to Tea Board.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(e) providing additional Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.98 crore) to Networking Centre FDDI, CNC and subsidy (₹ 22.06 crore) to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for settlement of claims.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 13

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2613.58	2.61	2616.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	100.00	3.07	103.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2713.59	5.68	2719.27
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 35 करोड़ अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना, इसमें भारत की आकस्मिक निधि से इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत ₹ 15 करोड़ अग्रिम राशि के रूप में शामिल है, जिसे अनुदान के अनुमोदन के बाद वापस किया जाएगा।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

providing additional grants-in-aid general of ₹ 35 crore under 'Indian Leather Development Programme', including an amount of ₹ 15 crore sanctioned for this purpose as an advance from Contingency Fund of India, which will be recouped after approval of the supplementary.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted: 19494.06	336.65	19830.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.80	0.14	1.94
	स्वीकृत:	Voted: 40.00	11.26	51.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted: 648.50	...	648.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20184.61	348.05	20532.66
	भारित:	Charged: 2.05	0.14	2.19
	स्वीकृत:	Voted: 20182.56	347.91	20530.47
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.05 (का)	0.05
	स्वीकृत:	Voted: ...	648.50 (खब)	648.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	648.55	648.55
	भारित:	Charged: ...	0.05	0.05
	स्वीकृत:	Voted: ...	648.50	648.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चण्डीगढ़ द्वारा (0.05 करोड़ रु.) पुरस्कार प्रदान करने से उत्पन्न भुगतान पूरा करने के लिए।
- (ख) स्थापना संबंधी व्यय के अन्तर्गत वेतनों (₹ 114.40 करोड़) पेंशन (₹ 226.26 करोड़) मजदूरी (₹ 64.95 करोड़), ग्रामीण डाक सेवा से पृथक्करण (सेवरन्स) भत्तों (₹ 24.11 करोड़) पीआईएल निवेश बोर्ड (₹ 0.25 करोड़) और कार्य संचालन संबंधी अन्य व्यय (₹ 218.54 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता ₹ 648.51 करोड़ को पूरा करना।

बचतों और अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए, इस पूरक अनुदान में ₹ 81.91 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) towards meeting payment arising out of award given by Central Administrative Tribunal, Chandigarh (₹ 0.05 crore)
- (b) meeting additional requirement of ₹ 648.51 crore under establishment related expenditure on account of Salaries (₹ 114.40 crore), Pension (₹ 226.26 crore), Wages (₹ 64.95 crore), Severance Allowance to Gramin Dak Sewak (₹ 24.11 crore), PLI Investment Board (₹ 0.25 crore) and other operational expenses (₹ 218.54 crore).

Taking into account savings and the additional receipts, this supplementary will entail net cash outgo of ₹ 81.91 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 15

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	13284.10	2590.50	15874.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	93.64	...	93.64
स्वीकृत:	Voted:	353.04	...	353.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	7322.07	0.02	7322.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21052.85	2590.52	23643.37
भारित:	Charged:	93.64	...	93.64
स्वीकृत:	Voted:	20959.21	2590.52	23549.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	144.93 (का)	...	144.93
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	866.98 (खb)	866.98
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	80.00 (गc)	...	80.00
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted:	1334.75 (डेe)	4895.41 (घd)	6230.16
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	1559.68	5762.39	7322.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5275 - Capital Outlay on Other Communication Services	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
6859 - दूरसंचार और वैद्युत उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6859 - Loans for Telecommunication and Electronic Industries	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1559.70	5762.39	7322.09

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3275 - अन्य संचार सेवाएं	3275 - Other Communication Services	(-) 700.00	...	(-) 700.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सी-डॉट को सहायता अनुदान (सामान्य) के रूप में चालू आर एंड डी परियोजनाओं और वेतन/विविध का व्यय पूरा करने के लिए (144.93 करोड़ रुपए)
उपर्युक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ख) पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान पुरा करना (866.98 करोड़ रुपए)
उपर्युक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ग) निम्न के लिए व्यय पूरा करना- (i) यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड से सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने (60 करोड़ रुपए); और (ii) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को अतिरिक्त सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपए)।
उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।
- (घ) निम्न के लिए व्यय पूरा करना- (i) बीएसएनएल (3340.50 करोड़ रुपए) और एमटीएनएल (428.95 करोड़ रुपए) को बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के रिफंड; (ii) सीडीएमए स्पेक्ट्रम अभ्यर्पित करने के लिए बीएसएनएल को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए (169.16 करोड़ रुपए) (iii) न्यूनतम अल्टरनेट टैक्स (एमएटी) लगाने के कारण एमटीएनएल को वित्तीय सहायता (492.25 करोड़ रुपए), एमटीएनएल द्वारा जारी पत्रों पर ब्याज के भुगतान (387 करोड़ रुपए) और पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड को लंबित देयों के निपटान (77.55 करोड़ रुपए)।
अनुदान के इसी भाग और पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त प्रस्तावों में (₹ 4630.72 करोड़) नकद खर्च होगा।
- (ङ) निम्न के लिए व्यय पूरा करना- (i) यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन निधि से सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने (640 करोड़ रुपए); (ii) यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन में अंतरण (700 करोड़ रुपए) और दक्षिण एशियाई खेलों के कारण बीएसएनएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने (5.04 करोड़ रुपए)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त वसूलियों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में (₹ 634.75 करोड़) का नकद खर्च होगा।
- (च) कार्यालयी भवन के निर्माण के लिए (0.50 करोड़ रुपए) सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
अनुदान के इसी भाग और पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण प्रदान करने हेतु सांकेतिक पूरक मांगा गया है। (26 करोड़ रुपए)
अनुदान के इसी भाग और पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting towards expenditure on ongoing R&D projects and salaries/miscellaneous as grant-in-aid (general) to C-DoT. (₹ 144.93 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting towards payments of pension and retirement benefits (₹ 866.98 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) meeting expenditure towards (i) providing compensation to service providers from Universal Service Obligation fund (₹ 60 crore); and (ii) additional grants-in-aid to Centre for Development of Telematics (₹ 20 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (d) meeting towards (i) refund of upfront charges of BWA spectrum to BSNL (₹ 3340.50 crore) and MTNL (₹ 428.95 crore), (ii) compensation to BSNL for surrender of CDMA spectrum (₹ 169.16 crore), (iii) financial support to MTNL on account of levy of Minimum Alternate Tax (MAT) (₹ 492.25 crore), payment of interest on bonds issued by MTNL (₹ 387 crore), and settlement of pending dues to 'Pakistan Telecom Company Limited (₹ 77.55 crore).
Taking into account the savings available within the same section and Capital section of the Grant, the above proposals will entail a cash outgo of ₹ 4630.72 crore.
- (e) meeting expenditure towards (i) providing compensation to service providers (₹ 640 crore) from Universal Service Obligation Fund; (ii) transfer to Universal Service Obligation Fund (₹ 700 crore); and providing financial support (₹ 5.04 crore) to BSNL on account of South Asian Games.
Taking into account savings available within the same section of the grant and additional recoveries, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 634.75 crore.
- (f) A token supplementary is sought towards construction of office building (₹ 0.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) A token supplementary is sought towards providing loan to Telecommunications Consultant of India Limited (₹ 26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2482.85	147.15	2630.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	128.99	0.01	129.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2611.85	147.16	2759.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	95.50 (का)	...	95.50
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	13.00 (खb)	...	13.00
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	20.49 (गc)	...	20.49
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	128.99	...	128.99
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4859 - दूरसंचार और वैद्युत उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4859 - Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	129.00	...	129.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के निम्नवत अतिरिक्त व्यय (₹ 98 करोड़) पूरा करना (i) पेशेवर सेवाएं (₹ 84 करोड़)(ii) लघु निर्माण कार्य (₹ 10 करोड़)और (iii) किराया, दरें और कर (₹ 4 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं (₹ 2.50 करोड़), उपर्युक्त व्यय में ₹ 95.50 करोड़ का निवल नकद खर्च होगा।

- (ख) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 25 करोड़) पूरा करना (i) इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन (₹ 5 करोड़)(ii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (₹ 10 करोड़) (iii) उन्नत संगणक विकास केन्द्र (₹ 6 करोड़) रु.) और (v) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान (समीर) (₹ 4 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत (₹ 12 करोड़) उपलब्ध है, उपर्युक्त व्यय में ₹ 13 करोड़ रु. का निवल नकद खर्च होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 98 crore) of National Informatics Centre towards (i) Professional Services (₹ 84 crore) (ii) Minor Works (₹ 10 crore) and (iii) Rent, Rates and Taxes (₹ 4 crore).

As savings (₹ 2.50 crore) available within the same section of the grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 95.50 crore;

- (b) meeting additional expenditure (₹ 25 crore) towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Electronic Governance (₹ 5 crore) (ii) National Knowledge Network (₹ 10 crore) (iii) Centre for Development of Advanced Computing (₹ 6 crore) and (v) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER) (₹ 4 crore).

As saving (₹ 12 crore) available within the same section of the grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 13 crore;

- (ग) निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 163.71 करोड़) को पूरा करना 1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र स्कीम के तहत जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अधीन पेशेवर सेवा (₹ 2 करोड़) 2 स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता (i) डिजिटल इंडिया और आईटी में कौशल विकास के लिए जनशक्ति विकास और अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना हेतु जनता के लिए आईटी (₹ 1 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना, इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन (₹ 1 करोड़) जनजाती क्षेत्र उपयोजना हेतु (₹ 5 करोड़) और अन्यो के लिए (₹ 41 करोड़) (iii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना हेतु (₹ 1 करोड़ और जनजाती क्षेत्र उपयोजना हेतु ₹ 8 करोड़ व अन्यो के लिए ₹ 45 करोड़ (iv) अभिसरण, संचार और कूटनीतिक इलेक्ट्रॉनिक ₹ 5 करोड़ रु.) (v) माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक और सुक्ष्म-तकनीकी विकास (₹ 3.71 करोड़) (vi) एडवांस कम्प्यूटरिंग विकास के लिए केन्द्र (₹ 5 करोड़) (vii) सोसायटी फॉर एपलाईड माइक्रोवेब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएआईआई) (₹ 8 करोड़) (viii) मीडिया लैब एशिया (₹ 6 करोड़); 3 एडवांस कम्प्यूटरिंग विकास के लिए केन्द्र (₹ 5 करोड़) हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 6 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 8 करोड़) और (4) सोसायटी फॉर एपलाईड माइक्रोवेब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएआईआई) हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान वेतन (₹ 13 करोड़)।
- जैसाकि अनुदान इसी अनुदान इसी अनुभाग में (₹ 143.22 करोड़) की बचत उपलब्ध है, शेष (₹ 20.49 करोड़ नकद खर्च होगा;
- (घ) "इलेक्ट्रॉनिक एण्ड आईटी हार्डवेयर मेन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन" के तहत निवेश के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 20 करोड़ रु.) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (c) meeting additional expenditure (₹ 163.71 crore) towards 1. Professional Services under Tribal Area Sub Plan under the Scheme National Informatics Centre (₹ 2 crore); 2. Grants-in-aid General under the scheme (i) Digital India and Manpower Development for Skill Development in IT and IT for Masses for Special component plan for Scheduled castes (₹ 1 crore) (ii) Electronic Governance (₹ 1 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes, ₹ 5 crore for Tribal Area Sub Plan and ₹ 41 crore for Others) (iii) National Knowledge Network (₹ 1 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes, ₹ 8 crore for Tribal Area Sub Plan and ₹ 45 crore for Others) (iv) Convergence, Communications and Strategic Electronics (₹ 5 crore) (v) Micro- Electronics and Nano-Technology Development (₹ 3.71 crore) (vi) Centre for Development of Advance Computing (₹ 5 crore) (vii) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER) (₹ 8 crore) (viii) Media Lab Asia (₹ 6 crore); 3. Grants for creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 8 crore) for Centre for Development of Advance Computing and 4. Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 13 crore) for Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER).
- As savings (₹ 143.22 crore) available within the same section of the grant, the balance amount of ₹20.49 crore will entail a net cash outgo;
- (d) meeting additional expenditure towards investment under "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing" (₹ 20 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	125950.30	10587.25	136537.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	650.03	10000.01	10650.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	15119.89	...	15119.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		141720.23	20587.26	162307.49
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	141720.22	20587.26	162307.48

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 - Food Storage and Warehousing	Voted:	...	15119.89 (का) 15119.89
3456 - नागरिक आपूर्ति	भारित:	3456 - Civil Supplies	Charged:	...	0.01 (खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	15119.90	15119.90
	भारित:	Charged:	...	0.01	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	...	15119.89	15119.89

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	...	(-) 151.29	(-) 151.29	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) एनएफएसए (₹ 15000.00 करोड़) के तहत एफसीआई और अन्यो को खाद्य अनाज के लेन देन पर देय सब्सिडियां।
- (ii) अपरिष्कृत चीनी उत्पादन (₹ 100.00 करोड़) के विपणन और प्रोत्साहन सेवा के लिए प्रोत्साहन का भुगतान।
- (iii) चीनी मिल 2015 (₹ 51.29 करोड़) को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए ब्याज माफी स्कीम।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 31.40 करोड़) की बचत और अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 15.62 करोड़) को देखते हुए

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) subsidy payable to FCI and others on foodgrains transaction under NFSA (₹ 15000.00 crore).
- (ii) payment of incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production (₹ 100.00 crore).
- (iii) interest subvention on Scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 51.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of Grant (₹ 31.40 crore), surrender of savings available in the

और चीनी विकास कोष से प्राप्तियां (₹ 151.29 करोड़) को देखते हुए उपरोक्त व्यय में ₹ 14952.98 करोड़ नकद खर्च होंगे।

Capital Section of the Grant (₹ 15.62 crore) and recoveries from the Sugar Development Fund (₹ 151.29 crore), the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 14952.98 crore.

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सीवीसी के कार्यालय के जल प्रभार और किराये के बकाया का भुगतान (₹ 0.01 करोड़)।
उपरोक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

(b) payment of arrears of water charges and rent in respect of Office of CVC on Public Distribution System (₹ 0.01 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 19

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	242.78	29.10	271.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	129.25	17.00	146.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	2.15	2.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		372.03	48.25	420.28
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted:	2.15	...	2.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेयर हाऊस डाटा की अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर लाइसेंसों और अन्य आईटी घटकों संबंधी एनालिटिक्स के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 2.15 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपरोक्त खर्च में कुछ भी अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure for procuring data warehouse and analytics related software licenses and other IT components (₹ 2.15 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 20

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2091.50	77.50	2169.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	30.05	0.01	30.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2121.56	77.51	2199.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुदान सहायता (I) आर के संस्कृति मिशन/संस्थान की कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता (₹ 0.40 करोड़) (ii) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के लिए न्यायालय आदेश का भुगतान (₹ 0.25 करोड़) (iii) राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता (₹ 1.70 करोड़) (iv) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (₹ 3.60 करोड़) (v) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली (₹ 3.58 करोड़) (vi) विक्टोरिया स्मारक हाल कोलकाता (₹ 0.50 करोड़)। सहायता अनुदान वेतन (vii) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (₹ 1.75 करोड़) (viii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता (₹ 4.25 करोड़) (ix) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली (₹ 1.15 करोड़) (X) विक्टोरिया स्मारक हाल कोलकाता (₹ 0.70 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

- (a) towards Grants-in-aid General (i) Financial Assistance for promotion of Art & Culture grant to R.K. Mission Institute of Culture (₹ 0.40 crore) (ii) payment of Court Order for Asiatic Society, Kolkata (₹ 0.25 crore) (iii) Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata (₹ 1.70 crore) (iv) Indian Museum Kolkata (₹ 3.60 crore) (v) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 3.58 crore) (vi) Victoria Memorial Hall Kolkata (₹ 0.50 crore). Grants in aid Salaries (vii) Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.75 crore) (viii) National Council of Science Museum Kolkata (₹ 4.25 crore) (ix) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 1.15 crore) (x) Victoria Memorial Hall Kolkata (₹ 0.70 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.61	35.00	35.61
	स्वीकृत:	Voted:	20188.58	3653.03	23841.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	300.00	300.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	11.10	...	11.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20200.30	3988.03	24188.33	
	भारित:	Charged:	11.71	35.00	46.71
	स्वीकृत:	Voted:	20188.59	3953.03	24141.62

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	भारित: 2052 - Secretariat-General Services	Charged:	...	0.85 (का)	0.85
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	भारित: 2075 - Miscellaneous General Services	Charged:	...	10.25 (खब)	10.25
जोड़ (पूरक)	भारित: Total (Supplementary)	Charged:	...	11.10	11.10

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वेतनों (₹ 0.80 करोड़) और रक्षा लेखा विभाग के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों के कारण उत्पन्न चिकित्सा उपचार (₹ 0.05 करोड़) के व्यय को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(ख) कैंटीन भंडार विभाग (₹ 10.25 करोड़) के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों के कारण उत्पन्न वेतनों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary appropriations are required for:

(a) meeting towards expenditure on Salaries (₹ 0.80 crore) and Medical Treatment (₹ 0.05 crore) arising out of court orders. Taking into account the surrender of savings available in the Voted section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting towards expenditure on 'Salaries' arising out of court orders against Canteen Stores Department (₹ 10.25 crore). Taking into account the surrender of savings available in the voted section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	46.56	...	46.56
	स्वीकृत:	Voted:	106994.27	...	106994.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	30.00	...	30.00
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		107070.85	...	107070.85
	भारित:	Charged:	76.56	...	76.56
	स्वीकृत:	Voted:	106994.29	...	106994.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत: 2076 -Defence Services - Army	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) एनसीसी योगा दिवस (₹ 56.88 करोड़), प्रशिक्षण कैम्प (₹ 10 करोड़), और 'रक्षा एक्सपो और विविध स्टोर्स' (₹ 81.87 करोड़) के व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting towards expenditure on NCC Yoga Day (₹ 56.88 crore), training camps (₹ 10 crore), and for 'Defence EXPO, Miscellaneous and Stores' (₹ 81.87 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 15.02	...	15.02
	स्वीकृत:	Voted: 16110.62	...	16110.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16125.65	...	16125.65
	भारित:	Charged: 15.02	...	15.02
	स्वीकृत:	Voted: 16110.63	...	16110.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	स्वीकृत: 2077 -Defence Services - Navy	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन और भत्तों (₹ 70 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 100.05 करोड़) और पाइलेट प्रशिक्षण अन्तर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा 2016 (₹ 31.30 करोड़) के व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting towards expenditure on pay and allowances (₹ 70 crore), works (₹ 100.05 crore) and on pilot training/ International Fleet Review 2016 (₹ 31.30 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 4.30	...	4.30
	स्वीकृत:	Voted: 24295.79	...	24295.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
	भारित:	Charged: 1.60	...	1.60
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	24301.70	...	24301.70
	भारित:	Charged: 5.90	...	5.90
	स्वीकृत:	Voted: 24295.80	...	24295.80

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित: 2078 - Defence Services - Air Force	Charged: ...	1.60 (क)	1.60	1.60
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01 (ख)	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1.61	1.61	1.61
	भारित:	Charged: ...	1.60	1.60	1.60
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) वेतन और भत्तों (₹ 2 करोड़) और निर्माण कार्यों (₹ 0.10 करोड़) संबंधी व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को अभ्यर्पित किए जाने को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।</p> <p>(ख) एकबारगी उपाय के रूप में रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड के लिए अप्लीकेशन का बैंक लागू निकालने के लिए (₹ 7.90 करोड़) सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि संबंधी खर्च पूरा करना (₹ 1 करोड़ रुपये), विवाह अनुदान (₹ 1.03 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p> | <p>(a) towards meeting expenditure on pay and allowances (₹ 2 crore) and on Works (₹ 0.10 crore). Taking into account the surrender of savings available in the voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(b) towards clearing backlog of applications for Raksha Mantri Discretionary Fund (₹ 7.90 crore) as one time measure, meeting expenditure on Armed Forces Flag Day Fund (₹ 1 crore), marriage grant (₹ 1.03 crore). Taking into account the savings available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 8.00	...	8.00
	स्वीकृत:	Voted: 14697.73	...	14697.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 10.00	...	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 660.95	...	660.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15376.69	...	15376.69
	भारित:	Charged: 18.00	...	18.00
	स्वीकृत:	Voted: 15358.69	...	15358.69

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	भारित: 2079 - Defence Services - Ordnance Factories	Charged: ...	10.00 (का)	10.00
	स्वीकृत:	Voted: ...	660.95 (खब)	660.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	670.95	670.95
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: ...	660.95	660.95

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विनिर्माण शीर्ष के तहत वेतन और भत्तों संबंधी व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।
- (ख) भंडारों (₹ 687.22 करोड़), अनुसंधान और विकास परियोजनाओं (₹ 10 करोड़) और दिशा एवं प्रशान (4.06 करोड़ ₹.) संबंधी व्यय पूरा करने के लिए

अनुदान में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, ₹ 660.95 करोड़ की शेष राशि हेतु पूरक मांग गया है। इस पूरक से कुछ नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि इसे पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा। जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) towards meeting expenditure on pay and allowances under the Head Manufacture (₹ 10 crore).
- (b) towards meeting expenditure on Stores (₹ 687.22 crore), research & development projects (₹ 10 crore), and direction and administration (₹ 4.06 crore).

Taking into account the savings available in the grant, supplementary for balance amount of ₹ 660.95 crore is sought. This supplementary will not entail cash outgo as the same will be matched by savings available in the Capital grant, which will be surrendered.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES – RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.63	...	0.63
	स्वीकृत:	Voted: 6634.46	...	6634.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.30	...	0.30
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6635.39	...	6635.39
	भारित:	Charged: 0.93	...	0.93
	स्वीकृत:	Voted: 6634.46	...	6634.46
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	भारित: 2080 - Defence Services - Research and Development	Charged: ...	0.30 (का)	0.30

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न (₹ 0.30 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

- (a) towards meeting additional expenditure arising out of court orders (₹ 0.30 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 28

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	136.50
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	43.26
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	94631.28	94631.28
	भारित:	Charged:	...	179.76
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्थल सेना के वाहनों (₹ 117.02 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 1270.85 करोड़), राष्ट्रीय राइफल्स (₹ 4 करोड़), नौ-सेना वायुयान (₹ 633.92 करोड़) और नौ-सेना वाहन (₹ 24 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting expenditure on Army-Vehicle (₹ 117.02 crore), Works (₹ 1270.85 crore), Rashtriya Rifles (₹ 4 crore), Air Craft for Navy (₹ 633.92 crore) and Navy-vehicles (₹ 24 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	6243.87	...	6243.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	8087.01	...	8087.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14330.89	...	14330.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत (₹ 2.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement (₹ 2.50 crore) under Grants-in-aid General for National Rural Drinking Water Programme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1888.81	48.79	1937.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	120.02	0.01	120.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	65.10	...	65.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2073.93	48.80	2122.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	1.75 (का)	...	1.75
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	1.00 (खब)	...	1.00
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01 (गक)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	62.34 (घद)	...	62.34
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	65.10	...	65.10

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	(-) 1.75	...	(-) 1.75
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	(-) 10.00	...	(-) 10.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 115.34	...	(-) 115.34
जोड़	Total	(-) 127.09	...	(-) 127.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थानों (भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (₹ 0.25 करोड़) और टाईगर परियोजना (₹ 0.25 करोड़) के लिए अनुदान सहायता।	(a) (i) Grants-in-aid General to Forestry and wild life institutions (Indian Plywood Industries Research Institute (₹ 0.25 crore) and Project Tiger (₹ 0.25 crore))
(ii) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थानों भारतीय प्लाईवुड उद्योग (अनुसंधान संस्थान (₹ 0.75 करोड़) को पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(ii) Grants for Creation of Capital Assets to Forestry and Wild Life Institutions (Indian Plywood Industries Research Institute (₹ 0.75 crore))

(iii) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत अभियान) के तहत वेतन और स्थापना संबंधी खर्च (₹ 1.75 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतें (₹ 1.25 करोड़), को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक (₹ 1.75 करोड़) मांगा जाता है, जिसको राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा;	(iii) Salaries & Establishment related expenses (₹ 1.75 crore) under National Afforestation Programme (Green India Mission) Taking into account the savings (₹ 1.25 crore) available in the same Section of the Grant, Technical Supplementary (₹ 1.75 crore) is sought, which will be met from National Clean Energy Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (₹ 1 करोड़) के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(b) Grants for Creation of Capital Assets to National River Conservation Plan (₹ 1 crore). The above expenditure will be met from National Clean Energy Fund, this will not entail any additional cash outgo;
(ग) (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता(उत्कृष्टता केन्द्र) के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.30 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम (₹ 16 करोड़) (ii)स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यनीतियों के विकास एवं संवर्धन हेतु (₹ 0.61 करोड़) प्रदूषण में कमी लाने के लिए (₹ 0.59 करोड़)।	(c) (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 2.30 crore) under Environment information, Education and Awareness (Centres of Excellence) (ii) Grants-in-aid General to (i) National Coastal Management Programme (EAP) (₹ 16 crore) (ii) Pollution Abatement for Development and Promotion of Clean Technology and Waste Minimization Strategies (₹ 0.61 crore) and for Abatement of Pollution (₹ 0.59 crore) .
(iii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत वेतन और स्थापना (₹ 5.99 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 4.01 करोड़)। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को (₹ 29.50 करोड़) देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(iii) Grants-in-aid General (₹ 4.01 crore) and salary & establishment expenses (₹ 5.99 crore) under National River Conservation Plan. This will be met from National Clean Energy Fund. Taking into account the savings of (₹ 29.50 crore) available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (₹ 34.09 करोड़) के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ii) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत अभियान)(₹ 80.25 करोड़) के तहत सामान्य अनुदान सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 52 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से अतिरिक्त प्राप्ति से पूरा करके, शेष ₹ 62.34 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक मांगा जाता है। उसमें कोई नकद खर्च नहीं होगा।	(d) (i) Grants for Creation of Capital Assets to National River Conservation Plan (₹ 34.09 crore) (ii) Grants-in-aid General under National Afforestation Programme (Green India Mission)(₹ 80.25 crore) After taking into account the savings of ₹ 52 crore available in the same section of the Grant and also matched by additional recoveries from National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought for the balance of ₹ 62.34 crore. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 34

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 32 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	17774.88	5601.69	23376.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	13.42	485.02	498.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	153.64	72325.41	72479.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17941.94	78412.12	96354.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 -General Financial and Trading Institutions	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	153.62 (गc)	153.62
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	153.62	153.64
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	72194.41 (घd)	72194.41
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted: 131.00 (ङe)	...	131.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 131.00	72194.41	72325.41
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 131.02	72348.03	72479.05

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

3605 - Technical and Economic Co-operation with Other Countries

...

(-) 153.62

(-) 153.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) को अंतरण के ₹ 500 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(a) meeting additional expenditure of ₹ 500 crore for transfer to National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).

(ख) ₹ 420 करोड़ के वीजीएफ की बुकिंग के गलत वर्गीकरण का निपटान करना।	(b) to set right the misclassification for booking the expenditure towards VGF amount to ₹ 420 crore.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता हेतु अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करना (₹ 153.62 करोड़)।	(c) meeting additional requirement for Interest Equalization Support (IES) to Exim Bank (₹ 153.62 crore)
पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए अधिक भुगतान के कारण ₹ 153.62 करोड़ की वसूलियों से अतिरिक्त मांग को पूरा किया जाना है। तकनीकी अनुदान की मांग की जाती है।	The additional requirement is to be met through the recoveries of ₹ 153.62 crore on account of excess payment released in previous years. Technical supplementary is sought.
(घ) निम्न की अतिरिक्त राशि को पूरा करना (i) अंतराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान का भुगतान (₹ 3 करोड़) (ii) एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के अंशदान के लिए ₹ 2,237 करोड़ के भुगतान की अपेक्षा है। (iii) विभेदक एसजीआर रिजर्व (₹ 378.94 करोड़) को पूरा करने के लिए एसडीआर खरीदना। (iv) कोटा बढ़ाने के लिए अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक निधि के अंशदान के लिए ₹ 69,575.47 करोड़ का निवेश। प्रतिभूतियों के निर्गम से ₹ 52,181.60 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत की एसडीआर धारिता के जरिए ₹ 17,393.87 करोड़ का मुद्रीकरण और अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 2,618.94 करोड़ की बचत को देखते हुए इसे अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d) meeting additional amount on account of (i) Payment of subscription to International Development Association (IDA) (₹ 3 crore) (ii) Payment of ₹ 2,237 crore is required towards subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (iii) Purchase of SDR to meet the differential SDR Reserve (₹ 378.94 crore). (iv) Investment of ₹ 69,575.47 crore towards subscription to International Monetary Fund for Quota increase. After taking into account additional receipts of ₹ 52,181.60 crore by issue of securities, monetising ₹ 17,393.87 crore through India's SDR holding with RBI and saving of ₹ 2,618.94 crore available in the Revenue Section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.
(ङ) हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लि. को दूसरी किस्त जारी करने और अन्य प्रयोजक प्राधिकरणों को भुगतान के लिए ₹ 131 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कुछ भी अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।	(e) meeting additional requirement of ₹ 131 crore towards release of 2nd installment to Hyderabad Metro Rail Ltd. for Hyderabad Metro Rail (HMR) and other sponsoring authorities. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	15311.80	17495.00	32806.80	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	500.05	12221.23	12721.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15811.86	29716.24	45528.10	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अटल पेंशन योजना के उपभोक्ताओं पर हुए ₹ 150 करोड़ के सरकारी अंशदान के अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ख) (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के ₹ 5050 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
(ii) इंडिया एस्पिरेशन फंड के तहत सिडबी को सहायता अनुदान। देश में स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी प्रवाह (₹ 500 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 150 crore towards Government Contribution to the subscribers of Atal Pension Yojna.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) meeting additional expenditure of ₹ 5050 crore on recapitalization of Public Sector Banks (PSBs)
(ii) Grants-in-aid to SIDBI under India Aspiration Fund (IAF). The flow of equity to start-ups and growth stage Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) in the Country (₹ 500 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 37

राज्य और संघ राज्य सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)
(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 88864.52	12600.00	101464.52
	स्वीकृत:	Voted: 35205.00	...	35205.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2989.00	...	2989.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 1484.78	...	1484.78
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	128543.30	12600.00	141143.30
	भारित:	Charged: 88864.52	12600.00	101464.52
	स्वीकृत:	Voted: 39678.78	...	39678.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	1484.78	1484.78

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	...	(-) 1484.78	(-) 1484.78

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, बिना मौसम वर्षा, ओला वृष्टि आदि से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 1484.78 करोड़)
1.4.2015 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में उपलब्ध कोष का उपयोग करने पर, उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Providing additional Funds as assistance to States affected by Natural Calamities like flood, unseasonal rain, hailstrom, etc. (₹ 1484.78 crore)
Utilizing funds available as on 1.4.2015 in National Calamity Contingency Fund (NCCF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	140.00	...	140.00
	स्वीकृत:	Voted:	27145.00	...	27145.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	500.00	...	500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		27785.00	...	27785.00
	भारित:	Charged:	140.00	...	140.00
	स्वीकृत:	Voted:	27645.00	...	27645.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	500.00	500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

01.01.2006 से हुए पेंशन समीक्षा (₹ 500.00 करोड़) के कुछ विशेष श्रेणियों के पेंशन भोगियों को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

additional requirement towards payment of arrears to certain category of pensioners due to revision of pension w.e.f 01.01.2006 (₹ 500.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 43

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	16081.67	106.00	16187.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	990.55	...	990.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		17072.25	106.00	17178.25
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	17072.23	106.00	17178.23
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	990.55

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्यों को सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण हुए राजस्व हानि के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति करने के लिए सामान्य अनुदान (₹ 1287.25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 296.70 करोड़ रुपए की बचत और अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध ₹ 96 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 894.55 करोड़ नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

Grants in aid to State Govts. for providing CST Compensation to States for Revenue Loss due to phasing out of CST (₹ 1287.25 crore)

Taking into account the savings of ₹ 296.70 crore available within the same section of the Grant and ₹ 96 crore in the Capital Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 894.55 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 39 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	505.51	...	505.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	19.12	...	19.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		524.64	...	524.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) तकनीकी उन्नयन, स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता (₹ 2.11 करोड़) अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(a) Additional fund required for providing additional Grants-in-aid-General under the scheme for Technology Upgradation, Establishment and Modernization of Food Processing Industries (₹ 2.11 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 48
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	31501.32	867.35	32368.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1100.05	150.02	1250.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	301.02	...	301.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	32902.39	1017.37	33919.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	स्वीकृत: 2071 -Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	100.00 (कa)	100.00
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (खb)	201.00 (गc)	201.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	301.00	301.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सीजीएचएस पेंशनर के अस्पताल बिलों का निपटान (₹ 100 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में कोई नकद खर्च नहीं होगा।

(ख) सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु तंत्र संस्थान, बंगलोर (₹ 6.00 करोड़)। पूंजीगत आस्तियों के लिए अनुदान (iii) राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹ 10.00 करोड़) (iv) भारतीय पाश्चर संस्थान, कन्नूर (₹ 9.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु तंत्र संस्थान, बंगलोर (₹ 3.17 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है

(ग) वेतन सहायता अनुदान (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 95 करोड़) (ii) जेआईपीएमईआर क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, पुदुचैरी (₹ 11.00 करोड़) (iii) स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 95 करोड़)

उपर्युक्त व्यय में कोई नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Settlement of hospital bills in respect of CGHS Pensioners (₹ 100 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) Grants in aid General (i) National Programme for the Health care of the Elderly (₹ 0.50 crore) (ii) National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 6.00 crore). Grants for creation of Capital Assets (iii) National Programme for the Health Care of the Elderly (₹ 10.00 crore) (iv) Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 9.00 crore) (v) Grants in aid Salaries for National Institute of Mental Health & Neuro Science, Bangalore (₹ 3.17 crores)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants in Aid Salaries (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 95 crore) (ii) Regional Post Graduate Centre JIPMER, Puducherry (₹ 11 crore) (iii) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 95 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

- | | |
|---|--|
| <p>(घ) (i) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.00 करोड़) (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.44 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है</p> | <p>(d) (i) Grants for creation of capital assets for North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences (₹ 5.00 crore). (ii) Grants in aid Salaries for Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 9.44 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 50

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1347.00	50.00	1397.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	267.51	...	267.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1614.52	50.00	1664.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2.70 करोड़ रु.)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

Grants in aid General to State AIDS Control Societies (SACS) (₹ 2.70 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	275.73	1349.00	1624.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	198.94	0.01	198.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	8.97	...	8.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		483.64	1349.01	1832.65
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	8.97	8.97
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2852 - उद्योग	2852 - Industries		...	(-) 8.97	(-) 8.97

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हिन्दुस्तान नमक लिमिटेड के संबंध में आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 3.00 करोड़) को बदलना और उस पर जीआईए को प्रोद्भूत (₹ 5.97 करोड़) का ब्याज, नमक विभाग के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान करने हेतु। तकनीकी पूरक की मांग की जाती है, जिसमें कोई नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

conversion of Non-Plan loan (₹ 3.00 crore) and interest accrued thereon (₹ 5.97 crore) to GIA in respect of Hindustan Salts Limited for the payment of pension to the ex-employees of Salt Department. Technical supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1521.57	48.43	1570.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	195.38	...	195.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1716.96	48.43	1765.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- म्यूचुअल कानूनी सहायता के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.03 करोड़)।
- 'पुलिस पदक' (₹ 2 करोड़) का व्यय पूरा करना।
- प्रोटेक्टिज के आवास पर 'सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य' का व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

- meeting expenditure for scheme of 'Mutual Legal Assistance' (₹ 0.03 crore).
- meeting expenditure for Police Medal (₹ 2 crore)
- meeting expenditure for 'Security related works' at the residence of Protectees (₹ 1.59 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted:	53568.83	9015.49	62584.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	970.35	100.03	1070.38
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of the amount				
का पूरक अनुमान:	now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	285.07	144.26	429.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	54836.53	9267.70	64104.23	
	भारित:	Charged:	12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted:	54824.25	9259.78	64084.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 - Police	Voted:	...	285.07 (का)	285.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055 - पुलिस पर पूंजी	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (खब)	144.25 (गक)	144.26
परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	429.32	429.33

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2055 - पुलिस	2055 - Police	...	(-) 9.00	(-) 9.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्न का व्यय पूरा करना (i) वेतन (₹ 137.99 करोड़), (ii) गुप्त सेवा व्यय (₹ 142.20 करोड़), (iii) अनुसंधान (₹ 24.37 करोड़), (iv) कपड़ों और टेनेज अधिप्राप्ति (₹ 52.80 करोड़) (v) शस्त्र और गोला-बारूद (₹ 117.99 करोड़) (vi) लघु कार्य (₹ 18.00 करोड़), (vii) सीआईएसएफ के वेतन (₹ 9 करोड़) के तैनाती प्रभार के लेखा की प्राप्ति से पूरा करना, (viii) पेशेवर सेवाएं (₹ 27 करोड़), (ix) पुलिस के लिए डीटीई (₹ 10 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) for meeting expenditure for (i) Salaries (₹ 137.99 crore), (ii) Secret Service Expenditure (₹ 142.20 crore) (iii) Research (₹ 24.37 crore). (iv) procurement of Clothing & Tentage (₹ 52.80 Crore) (v) procurement of Arms & Ammunition (₹ 117.99) (vi) Minor Works (₹ 18.00 crore), (vii) Salary for CISF (₹ 9 crore- matched by receipts on account of deployment charges) (viii) Professional Services (₹ 27 crore) (ix) DTE for Delhi Police (₹ 10 crore)

अनुदान के प्रभारित भाग में ₹ 254.28 करोड़ बचतें और ₹ 9.00 करोड़ की प्राप्ति ₹ 2.09 करोड़ की अभ्यर्पित बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 273.98 करोड़ का नकद खर्च होगा।

Taking into account the savings of ₹ 254.28 crore, receipts of ₹ 9.00 crore and surrender of savings of ₹ 2.09 crore under Charged section available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 273.98 crore.

- (ख) (i) सीमा प्रबंधन प्रभाग-मुख्य कार्य (₹ 40 करोड़) द्वारा फ्लोटिंग बोर्डर आऊट पोस्ट की अधिप्राप्ति/निर्माण (ii) निर्भया निधि के तहत "महिलाओं की सुरक्षा स्कीम" के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.45 करोड़)।

- (b) (i) procurement/construction of Floating Border Out Posts by Border Management Division - Major Works (₹ 40 crore) (ii) for meeting expenditure on procurement of Machineries and Equipments for "safety of women scheme" under Nirbhaya Fund (₹ 0.45 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) निम्न का व्यय पूरा करना (i) अनुसंधान (₹ 652 करोड़) (ii) असम राइफल्स के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति (₹ 5 करोड़) और आंसू गैस ईकाई (₹ 0.40 करोड़)।

- (c) meeting expenditure for (i) Research (₹ 652 crore) (ii) procurement for Machineries and Equipments for Assam Rifles (₹ 5 crore) and Tear Smoke Unit (₹ 0.40 crore)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 513.15 करोड़ की बचतों को देखते हुए उसमें ₹ 144.25 करोड़ का नकद खर्च होगा।

Taking into account the savings of ₹ 513.15 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 144.25 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 56

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	2206.03	358.53	2564.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	44.45	...	44.45
	स्वीकृत:	Voted:	27.93	...	27.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2278.45	358.54	2636.99	
	भारित:	Charged:	44.48	...	44.48
	स्वीकृत:	Voted:	2233.97	358.54	2592.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 - Civil Aviation	Voted:	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नागालैंड राज्य को बकाया बिलों और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए देय लंबित सब्सिडी का भुगतान (₹ 30 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) आपदा के मामले में शीघ्र अंतःक्षेप के लिए विशेष क्षमता निर्माण के लिए मशीनरी और उपकरण (₹ 8 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) payment of the outstanding bills and pending subsidy dues to the State of Nagaland for helicopter services (₹ 30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) for Machinery & Equipment for building up specialized capability for rapid intervention in case of disaster (₹ 8 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1696.00	72.00	1768.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	58.90	...	58.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1754.90	72.00	1826.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 49.90 (का)	9.00 (खb)	58.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण का केन्द्रीय सरकार के हिस्से के भुगतान का व्यय पूरा करना (₹ 49.90 crore) उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा
- (ख) 1984 के दंगों में हुई मौतों, चोटों, आवासीय संपत्ति के नुकसान के व्यय को पूरा करना (₹ 9 crore)। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting expenditure to pay the Central Government's share for construction of additional block of Delhi High Court (₹ 49.90 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting expenditure for enhanced compensation for death, injury, damage to residential property in 1984 riots (₹ 9 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 59

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	69794.50	...	69794.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	67.02	...	67.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	69861.55	...	69861.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 67.00 (का)	0.01 (खb)	67.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 67.01	0.01	67.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न के लिए सामान्य अनुदान सहायता (i) बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम (₹ 62 करोड़)(ii) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 61.50 करोड़)(iii) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/एसआरसी/ संस्थाओं को सहायता(₹ 24.27 करोड़)(iv) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (₹ 5.64 करोड़) (v) नवोदय विद्यालय समिति के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 59.14 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 40 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹ 108 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 293.55 करोड़ बचतों को देखते हुए, उसमें ₹ 67 करोड़ नकद खर्च होगा।
- (ख) (i) एनसीईआरटी (₹ 32.79 करोड़) की अनुदान सहायता वेतन। (ii) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत अन्य प्रभार (₹ 0.22 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) नवोदय विद्यालय समिति के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 17 करोड़) (ii) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/एसआरसी/संस्थानों को सहायता के अन्तर्गत अनुदान सहायता सामान्य (₹ 0.73 करोड़) (iii) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के तहत अनुदान सहायता सामान्य(₹ 30 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-Aid General under (i) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (₹ 62 crore) (ii) National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹ 61.50 crore) (iii) Support to NGOs/SRC's/Institutions for Adult Education & Skill Development (₹ 24.27 crore) (iv) National Programme of Mid Day Meals in Schools (₹ 5.64 crore) and (v) for Navodaya Vidyalaya Samiti under Grants in aid General (₹ 59.14 crore), Grants for Creation of capital Assets (₹ 40 crore) and Grants in aid salaries (₹ 108 crore).
Taking into account the savings of ₹ 293.55 available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 67 crore.
- (b) (i) Grants in aid Salaries under NCERT (₹ 32.79 crore) (ii) Other Charges under National Award to Teachers (₹ 0.22 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants in aid Salaries under Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 17 crore) (ii) Grants in aid General under Support to NGOs/SRC's/Institutions for Adult Education & Skill Development (₹ 0.73 crore) (iii) Grants in aid General (₹ 30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) under Strengthening of Teachers Training Institutions.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	26855.26	...	26855.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.06	...	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		26855.37	...	26855.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.01	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (₹ 350.00 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारतीय भाषा प्रोत्साहन हेतु अनुदान (₹ 1.50 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(a)	(i) University Grant Commission under Grants-in-Aid General (₹ 350.00 crore) (ii) Grants for Promotion of Indian Language under Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) and Grants in aid Salaries (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	भारतीय भाषा प्रोत्साहन हेतु अनुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(b)	Grants in aid General (₹ 2 crore) under Grants for Promotion of Indian Language Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 20 करोड़) (ii) अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (₹ 170 करोड़) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण पहल (₹ 8.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c)	Grants in aid General for (i) Indian Institutes of Technology (₹ 20 crore) (ii) All India Council for Technical Education (₹ 170 crore) Grants for Creation of capital assets (iii) National Initiative for Technology Transfer (₹ 8.25 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 100 करोड़) (ii) एसएलआईटी, एनआईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी, रांची तथा सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं को सहायता (₹ 30 करोड़)।	(d)	Grants for Creation of Capital Assets under (i) National Institute of Technology (₹ 100 crore) (ii) Assistance to Other institute including SLIET, NERIST, NIFFT, Ranchi & CIT, Kokrajhar (₹ 30 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (₹ 5.00 करोड़) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।	(e) Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan under Grants in aid General (₹ 5.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3686.11	25.00	3711.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	73.70	...	73.70
स्वीकृत:	Voted:	11116.79	0.01	11116.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14876.62	25.01	14901.63
भारित:	Charged:	73.70	...	73.70
स्वीकृत:	Voted:	14802.92	25.01	14827.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (क) 'बच्चों के लिए फिल्म निर्माण' स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म और वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए (₹ 2 करोड़) अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) भारतीय जनसंचार संस्थान के स्टाफ के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के खर्चों को पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़) की अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional grants-in-aid general for production of Films and Documentaries in various regional languages under the scheme 'Production of films for children' (₹ 2 crore). A token supplementary is sought taking into account the savings available within the same section of the grant;
- (b) providing additional grants-in-aid salaries to Indian Institute of Mass Communication towards meeting its expenditure on retirement benefits (₹ 1 crore). Taking into account the savings available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5522.41	46.30	5568.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	6.00	6.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	123.73	...	123.73
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5646.15	52.30	5698.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: 0.01 (का)	123.70 (खb)	123.71
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	123.70	123.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) कौशल विकास मिशन योजना के तहत अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹ 2.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) वस्तुशीर्ष "अंशदान" और सामान्य सहायता अनुदान में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में अंशदान के सरकार के हिस्से के भुगतान के लिए ₹ 1000.00 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में ₹ 876.30 करोड़ की उपलब्ध बचत देखते हुए, उपरोक्त खर्च में ₹ 123.70 करोड़ नकद देने होंगे।
- (ग) योजना-कौशल विकास मिशन में सामान्य सहायता अनुदान में वस्तुशीर्ष में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति उप-आयोजना और जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना (₹ 4.00 करोड़) और योजना-कौशल विकास मिशन में सामान्य सहायता अनुदान के तहत सामान्य घटक (₹ 8.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (घ) योजना-कौशल विकास मिशन में सामान्य सहायता अनुदान में वस्तुशीर्ष में सामान्य घटक, (₹ 2.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional expenditure under the scheme - Skill Development Mission (₹ 2.50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 1000.00 crore for payment of Government share of contribution toward Employees Pension Scheme, 1995 in the object heads 'Contribution' and Grants-in-aid General.
As savings of ₹ 876.30 crore available in the same section of the grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 123.70 crore.
- (c) meeting the additional expenditure towards General Component, Scheduled Caste Sub Plan & Tribal Area Sub-plan in the object head Grants in aid General in the scheme - 'Skill Development Mission' (₹ 4.00 crore) and General Component under Grants-in-aid General in the scheme - 'Skill Development Mission (EAP)' (₹ 8.00. crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting the additional expenditure towards General Component under the object head Grants-in-aid General in the Schemes - Skill Development Mission (₹ 2.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 63

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)
(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	76.00	4.00	80.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	5.00	5.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	8.00	8.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		76.00	17.00	93.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	8.00	8.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन संस्थान आईआईआईडीईएम के परिसर (₹ 8.00 करोड़) निर्माण से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 4.00 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इस अनुपूरक में ₹ 4.00 करोड़ के नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure relating to construction of India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) Campus (₹ 8.00 crore),

After taking into account the savings of ₹ 4.00 crore in the Revenue Section of the Grant, this supplementary will entail a cash outgo of ₹ 4.00 crore

मांग संख्या DEMAND NO. 64

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)
(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3420.90	102.75	3523.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3420.92	102.75	3523.67
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विधि अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और मध्यस्थत पैनल काउंसिल के पेशेवर शुल्क के सरकारी काउंसल (₹ 8.88 करोड़) के भुगतान का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure towards payment of Professional fees to Law Officers, Government Counsel of Supreme Court , High Courts, Subordinate Courts and Arbitration Panel Counsel (₹ 8.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

विनियोग - भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:	Charged:	155.00	...	155.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	13.52	...	13.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	2.50	...	2.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		171.02	...	171.02

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged:	...	2.50	2.50

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माननीय न्यायाधीशों और स्टाफ के वेतन और भत्तों (₹ 0.50 करोड़) और रजिस्टरी के विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के संशोधित वेतन और वेतन और भत्तों के बकाया के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को पूरा करना (₹ 2.00 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the additional expenditure towards payment of Pay and allowances to Hon'ble Judges & Staff (₹ 0.50 crore) and revised pay and arrears of pay & Allowances to certain categories of employees of the Registry (₹ 2.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 61 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2997.12	10.30	3007.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	13.43	...	13.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3010.59	10.30	3020.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 7.46 (खb)	5.96 (गc)	13.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 7.47	5.96	13.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) (i) 2015-16 की शेष अवधि के लिए स्कीम के अंतर्गत मार्जिन धन सब्सिडी की देनदारी हेतु वस्तु शीर्ष "अनुदान सहायता" पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) (₹ 28.09 करोड़) (ii) चालू वर्ष 2015-16 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" वस्तु शीर्ष के तहत प्रतिबद्ध देयता के तहत कामगारों के लिए वर्क्स शेड स्कीम (₹ 0.10 करोड़) (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "पूंजी आसक्तियों के सृजन के लिए अनुदान" वस्तु शीर्ष के तहत "प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सहायता (₹ 0.90 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (₹ 205.59) 'वस्तु शीर्ष' 'सहायता अनुदान' के तहत जिसमें एससीएसपी के लिए (₹ 35.89 करोड़) और टीएससी के लिए (₹ 25.82 करोड़), शामिल है, ताकि इस योजना के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी की देनदारी को पूरा किया जा सके। (ii) खादी कामगारों के लिए वर्कसेड योजना (₹ 1.90 करोड़) वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान के तहत जिसमें एससीएसपी के लिए (₹ 0.28 करोड़) और टीएससी के लिए (₹ 0.38 करोड़)। ताकि प्रतिबंध देनदारी पूरी की जा सके। (iii) 'स्फूर्ति' (₹ 0.48 करोड़) वस्तु शीर्ष कार्यालयी व्यय- आईटी के तहत के लिए, जो विषयगत दखल कार्यवाई संबंधी आवश्यकता के लिए है, (iv) स्फूर्ति प्रयोजन शीर्ष कार्यालयी प्रशासनिक व्यय के अधीन (₹ 0.50 करोड़) जो

The supplementary grants are required for:

(a) (i) "Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP)" (₹ 28.09 crore) under the object head "Grants-in-Aid" for NER, for the liability of Margin Money Subsidy under the scheme for the remaining period of 2015-16, (ii) Workshed Scheme for Khadi Artisans" (₹ 0.10 crore) under the object head "GIA" for NER for the committed liability of the Current year 2015-16, (iii) "Assistance to Training Institutions" (₹ 0.90 crore) under the object head "Grants for creation of Capital Assets" for NER for the current requirement. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" (₹ 205.59 crore) under the object head "GIA" including (₹ 35.89 crore) for SCSP and (₹ 25.82 crore) for TSP for the liability of Margin Money Subsidy under the scheme, (ii) "Workshed Scheme for Khadi Arisans" (₹ 1.90 crore) under the object head "Grant in Aid" including (₹ 0.38 crore) for SCSP and (₹ 0.28 crore) for TSP for the committed liability, (iii) "SFURTI" (₹ 0.48 crore) under the object head "Office Expenses- IT" for the requirement under Thematic Interventions activity, (iv) "SFURTI" (₹ 0.50 crore) under the object head "Office Administrative

प्रशासनिक खर्च, मॉनिटिंग और मूल्यांकन खर्च संचार और लेखन सामग्री संबंधी व्यय के लिए है। (v) स्फूर्ति (₹ 0.02 करोड़) 'वस्तु शीर्ष' व्यावसायिक सेवाएं के अन्तर्गत। (vi) नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता योजना (अस्पायर) वस्तु शीर्ष (अन्य प्रशासनिक व्यय) के अन्तर्गत ₹ 1.00 करोड़। (vii) कार्य निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना (₹ 9.00 करोड़) जो प्रतिबद्ध देनदारी वाले वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान के तहत है। (viii) विपणन सहायता योजना (₹ 2.52 करोड़) जो उस योजना के तहत मौजूदा आवश्यकता के लिए वस्तु शीर्ष सब्सिडी के अन्तर्गत है। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इस व्यय में (₹ 7.46 करोड़) का नकद खर्च होगा।

(ग) (ग) (i) खादी और ग्राम उद्योग (₹ 14.00 करोड़) जो वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य के अन्तर्गत आयोग के पेंशन भोगियों को पेंशन के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध देनदारी के तौर पर है। (ii) खादी और ग्राम उद्योग (₹ 13.00 करोड़) जो वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य के अन्तर्गत आयोग के पेंशन भोगियों को वेतन और भत्तों के व्यय के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध देनदारी के तौर पर है। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इस व्यय में (₹ 5.96 करोड़) का नकद खर्च होगा।

Expenses" for the administrative cost, monitoring & evaluation cost, SFURTI related communication and stationery expenses etc., (v) "SFURTI" (₹ 0.02 crore) under the object head "Professional Services" (vi) A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) (₹ 1.00 crore) under the object head "Other Administrative Expenses" (vii) "Performance & Credit Rating Scheme" (₹ 9.00 crore) under the object head "GIA" for the committed liability, (viii) "Marketing Assistance Scheme" (₹ 2.52 crore) under the object head "Subsidies". Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this would entail a net cash outgo (₹ 7.46 crore).

(c) (i) "Khadi and Village Industries" (₹ 14.00 crore) under the object head "GIA General" for the committed liabilities towards payment of Pension to the Pensioner of the Commission, (ii) "Khadi and Village Industries" (₹ 13.00 crore) under the object head "Grant in Aid Salaries" for the committed liabilities towards Pay and Allowances expenditure of the Commission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this would entail a cash outgo (₹ 5.96 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3618.11	120.00	3738.11	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3618.16	120.00	3738.16	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) (i) उपशीर्ष और विस्तृत शीर्ष खोलने के लिए 'नई मंजिल' नामक नई योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (ii) उपशीर्ष और विस्तृत शीर्ष खोलने के लिए 'नई मंजिल' नामक नई योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़) और (iii) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.45 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) (ख) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid-General for new Scheme namely 'Nai Manzil' for opening of sub-heads and detailed heads (₹ 0.01 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for new Scheme namely 'Nai Manzil' for opening of sub-heads and detailed heads (₹ 0.01 crore) and (iii) Grants-in-aid-General for the schemes of National Fellowship for Students from Minority Communities (₹ 5.45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grants-in-aid-General for the schemes of National Fellowship for Students from Minority Communities (₹ 0.30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 69

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2708.21	95.00	2803.21
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1500.01	0.01	1500.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4208.24	95.01	4303.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (क) (क)	...	0.01
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 0.01 (ख) (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 50एम/80एम (₹ 8.00 करोड़) के लिए ऑफ गिड पवन विद्युत-उत्तर पूर्व क्षेत्र के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ख) (ख) ऑफ गिड/संवितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत पवन विद्युत (₹ 0.06 करोड़) जैव विद्युत (₹ 0.10 करोड़) और नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान डिजाइन और विकास-पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 8.70 करोड़) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (₹ 25.00 करोड़) के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional fund under Off-grid-wind Power-North Eastern Region for carrying out Wind Resource assessment at 50M/80M (₹ 8.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing additional funds under Off-grid/distributed and Decentralized Renewable Power-Wind Power (₹ 0.06 crore), Bio Power (₹ 0.10 crore) and Research, Design & Development in Renewable energy - Centre for Wind Energy Technology (₹ 8.70 crore) and National Institute of Solar Energy (₹ 25.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 72

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	15.57	...	15.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.18	...	0.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15.75	...	15.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.18	0.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संवर्ग समीक्षा के कारण उत्पन्न पदधारक नए रंगरूट/नवनियुक्त व्यक्तियों के मंहगाई भत्ते और वेतनों के भुगतान की अतिरिक्त किस्में जारी करने कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure due to release of additional instalments of DA and payment of Salaries to the new recruits/incumbents holding the posts created due to cadre review.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	7.62	2.50	10.12
	स्वीकृत:	Voted:	1023.03	120.75	1143.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	7.61	...	7.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	4.33	...	4.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1042.59	123.25	1165.84	
	भारित:	Charged:	7.62	2.50	10.12
	स्वीकृत:	Voted:	1034.97	120.75	1155.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत: 2051 -Public Service Commission	Voted:	...	4.32 (खb)	4.32
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	4.32	4.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) आरटीआई अधिनियम के प्रचार प्रसार को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.32 करोड़) (ii) राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.04 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थिक
- (ख) कर्मचारी चयन आयोग की "पेशेवर सेवाओं" के लिए व्यय पूरा करना (₹ 4.32 करोड़)
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, तकनीकी पूरक मांगा जाता है और उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देश होगी।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for (i) Grants-in-aid-General of "Propagation of RTI Act" (₹ 0.32 crore) (ii) Grants-in-aid-Salaries of National Council (JCM) (₹ 0.04 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure for "Professional Services" of Staff Selection Commission (₹ 4.32 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought and the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)
(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	30124.55	1.00	30125.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	47.00	1153.00	1200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	23.80	...	23.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		30195.35	1154.00	31349.35
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	23.80	23.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभेदक रॉयल्टी (₹ 53.80 करोड़) के भुगतान हेतु राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 30 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 23.80 करोड़ का नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

releasing Grant-in-aid General to States Governments for payment of differential royalty (₹ 53.80 crore)

Taking into account the savings of ₹ 30 crore available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 23.80 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 80

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत:	Voted:	335.32	...	335.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	1.96	...	1.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		338.35	...	338.35
	भारित:	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत:	Voted:	337.28	...	337.28

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	स्वीकृत: 2011 -Parliament/State/Union Territory Legislatures	Voted:	...	1.96	1.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करना (i) संसद भवन परिसर में उत्तरी रेलवे की जलपान ईकाई की सब्सिडी दावों का निपटान (₹ 0.28 करोड़), (ii) उत्तर रेलवे को संसद भवन परिसर में जलपान सेवा प्रदान करने पर हुए स्थापना प्रभारों का भुगतान और नई गठित न्यायधीश जांच समिति (₹ 1.00 करोड़) के बिलों का भुगतान, (iii) सचिवालय स्टाफ के घरलू यात्रा के सभी दौरों के बीजक/बैठक के बिलों के निपटान हेतु (₹ 0.28 करोड़), (IV) पीटीआई भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिए घरेलू स्थान के मासिक किराया प्रभारों का भुगतान (₹ 0.10 करोड़) और (v) डीएवीपी भुगतान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भुगतान न करने वाले ग्राहकों/आंशिक भुगतान करने वाले ग्राहकों को पूर्ण भुगतान करने वाले ग्राहकों में परिवर्तन करने के निर्णय के बाद विज्ञापन और प्रचार के कार्य हेतु (₹ 0.30 करोड़)

अनुदान के राजस्व/प्रभारित भाग में (₹ 0.30 करोड़) की बचत को ध्यान में रखते हुए (₹ 1.66 करोड़) का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional requirement of funds towards (i) settlement of Subsidy Claim of Northern Railway catering units in Parliament House Complex (₹ 0.28 crore), (ii) Payment of Northern Railway towards Establishment charges incurred by them for providing catering services in Parliament House Complex and payment of bills relating to newly constituted Judges Inquiry Committee (₹ 1.00 crore), (iii) Settlement of AI Invoices/Committee tour Bills in respect of official domestic visits of the staff of the Secretariat (₹ 0.28 crore), (iv) payment of monthly hiring charges for office domestic space at PTI Building, New Delhi (₹ 0.10 crore) and (v) payment to DAVP, Advertisement and Publicity work after the decision of the Ministry of Information and Broadcasting to convert all non-paying/partly paying clients into fully paying clients (₹ 0.30 crore)

After taking into account the savings of ₹ 0.30 crore in the Revenue/charged Section of the Grant, this supplementary will entail a cash outgo of ₹ 1.66. crore

संख्या NO. 81 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित:	Charged:	200.00	... 200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged:	13.00	... 13.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	213.00	...	213.00
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051 - लोक सेवा आयोग	भारित: 2051 - Public Service Commission	Charged:	...	13.00 13.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रशासनिक व्यय, परीक्षा, भर्ती परीक्षा और चयनों (₹ 13.00 करोड़) के अतिरिक्त/बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए। जिसका ₹ 5.00 करोड़ भारत की आकस्मिक निधि से अनुमोदित किया गया, जिसमें से पूरक अनुदान के बाद भारत की आकस्मिक निधि में वापिस लिया जाएगा।

उपरोक्त व्यय में कोई नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional/increased expenditure on Administrative expenses, examination, Recruitment Tests & Selections (₹ 13.00 crore). Out of which ₹ 5.00 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India which shall be recouped to the Contingency Fund of India after supplementary grant is passed.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 82

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
-------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

स्वीकृत:	Voted:	4.05	...	4.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2.90	...	2.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
		6.95	...	6.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	स्वीकृत:	2012 -President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	Voted:	...	2.90	2.90
--	----------	---	--------	-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

खराब हो चुकी एंबेसकर बुलेट प्रूफ कार के बदले में हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ कार की खरीद के लिए (₹ 2.90 करोड़)
उपर्युक्त खर्च में नकद देना होगा।

The supplementary grant is required for:

for purchase of Sedan High Security Bullet proof car as replacement of the condemned Ambassador Bullet proof car (₹ 2.90 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	10.50	10.50
	स्वीकृत:	Voted:	16560.00	62508.24	79068.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	70.02	5528.57	5598.59
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of the amount				
का पूरक अनुमान:	now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	6803.92	1290.00	8093.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		23433.94	69337.31	92771.25
	भारित:	Charged:	...	10.50	10.50
	स्वीकृत:	Voted:	23433.94	69326.81	92760.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	6803.91	(का) ...	6803.91
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत:	3055 -Road Transport	Voted:	0.01	(खb) ...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	6803.92	...	6803.92
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5054 - सड़क और पुलों पर	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	1290.00	(गc) ...	1290.00
पूंजी परिव्यय		Bridges				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	8093.92	...	8093.92

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5054 - सड़क और पुलों पर	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	(-) 1290.00	...	(-) 1290.00
पूंजी परिव्यय		Bridges			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय सड़क कोष (₹ 6889.91 करोड़) को अन्तरण।
(ii) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और अन्तर्राज्य सड़क (₹ 61.35 करोड़ जिसके केन्द्रीय सड़क कोष से पूरा किया जाएगा)। स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त मांग के लिए अनुदान।
(iii) अनुसंधान और विकास (₹ 10.00 करोड़, जिसको केन्द्रीय सड़क कोष से पूरा किया जाएगा)। सहायता अनुदान सामान्य और अन्य प्रशासनिक खर्च प्रदान करना।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) transfer to Central Road Fund (₹ 6889.91 crore).
(ii) meeting additional requirement towards Grants for creation of Capital Assets under the scheme Economically Important and Inter-State Road (₹ 61.35 crore to be met from Central Road Fund).
(iii) providing Grants-in-aid General and other administrative expenses under Research and Development Scheme (₹ 10.00 crore to be met from Central Road Fund).

अनुदान के पूंजी भाग में अभ्यर्पित बचतों (₹ 5528.56 करोड़) को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में ₹ 1275.35 करोड़ नकद खर्च होंगे।

- (ख) राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क (₹ 10.00 करोड़) के विकास और सहायता के लिए अतिरिक्त मांग को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ग) (i) 'विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम उत्तर-पूर्व में (₹ 900.00 करोड़) की अतिरिक्त मांग पूरी करना।
- (ii) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम के तहत-विश्व बैंक (₹ 70.00 करोड़) की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करना।
- (iii) सड़क स्कंद (₹ 130.00 करोड़) की बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम के लिए प्रतिपक्ष निधियन प्रदान करना।
- (iv) चालू राष्ट्रीय राजमार्ग (अन्य) कार्य- मुख्य निर्माण कार्य (₹ 2279.00 करोड़) की अतिरिक्त मांग को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों और केन्द्रीय सड़क कोष (₹ 1290.00 करोड़), को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद खर्च नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 5528.56 crore) and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1275.35 crore.

meeting additional requirement for development and support of National Database Networks (₹ 10.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional requirement under the scheme 'Special Accelerated Road Development Programme' in North Eastern Areas (₹ 900.00 crore).
- (ii) towards committed liabilities under Externally Aided Schemes - World Bank (₹ 70.00 crore).
- (iii) providing counterpart funding for Externally Aided Schemes of Road Wing (₹ 130.00 crore).
- (iv) meeting additional requirement towards on-going National Highway (Other) Works - Major Works (₹ 2279.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and recoveries from Central Road Fund (₹ 1290.00 crore), the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	114047.58	...	114047.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	12974.42	...	12974.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2008.01	...	2008.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	129030.01	...	129030.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत: 2501 -Special Programmes for Rural Development	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 2008.00 (खb)	...	2008.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 2008.01	...	2008.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत आईपीपीई-II (₹ 23.00 करोड़) और आरएसईटीआई (₹ 10.00 करोड़) की अभिसरण गतिविधियों और एनआरओ की अतिरिक्त राशि को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सतत जीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना की अतिरिक्त राशि (₹ 13.00 करोड़) को पूरा करना। (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जीआईए के रूप में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त राशि (₹ 2008.80 करोड़) पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 13.00 करोड़ की बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement for NROs and convergence activities of IPPE-II (₹ 23.00 crores) and RSETI (₹ 10.00 crore) under National Rural Livelihood Mission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional requirement for Sustainable Livelihood and Adaption to Climate Change Project (SLACC) (₹ 13.00 crore) under National Rural Livelihood Mission and (ii) additional requirement for Grants-in-aid for Creation of Capital Assets (₹ 2008.00 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA). After taking into account savings of ₹ 13.00 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1637.50	...	1637.50	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1637.52	...	1637.52	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत: 2501 -Special Programmes for Rural Development	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) नीरांचल की नई अनुमोदित स्कीम के तहत कार्यालय खर्च के अन्तर्गत मुख्यालय के खर्च (₹ 0.10 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (ख) नीरांचल के लिए नई अनुमोदित स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत राज्यों को निधियां जारी करने के लिए (₹ 4.50 करोड़) के अतिरिक्त मांग पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) towards expenditure of Headquarter under Office Expenses under newly sanctioned scheme of Neeranchal. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement (₹ 4.50 crore) for release of funds to States under newly sanctioned scheme of Neeranchal under Grant-in-Aid General. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)
(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3843.98	17.82	3861.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3844.03	17.82	3861.85
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3844.01	17.82	3861.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) निम्न के लिए सामान्य अनुदान सहायता (क) वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थान/व्यवसायिक निकाय (₹ 6 करोड़) (ख) सामाजिक आर्थिक विकास (एसएण्डटी) संचार व प्रचार-प्रसार के लिए एसएण्डटी कार्यक्रम (₹ 4 करोड़) (ग) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 6 करोड़) (II) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (क) वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थान/व्यवसायिक निकाय को सहायता (₹ 21 करोड़) और (ख) राष्ट्रीय सूक्ष्म विज्ञान और सूक्ष्म तकनीकी मिशन (₹ 3.15 करोड़) और विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 1. करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General for (a) Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies (₹ 6 crore) (b) S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Communication & popularization) (₹ 4 crore) (c) Disha Programme for Women in Science (₹4 crore) and (d) International Cooperation S&T Cooperation with Other Countries (₹ 6 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to (a) Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies (₹ 21 crore) and (b) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 3.15 crore) and for Disha Programme for Women in Science (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	4024.00	7.00	4031.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	7.01	...	7.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4031.01	7.00	4038.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01 (का)	7.00 (खb)	7.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के तहत सीएसआईआर (₹ 28.10 करोड़) (ii) अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्ति और अध्येता वृत्ति (₹ 27.00 करोड़) (iii) परामर्श विकास केन्द्र (₹ 0.90 करोड़) (iv) सीईएल के लिए अनुसंधान और विकास स्कीम को सहायता (₹ 5.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम (₹ 1.80 करोड़) और (vi) वाणिज्यिकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 1.80 करोड़) और औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के लिए पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.36 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) (i) (ख) (i) प्रशासन के तहत सीएसआईआर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 51.30 करोड़)
- (ii) (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹ 94.70 करोड़)
- अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 1.30 करोड़) को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद (₹ 139 करोड़) उपर्युक्त व्यय में (₹ 5.70 करोड़) का निवल नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 28.10 crore) (ii) Research Schemes, Scholarships and Fellowships (₹ 27 crore) (iii) Consultancy Development Centre (₹ 0.90 crore) (iv) Support for R&D Schemes to CEL (₹ 5 crore) (v) National Research & Development Corporation (₹ 1.80 crore) and (vi) Programme for Development of Technologies for commercialization (₹ 1.80 crore) and Grants for Creation of Capital Assets towards Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD) (₹ 3.36 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General for CSIR under "Administration" (₹ 51.30 crore)
- (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under 'National Laboratories' (₹ 94.70 crore)

Taking into account the surrender of savings (₹ 1.30 crore) available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 139 crore) within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 5.70 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)
(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1625.14	...	1625.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1625.16	...	1625.16
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मानव संसाधन विकास स्कीम के लिए सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General for the Scheme 'Human Resources Development' (₹0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1393.71	386.08	1779.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	40.25	3.03	43.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	6.18	0.01	6.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1440.14	389.12	1829.26
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	6.16 (का)	6.16
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत: 3056 -Inland Water Transport	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	6.17	6.18
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	6.17	6.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) मैसर्स हुगली डोक और पोर्ट इंजीनियरिंग लि.(₹ 51.58 करोड़) आयकर देयताओं का भुगतान।
अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(ख) (i) सामान्य आरक्षित कोष (₹ 8.45 करोड़) को अंशदान।
(ii) लाईट हाउस (₹ 0.30 करोड़) पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 3 की परियोजनाओं/स्कीमों के साथ अन्य परियोजनाओं (₹ 11.00 करोड़) सहित का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(घ) डायरेक्ट्रेट जनरल आफ लाईटहाउस एण्ड लाईटशीप (₹ 0.20 करोड़) के कांडला और जामनगर में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

(a) payment of Income Tax liabilities in respect of M/s. Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 51.58 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) (i) contribution to General Reserve Fund (₹ 8.45 crore).
(ii) meeting additional requirement towards promotion of tourism at Light Houses (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting additional expenditure on projects/schemes of National Waterways 1 and 3 including other projects (₹ 11.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting expenditure on implementation of e-office in Jamnagar and Kandla Directorate for Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	6062.58	462.24	6524.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6062.63	462.24	6524.87

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए निधि जारी करना (i) अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास (₹ 4.69 करोड़), (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹ 12.10 करोड़) और (iii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बालक तथा बालिका छात्रावास (₹ 2.39 करोड़);
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) निम्नलिखित के लिए निधि जारी करना (i) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 7.00 करोड़) शराब और नशीले पदार्थ का दुरुपयोग निवारण स्कीम के तहत (₹ 8.00 करोड़)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) releasing funds for (i) Girls Hostels for Scheduled Castes (₹ 4.69 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Fellowship for Other Backward Classes and Economically Backward Classes (₹ 12.10 crore) and (iii) Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 2.39 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) releasing funds for (i) National Institute of Social Defence (₹ 7.00 crore) and Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse (₹ 8.00 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

विकलांगजन मामले विभाग

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	601.94	35.00	636.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	601.96	35.00	636.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इन के लिए निधि जारी करना (i) अंधे, बहरे, मंद बुद्धि और अस्थि विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.28 करोड़) और वेतन (₹ 3.00 करोड़) (ii) विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.90 करोड़), विकलांगों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (₹ 12.57 करोड़), ब्रेल प्रेस बढ़ाने के लिए सहायता (₹ 5.99 करोड़) और सूचना और जनसंचार शिक्षा प्रकोष्ठ (₹ 15.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

additional funds (i) as Grants in Aid General (₹ 1.28 crore) and Grant in aid Salaries (₹ 3.00 crore) under National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped, (ii) for Grants in Aid General under Aids and Appliances for Handicapped (₹ 25.90 crore), Rajiv Gandhi National Fellowships for persons with disabilities (₹ 12.57 crore), Support for Augmentation of Braille Press (₹ 5.99 crore) and Information & Mass Education Cell (₹ 15.00 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 84 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	4816.72	10.15	4826.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4816.76	10.15	4826.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सहायता अनुदान वेतन के तहत भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता (₹ 8.84 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure under Grants-in-aid- Salaries for Indian Statistical Institute, Kolkata (₹ 8.84 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 85 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	4136.10	138.70	4274.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	259.64	...	259.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	6.51	...	6.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4402.25	138.70	4540.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	6.50 (क)...	6.50
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01 (ख)...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	6.51	6.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के लिए जीआईए के तहत अतिरिक्त राशि पूरी करना ((₹ 6.50 करोड़)।	(a)	(i)	meeting additional requirement (₹ 6.50 crore) under Grants-in-aid General for National Handloom Development Programme.
	(ii)	अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के तहत अतिरिक्त राशि पूरी करना (₹ 32.62 करोड़)।		(ii)	meeting additional requirement(₹ 32.62 crore) under the Grants for Creation of Capital Assets for Infrastructure & Technology Development Projects Scheme.
	(iii)	प्लेन पावरलूम के यथास्थानो उन्नयन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के तहत अतिरिक्त जरूरत (₹ 25.00 करोड़) पूरी करना।		(iii)	meeting the additional requirement (₹ 25.00 crore) under Grants for Creation of Capital Assets for In Situ- Upgradation of Plain Powerloom.
		चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 57.62 करोड़ की बचत है और अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 6.50 करोड़ की बचत उपलब्ध है, पूंजीगत भाग से अभ्यर्पित किए जाएंगे, तकनीकी पूरक मांगा गया है।			As savings of ₹ 57.62 crore is available in the same section of the Grant and ₹ 6.50 crore in the Capital Section of the Grant, would be surrendered from Capital Section, a technical supplementary is sought.
(ख)		जूट स्कीम सहित तकनीकी वस्त्रों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के तहत अतिरिक्त (₹5.45 करोड़ रु.) की अतिरिक्त राशि पूरी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)		meeting additional requirement (₹ 5.45 crores) under Grants for Creation of Capital Assets for Technical Textiles including Jute Scheme, taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 99
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)
(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	3286.72	573.65	3860.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	70.39	219.21	289.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3357.13	792.87	4150.00
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	3357.12	792.87	4149.99
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत: 2405 -Fisheries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	13.12 (गc)	13.12
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801 - विद्युत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	49.10 (चf)	49.10
सड़क और पुल ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (जh)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping				
3052 - नौवहन पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted:	...	8.09 (झi)	8.09
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted:	0.01 (ञj)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted:	0.01 (टk)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	0.08	70.31	70.39
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Ministry of Environment, Forests and Climate Change				

4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(ठl)	...	0.01
6406 - वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण	स्वीकृत:	6406 - Loans for Forestry and Wild Life	Voted:	...		8.54 (डm)	8.54
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	0.01	(ढn)	...	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01	(णo)	...	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development					
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	(तp)	...	0.01
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping					
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted:	0.01	(थq)	...	0.01
5052 - नौवहन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5052 - Capital Outlay on Shipping	Voted:	185.67	(दr)	...	185.67
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	7.48	(धs)	...	7.48
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.88	(नt)	...	1.88
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	Voted:	3.50	(पu)	...	3.50
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	8.00	(फv)	...	8.00
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	4.00	(बw)	...	4.00
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(भx)	...	0.01
4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	(मy)	...	0.01
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	0.01	(यz)	...	0.01
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4405 - Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.01	(ककaa)	...	0.01
4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4515 - Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01	(कखab)	...	0.01
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.01	(कगIac)	...	0.01
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	0.01	(कघad)	...	0.01
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01	(कडae)	...	0.01
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation					
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects	Voted:	0.01	(कचaf)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	210.67		8.54	219.21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	210.75		78.85	289.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	जिला परिषद को सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.52 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन के लिए ग्राम पंचायत को अनुदान (₹ 0.39 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(a)	Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid to Zila Parishad (₹ 0.52 crores) and Grant-in-Aid for creation of capital asset to Gram Panchayat (₹ 0.39 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	विकारी कृषि-बागवानी वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(b)	Additional amount required for procurement of perishable Agri-horticulture commodities (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	होम गार्ड के कार्मिकों को बकाया का भुगतान करने के लिए व्यय पूरा करना (₹ 13.12 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 13.12 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(c)	Meeting the expenditure towards payment of arrears to the Home Guard Personnel (₹ 13.12 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 13.12 crore.
(घ)	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए प्रावधान (₹ 10.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(d)	Provision for State Disaster Response Fund (₹ 10.00 crores) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	जिला परिषद को अनुदान सहायता के लिए व्यय पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(e)	Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid to Zila Parishad under (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	डीजी सेट चलाने के लिए एचएसडी की खरीद के लिए व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 59.79 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 10.69 करोड़ की बचत के मद्देनजर इसमें ₹ 49.10 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(f)	Additional amount required for meeting the expenditure towards purchase of HSD for running DG sets (₹ 59.79 crore). Taking into account the savings of ₹ 10.69 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 49.10 crore.
(छ)	पूंजी आस्ति के सृजन के लिए पीबीएमसी को अनुदान हेतु व्यय पूरा करना (6.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(g)	Meeting expenditure towards Grant for creation of capital assets to PBMC (6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयानुसार जिला परिषद को अनुदान सहायता के तहत भुगतान करना (₹ 1.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(h)	Making payment under Grant-in-Aid to Zila Parishad as per Judgement awarded by the Hon'ble High Court (₹ 1.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	मुख्य द्वीप समूह पोतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए व्यय पूरा करना (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1.91 करोड़ की बचत के मद्देनजर, इसमें ₹ 8.09 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(i)	Meeting expenditure towards repair and maintenance of Mainland-Islands Vessels (₹ 10.00 crore). Taking into account the savings of ₹ 1.91 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 8.09 crore.
(ञ)	विदेश यात्रा खर्च के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.03 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(j)	Meeting expenditure for Foreign Travel Expenses (₹ 0.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	पीबीएमसी को अनुदान सहायता के लिए व्यय पूरा करना (₹ 3.28 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(k)	Meeting expenditure towards Grant-in-Aid to PBMC (₹ 3.28 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत वन भवनों के चालू निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि (₹ 1.40 करोड़, ₹ 0.85 करोड़ और ₹ 0.60 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(l)	Additional amount required for ongoing construction works of forest buildings under three sub-heads (₹ 1.40 crore, ₹ 0.85 crore and ₹ 0.60 crore). Taking into account the savings available in the same sections of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	एनआईएफपीडीसीएल को ऋण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि (₹ 9.00	(m)	Additional amount required for loan to ANIFPDCL (₹ 9.00

	करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.46 करोड़ की बचत के मद्देनजर इसमें ₹ 8.54 करोड़ का नकद व्यय होगा।		crore). Taking into account the savings of ₹ 0.46 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 8.54 crore.
(ढ)	भवनों के चालू निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि (₹ 0.09 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(n)	Additional amount required for ongoing construction works of building (₹ 0.09 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	ग्रामीण सड़कों के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 3.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(o)	Additional amount required for ongoing construction works of rural roads (₹ 3.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	ग्रामीण क्षेत्र में बांध के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 2.50 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र में (₹ 0.80 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(p)	Additional amount required for ongoing construction works of Dam in rural sector (₹ 2.50 crore) and in tribal area (₹ 0.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	दो उप-शीर्ष के अंतर्गत मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 0.35 करोड़ और ₹ 0.27 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(q)	Additional amount required for purchase of machinery under two sub-heads (₹ 0.35 crore and ₹ 0.27 crore). Taking into account the savings available in the same sections of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	दो उप शीर्ष के अंतर्गत जहाजों की खरीद के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 160.52 करोड़ और ₹ 25.15 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 185.67 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(r)	Additional amount required for purchase of ships under two sub-heads (₹ 160.52 crore and ₹ 25.15 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 185.67 crore.
(ध)	तीन उप-शीर्ष के अंतर्गत पुलिस भवन के निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 2.58 करोड़, ₹ 1.50 करोड़ और ₹ 3.40 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 7.48 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(s)	Additional amount required for construction of police buildings under three sub-heads (₹ 2.58 crore, ₹ 1.50 crore and ₹ 3.40 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 7.48 crore.
(न)	दो उप-शीर्ष के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 2.00 करोड़ और ₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1.12 करोड़ की बचत के मद्देनजर इसमें ₹ 1.88 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(t)	Additional amount required for construction of buildings under two sub-heads (₹ 2.00 crore and ₹ 1.00 crore). Taking into account the savings of ₹ 1.12 crore available within the same sections of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1.88 crore.
(प)	भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 3.50 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 3.50 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(u)	Additional amount required for construction of buildings (₹ 3.50 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3.50 crore.
(फ)	दो उप-शीर्ष के अंतर्गत स्कूल भवनों के लिए निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 2.00 करोड़ और ₹ 2.00 करोड़) दो उप-शीर्ष के अंतर्गत कॉलेज भवन (₹ 1.00 करोड़ और ₹ 1.00 करोड़) तथा स्टेडियम (₹ 2.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 8.00 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(v)	Additional amount required for construction of school buildings under two sub-heads (₹ 2.00 crore and ₹ 2.00 crore), college buildings under two sub-heads (₹ 1.00 crore and ₹ 1.00 crore) and stadium (₹ 2.00 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 8.00 crore.
(ब)	2 उप-शीर्ष के अंतर्गत स्वास्थ्य भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 2.50 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 4.00 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(w)	Additional amount required for construction of health buildings under 2 sub-heads (₹ 2.50 crore and ₹ 1.50 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4.00 crore.
(भ)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता 1.52 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक	(x)	Additional amount required for construction of housing (₹ 1.52 crore). Taking into account the savings available in the same section

	अनुदान मांगा गया है।		of the Grant, a token supplementary is sought.
(म)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (1.24 करोड़)।	(y)	Additional amount required for construction of building (₹ 1.24 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 1.50 करोड़)।	(z)	Additional amount is required for construction of building (₹ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कक)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 3.66 करोड़)।	(aa)	Additional amount required for construction of building (₹ 3.66 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कख)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 0.80 करोड़)।	(ab)	Additional amount is required for construction of Building (₹ 0.80 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कग)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।	(ac)	Additional amount is required for construction of building (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कघ)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 1.00 करोड़)।	(ad)	Additional amount is required for construction of building (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कड)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 0.54 करोड़)।	(ae)	Additional amount is required for construction of building (₹ 0.54 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(कच)	भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता (₹ 1.50 करोड़)।	(af)	Additional amount is required for construction of building (₹ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		राजस्व		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		Revenue		पूंजी	जोड़
				Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	27.27	...	27.27
	स्वीकृत:	Voted:	3233.26	570.94	3804.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.08	0.07	0.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3260.61	571.01	3831.62
	भारित:	Charged:	27.27	...	27.27
	स्वीकृत:	Voted:	3233.34	571.01	3804.35
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना		आयोजना-	जोड़
		Plan		भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted:	...	0.01 (ङe)	0.01
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	...	0.01 (चf)	0.01
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted:	...	0.01 (छg)	0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	...	0.01 (जh)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	0.06	0.08
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Ministry of Environment, Forests and Climate Change				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (झi)	...	0.01
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (ञj)	...	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (टk)	...	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				

4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	(ठा)	...	0.01
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted:	0.01	(डम)	...	0.01
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01	(ढन)	...	0.01
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5055 - Capital Outlay on Road Transport	Voted:	0.01	(णो)	...	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.07		...	0.07
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.09		0.06	0.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) अस्पताल चलाने के लिए दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपभोग्य पदार्थों की खरीद और बाहर से लिए गए स्टाफ को भुगतान करने के लिए (₹ 12.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) अस्पताल चलाने के लिए दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपभोग्य पदार्थों की खरीद और बाहर से लिए गए स्टाफ को भुगतान करने के लिए (₹ 2.69 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्यों के हिस्से का भुगतान करने के लिए (₹ 5.25 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (घ) सहायता अनुदान (वेतन) वस्तुशीर्ष के तहत सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए और बढ़ी हुई दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करना (₹ 5.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ङ) दिहाड़ी मजदूरों को बढ़ी हुई दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करना (₹ 2.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (च) दिहाड़ी मजदूरों को बढ़ी हुई दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करना (₹ 2.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (छ) दिहाड़ी मजदूरों को बढ़ी हुई दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करना (₹ 1.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ज) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह खोलने की योजना के तहत लाभार्थियों की दरों में बढ़ोत्तरी (₹ 1.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (झ) इंजीनियरिंग डिग्री स्कंध के वर्तमान निर्माण कार्यों को पूरा करना (1.18 करोड़ रुपये) और मशीनरी और उपकरणों की खरीद (₹ 0.20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

The supplementary grants are required for:

- (a) Purchase of medicines, oxygen cylinder and other consumables to run the hospital and to make the payments to the outsourced staff (₹ 12.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Purchase of medicines, oxygen cylinder and other consumables to run the hospital and to make the payments to the outsourced staff (₹ 2.69 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Making payments of State Share under Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 5.25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Making payments of arrears of salary to the staff of Govt. Aided Schools and Colleges under Object Head Grant-in-Aid (Salaries) and payment of wages on enhanced rates (₹ 5.50 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Making payment of Wages to Daily Wage Workers at enhanced rates (₹ 2.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Making payment of Wages to Daily Wage Workers at enhanced rates (₹ 2.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Making payment of Wages to Daily Wage Workers at enhanced rates (₹ 1.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (h) Enhancement in the rates of beneficiaries under the scheme "Opening of Creches for children of working Mothers" (₹ 1.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Completing the ongoing works of Engineering Degree Wing (₹ 1.18 crore) and purchase of machinery and equipment (₹ 0.20 crore)
Taking into account the savings available in the same section of

अनुदान की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.	
(ज)	पर्यावरण के जारी निर्माण कार्यों को पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(j)	Completing the ongoing works of Environment (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	पुलिस चौकियों के जारी निर्माण कार्यों को पूरा करना (₹ 1.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(k)	Completing the ongoing works of Police Houses (₹ 1.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	जलापूर्ति के चालू निर्माण कार्य को पूरा करना। (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(l)	Completing the ongoing works of Water Supply (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	बकाया लंबित देनदारियों को चुकाना (₹ 0.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(m)	Clearing the outstanding pending liabilities (₹ 0.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	लिंक सड़कों के जारी निर्माण कार्यों को पूरा करना (₹ 0.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(n)	Completing the ongoing works of construction of link roads (₹ 0.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	परिवहन विभाग की कार्यशाला तैयार करने और इसके विस्तार के जारी निर्माण कार्यों को पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(o)	Completing the ongoing works of development and expansion of workshop of Transport Department (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)
(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	598.47	308.96	907.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	29.50	...	29.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	60.12	80.53	140.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		688.12	389.49	1077.61
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	688.09	389.49	1077.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	8.00 (का)	...	8.00
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted:	5.00 (खb)	...	5.00
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	21.14 (गc)	...	21.14
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	1.90 (घd)	...	1.90
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
2041 - वाहनों पर कर	स्वीकृत: 2041 -Taxes on Vehicles	Voted:	1.50 (ङe)	...	1.50
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	11.40 (चf)	...	11.40
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted:	4.50 (छg)	...	4.50
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	5.68 (जh)	...	5.68
2702 - लघु सिंचाई	स्वीकृत: 2702 -Minor Irrigation	Voted:	1.00 (झi)	...	1.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	60.12	...	60.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	1.60 (ञj)	...	1.60

गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs					
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.53	(₹k)	0.53
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	4.00	(₹l)	4.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	15.00	(₹m)	15.00
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	50.00	(₹n)	50.00
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted:	1.40	(₹o)	1.40
युवा मामले और खेल मंत्रालय		Ministry of Youth Affairs and Sports				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	8.00	(₹p)	8.00
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	80.53	...	80.53
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	140.65	...	140.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) संघ राज्य के हिस्से/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के सहायता के लिए अनुदान सहायता जारी करना (₹ 8.00 करोड़)
उपर्युक्त व्यय में (₹ 8.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।</p> | <p>(a) Releasing Grant-in-Aid General towards UT share/support to National Health Mission, National Ayush Mission and State Health Society (₹ 8.00 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 8.00 crore.</p> |
| <p>(ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित राज्य आपदा अनुक्रिया निधि का सृजन (₹ 5.00 करोड़)
उपर्युक्त व्यय में (₹ 5.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।</p> | <p>(b) Creation of State Disaster Response Fund as earmarked by Government of India, Ministry of Finance (₹ 5.00 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 5.00 crore).</p> |
| <p>(ग) संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, खेल उपकरण, शिक्षण और सीखने की सामग्री, अग्नि सुरक्षा उपकरण की खरीद, अध्ययन दौरा शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन, मध्याह्न भोजन, स्मार्ट कक्षा और प्रथम परियोजना आदि के लिए पंचायत को अनुदान सहायता जारी करना (₹ 14.14 करोड़) और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल के लिए नए स्कूल भवन के निर्माण और मौजूदा स्कूल भवनों की विशेष मरम्मत के लिए पंचायत को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 7 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में (₹ 21.14 करोड़) का निवल व्यय होगा।</p> | <p>(c) Releasing Grant-in-Aid General to Panchayat for procurement of uniforms, text books, sports equipments, teaching and learning materials, fire safety equipments, conduct of study tours and teachers training and for Mid Day Meal, Smart Class and Pratham project etc. for primary and upper primary schools in the rural areas of the U.T. (₹ 14.14 crore) and for releasing Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for construction of new school buildings and special repairs to old existing school buildings for the primary and upper primary school in rural areas (₹ 7 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 21.14 crore.</p> |
| <p>(घ) शहरी क्षेत्रों के लंबित ऊर्जा प्रभारों के भुगतान और स्ट्रीट लाइट संबंधी कार्यो के लिए सिलवासा नगर को अनुदान सहायता जारी करने के लिए (₹ 0.50 करोड़) स्ट्रीट लाइट के लंबित ऊर्जा प्रभारों के भुगतान और विभिन्न गांवों के अन्य निर्माण कार्यो के लिए पंचायत को अनुदान सहायता जारी करना (₹ 1.90 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में (₹ 1.90 करोड़) का निवल व्यय होगा।</p> | <p>(d) Releasing Grant-in-Aid General to Silvassa Municipal Council for payment of pending energy charges and street light works of urban area (₹ 0.50 crore) and for releasing Grant-in-Aid General to Panchayat for payment of pending energy charges of street light and other works of various villages (₹ 1.40 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1.90 crore.</p> |
| <p>(ङ) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सारथी बस सेवा चलाने के लिए भुगतान (₹ 1.50 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में (₹ 1.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।</p> | <p>(e) Payment towards running the Sarthi Bus Service in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (₹ 1.50 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1.50 crore.</p> |

- (च) शहरी सड़कों के रखरखाव और प्रचालन पर वचनबद्ध देनदारी के लिए सिलवासा नगर परिषद को अनुदान साहायता जारी करना (₹ 0.40 करोड़), ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और प्रचालन के लिए वचनबद्ध देनदारियों हेतु पंचायत को अनुदान साहायता जारी करना (₹ 1 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, डामर और स्लैब ड्रेन और पुलों सीडी निर्माण कार्य और रास्ता के लिए ब्लॉकों के संस्थापन के वचनबद्ध, देनदारियों को पूरा करने हेतु पंचायत को पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान जारी करना (₹ 10 करोड़)।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 11.40 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (छ) पिपारिया अम्बेडकर नगर के तहत स्लम आवास के निर्माण के लिए वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए सिलवासा नगर परिषद को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 4.50 करोड़)।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 4.50 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (ज) ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन के बिजली बिलों (₹ 1.00 करोड़), के भुगतान सहित जलापूर्ति के प्रचालन हेतु पंचायत को अनुदान साहायता जारी करना (₹ 20.00 करोड़) पंचायत को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु (i) नारोली, दादरा और समरवानी हेतु एकीकृत जल प्रबंधन (ii) नेटवर्क प्रणाली सहित दुधानी और मंडोनी के लिए जलापूर्ति स्कीम (iii) चालू लघु जलापूर्ति स्कीम कुआं और बोरवेल्स (iv) बिलधारी, गुनासा, काउंच और जमालपाड़ा के लिए एकीकृत जलापूर्ति स्कीम और स्वच्छता सामग्री खरीदने एवं स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्यों के लिए सिलवासा नगर परिषद को अनुदान साहायता जारी करना (₹ 2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 17.32 करोड़) की बचत और अनुदान के प्रभारित (राजस्व) भाग में उपलब्ध (₹ 0.03 करोड़) को देखते हुए (₹ 0.03 करोड़) की तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। शेष (₹ 5.65 करोड़) नकद पूरक मांगा जाता है। इसमें ₹ 5.65 करोड़ का नकद खर्च होगा।
- (झ) ऊर्जा बिलों के भुगतान सहित लघु सिंचाई स्कीम के प्रचालन के लिए पंचायत को अनुदान साहायता जारी करना (₹ 1 करोड़)।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 1.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (ञ) सरकारी डेयरी फार्म सिलवासा के सिविल निर्माण कार्य के लिए वचनबद्ध देनदारी पूरा करना (₹ 1.60 करोड़)।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 1.60 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (ट) आईआरबीएन की गश्त और आवा-जाही के लिए खराब वाहनों के बदले 6 वाहन खरीदने के लिए (₹ 0.53 करोड़)।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 0.53 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (ठ) औद्योगिक संपदा, दादर का सुदृष्ट और उन्नयन करना, वर्तमान औद्योगिक संपदा में नए औद्योगिक हब/पार्क का जमीन अधिग्रहण और अन्य अवसंरचना जैसे सड़क जलनिकासी आदि के द्वारा विकास और निजी औद्योगिक संपदा (₹ 4.00 करोड़) के विभिन्न अवसंरचना सुविधा प्रदान करना।
- उपर्युक्त व्यय में (₹ 4.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।
- (f) Releasing Grant-in-Aid General to Silvassa Municipal Council for committed liability on maintenance and operation of urban roads (₹ 0.40 crore), for releasing Grant-in-Aid General to Panchayat for committed liability on maintenance and operation of rural roads (₹ 1 crore) and for releasing Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for meeting the committed liability on up gradation, asphaltting of village roads and construction of slab drains and bridges, CD works & installation of paver blocks in rural areas (₹ 10 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 11.40 crore.
- (g) Releasing Grants for Creation of Capital Assets to Silvassa Municipal Council to meet the committed liability for construction of slum housing projects under (IHSDP) at Pipariya, Ambedkar Nagar (₹ 4.50 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4.50 crore.
- (h) Releasing Grant-in-Aid General to Panchayat for operation of water supply scheme including the payment of electricity bills of water supply connections in rural areas (₹ 1.00 Cr.), For releasing (₹ 20.00 Cr.) Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for (i) Integrated Water Management plan for Naroli, Dadra and Samarvani. (ii) Water Supply Scheme for Dudhani and Mandoni including net work system. (iii) on going minor water supply schemes wells and bore wells. (iv) Integrated water supply scheme for Bildhari, Gunsa, Kauncha and Jamalpada. and for releasing Grant-in-Aid General to Silvassa Municipal Council for procurement of sanitation material and for sanitation work (₹ 2.00 Cr.).
- Taking into account the savings of ₹ 17.32 crore available within the same section of the Grant and ₹ 0.03 crore available in the Charged (Revenue) Section of the Grant a Technical Supplementary of ₹ 0.03 crore is sought. For the remaining amount of ₹ 5.65 crore a cash supplementary is sought. This will entail a cash outgo of ₹ 5.65 crore.
- (i) Releasing Grant-in-Aid General to Panchayat for operation of Minor Irrigation schemes including the payment of energy bills (₹ 1 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1.00 crore.
- (j) Meeting the committed liability towards civil works for Government Dairy Farm Silvassa (₹ 1.60 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1.60 crore.
- (k) Purchase of 6 replacement vehicles against the condemned vehicles for patrolling and troops movement of IRBn (₹ 0.53 crore)
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.53 crore.
- (l) Strengthening and up gradation of industrial estate Dadra, development of new industrial hub/park by acquiring land and providing other infrastructure facility like road drainage etc. to the existing industrial estates and for providing various infrastructure facility to private industrial estate (₹ 4.00 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 4.00 crore.

(ड) पहले से प्रतिबद्ध रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण सहित मुख्य सड़कों का निर्माण और चौड़ा करना (₹ 15 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में (₹ 15.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।	(m)	Construction and widening of major roads including acquisition of land for ring road already committed (₹ 15 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 15.00 crore).
(ढ) विभिन्न सरकारी आवासीय भवनों और अन्य लोक निर्माण कार्यों की प्रतिबद्ध देयताओं की आवश्यकता पूरी करना (₹ 50.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में (₹ 50.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।	(n)	Meeting the requirement of committed liability of various non residential government buildings and other public works (₹ 50.00 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 50.00 crore).
(ण) सिलवासा में स्थानीय बैस स्टैंड के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करना (₹ 1.40 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में (₹ 1.40 करोड़) का निवल व्यय होगा।	(o)	Meeting the committed liability towards acquiring land for construction of local bus depot at Silvassa (₹ 1.40 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1.40 crore).
(त) सेली में सेली खेल परिसर का निर्माण, क्रिकेट स्टेडियम और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करना (₹ 8.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में (₹ 8.00 करोड़) का निवल व्यय होगा।	(p)	Meeting the committed liability for construction of Sayli Sports Complex, Cricket Stadium and other arrangements at Sayli (₹ 8.00 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 8.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 103

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूँजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	974.79	179.99	1154.78	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	88.94	0.04	88.98	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1063.75	180.03	1243.78	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	मिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: ...	0.92 (का)	0.92	
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत: 2405 -Fisheries	Voted: ...	0.63 (खb)	0.63	
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: ...	0.18 (गc)	0.18	
नागर विमानन मंत्रालय	Ministry of Civil Aviation				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted: ...	0.07 (घd)	0.07	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	0.46 (ङe)	0.46	
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted: ...	0.30 (चf)	0.30	
2053 - जिला प्रशासन	स्वीकृत: 2053 -District Administration	Voted: ...	0.18 (छg)	0.18	
2054 - राजकोषीय और लेखा प्रशासन	स्वीकृत: 2054 -Treasury and Accounts Administration	Voted: ...	0.22 (जh)	0.22	
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	0.70 (झi)	0.70	
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment				
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: ...	0.17 (ञj)	0.17	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: ...	0.70 (टk)	0.70	
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of New and Renewable Energy				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: ...	0.08 (ठl)	0.08	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2029 - भू-राजस्व	स्वीकृत: 2029 -Land Revenue	Voted: ...	0.14 (डm)	0.14	
नौवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping				
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses	Voted: ...	0.25 (ढn)	0.25	
3052 - नौवहन	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted: ...	83.94 (णo)	83.94	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted: ...	88.94	88.94	

पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (तप)	...	0.01
4216 - आवास पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01 (थq)	...	0.01
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (दर)	...	0.01
4401 - फसल कार्य पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted:	0.01 (धs)	...	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	88.94	88.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.92 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.92 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.63 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.63 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.18 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.18 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (घ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.07 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.07 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ङ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.46 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.46 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (च) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.30 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.30 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (छ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.18 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.18 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ज) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.22 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.22 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (झ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.70 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.70 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.92 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.92 crore.
- (b) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.63 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.63 crore.
- (c) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.18 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.18 crore.
- (d) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.07 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.07 crore.
- (e) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.46 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.46 crore.
- (f) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.30 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.30 crore.
- (g) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.18 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.18 crore.
- (h) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.22 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.22 crore.
- (i) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.70 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.70 crore.

(ज) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.17 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(j) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.17 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.17 crore.
(ट) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.70 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.70 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(k) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.70 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.70 crore.
(ठ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.08 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.08 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(l) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.08 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.08 crore.
(ड) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.14 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.14 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(m) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.14 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.14 crore.
(ढ) संघ राज्य प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए वस्तु शीर्ष वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.25 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(n) Meeting additional expenditure under object head Salaries, for payment of pay and allowances of the employees working under UT Administration (₹ 0.25 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.25 crore.
(ण) लक्षद्वीप विकास निगम लि. को जारी करने के लिए यूटीएल के जहाजों के प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों हेतु वस्तु शीर्ष अन्य संविदात्मक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 83.94 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में ₹ 39.00 करोड़ उपलब्ध करोड़ की बचतों के मद्देनजर तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। ₹ 44.94 करोड़ की शेष राशि के लिए नकद पूरक की मांग की जाती है। इसमें ₹ 44.94 करोड़ करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(o) Meeting additional expenditure under object head Other Contractual Services, for running and maintenance charges of UTL's ships, to be released to the Lakshadweep Development Corporation Ltd. (₹ 83.94 crore) Taking into account the savings of ₹ 39.00 crore available in Capital section of the Grant, a Technical Supplementary is sought. For the remaining amount of ₹ 44.94 crore, a cash Supplementary is sought. This will entail a net cash outgo of ₹ 44.94 crore.
(त) माध्यमिक विद्यालयों के चालू निर्माण कार्य के लिए वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(p) Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards the ongoing construction work of Secondary Schools (₹ 4.00 crore).. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ) सरकारी रिहायशी भवनों के चालू निर्माण कार्य की लागत के लिए वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(q) Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards the cost of ongoing construction work of Government Residential Buildings (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द) कामकाजी महिला होस्टल के चालू निर्माण कार्य की लागत के लिए वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(r) Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards the cost of ongoing construction work of Working Women Hostel (₹ 0.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध) कृषि विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(s) Meeting additional expenditure under object head Major Works, towards the construction work of Office Buildings of Agriculture Department (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 66.77	115.00	181.77
	स्वीकृत:	Voted: 7448.41	9202.06	16650.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2200.00	1000.01	3200.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 4.83	...	4.83
	स्वीकृत:	Voted: 680.77	0.03	680.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10400.78	10317.10	20717.88
	भारित:	Charged: 71.60	115.00	186.60
	स्वीकृत:	Voted: 10329.18	10202.10	20531.28
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	भारित: 2216 - Housing	Charged: ...	4.83 (का)	4.83
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 - Urban Development	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 - Grants-in-aid to State Governments	Voted: 680.76 (गं)	...	680.76
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	680.77	4.83	685.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: ...	0.01 (घद)	0.01
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 0.01 (डे)	...	0.01
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत: 6217 - Loans for Urban Development	Voted: 0.01 (चं)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted: 0.02	0.01	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	680.79	4.84	685.63
	भारित:	Charged: ...	4.83	4.83
	स्वीकृत:	Voted: 680.79	0.01	680.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रपति संपदा के अधीन अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 0.05 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 1.29 करोड़) और किराया दर और कर (₹ 4.14 करोड़) के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) providing additional funds to meet the requirement under Other Administrative Expenses (₹ 0.05 crore), Minor Works (₹ 1.29 crore) and Rent Rates and Taxes (₹ 4.14 crore) under President's Estates.

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए, और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करके, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (ख) स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) (₹ 600.00 करोड़) के तहत राज्य/यूटी सरकारों को निधि जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ कोष को स्वच्छ भारत उपकर का अन्तरण।

जैसाकि यह राशि अनुदान के लिए अनुपूरक मांग 2015-16 के दूसरे बैच के तकनीकी अनुपूरक अनुदान द्वारा पहले ही अन्तरित किया जा चुका है, लेखा शीर्ष एमएच-3601 (₹ 524.00 करोड़) और एम एच 3602 (₹ 76.00 करोड़) से एम एच 2217 में परिशोधन करने के लिए सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

- (ग) स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)(₹ 680.76 करोड़)के तहत राज्यों को अनुदान सहायता जारी करना।

अनुदान संख्या- 30- पेयजल और स्वच्छता से पहले से ही अभ्यर्पित बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (घ) (i) राज्य सभा का चालू मुख्य निर्माण कार्य (₹ 6.26 करोड़)।
(ii) लोक सभा का चालू मुख्य निर्माण कार्य (₹ 13.32 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ङ) (i) 3 अतिरिक्त गलियारों की लागत को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम में निवेश(₹ 417.01 करोड़)।
(ii) विद्यमान देयताओं से पूरा करने हेतु कोचि मेट्रो में निवेश (₹ 44.88 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (च) (i) 3 अतिरिक्त गलियारों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए सहायता के द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल निगम को पास प्रदान करना(₹ 91.97 करोड़).
(ii) संविदा और साधन जुटाने के लिए अग्रिम(₹ 65.00 करोड़) के भुगतान हेतु मुम्बई मेट्रो को सहायता के द्वारा पास प्रदान करना।
(iii) 3 अतिरिक्त गलियारों के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सब-आरडिनेट प्रदान करना(₹ 187.74 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-aid to State/UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹ 600.00 crore).

As this amount has already been transferred through a Technical Supplementary Grant in Second Batch of Supplementary Demands for Grants 2015-16, a token supplementary is sought for rectifying the head of account from MH 3601 (₹ 524.00 crore) and MH 3602 (₹ 76.00 crore) to MH 2217.

- (c) release of Grants-in-aid to States under the scheme Swachh Bharat Mission (Urban) (₹ 680.76 crore).

Taking into account the savings already surrendered from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) (i) ongoing Major Works of Rajya Sabha (₹ 6.26 crore).
(ii) ongoing Major Works of Lok Sabha (₹ 13.32 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) Investment in Delhi Metro Rail Corporation to meet the cost in respect of 3 additional corridors(₹ 417.01 crore).
(ii) Investment in Kochi Metro to meet the current liabilities (₹ 44.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (f) (i) providing Pass Through Assistance to Delhi Metro Rail Corporation to meet the committed liabilities in respect of 3 additional corridors(₹ 91.97 crore).
(ii) providing Pass Through Assistance to Mumbai Metro for payment towards tender and mobilisation advance (₹ 65.00 crore).
(iii) providing Sub-ordinate Debt to Delhi Metro Rail Corporation in respect of 3 additional corridors(₹ 187.74 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 92 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.80	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1591.28	749.76
				2341.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged:	11.04	...
	स्वीकृत:	Voted:	17.65	0.02
				17.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
				0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1620.77	750.79	2371.56
	भारित:	Charged:	11.84	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1608.93	749.79
				2358.72

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संसद भवन सौंध के विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए (₹ 16.33 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदार मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement for extension of Parliament House Annexe and other works (₹ 16.33 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 107

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 94 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	1.10	1.10
	स्वीकृत:	Voted: 6235.21	144.72	6379.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.95	...	1.95
	स्वीकृत:	Voted: 2800.04	60.25	2860.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 29.62	...	29.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9066.82	206.07	9272.89
	भारित:	Charged: 1.95	1.10	3.05
	स्वीकृत:	Voted: 9064.87	204.97	9269.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2711 - बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	स्वीकृत: 2711 -Flood Control and Drainage	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 29.61 (खब)	...	29.61
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 29.62	...	29.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य (₹ 8.00 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवंटन।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (i) नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए सहायता अनुदान सामान्य के रूप में अतिरिक्त आवंटन (₹ 131.50 करोड़)।
(ii) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवंटन (₹ 75.00 करोड़);

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों ₹ 29.61 करोड़, और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 176.89 करोड़ की बचतों का उपयोग करके, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional allocation under River Management Activities and Works related to Border Areas (₹ 8.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) additional allocation as Grant-in-Aid General for River Management Activities and Works related to Border Areas (₹ 131.50 crore)
(ii) additional allocation as Grant-in-Aid for creation of Capital assets for Flood Management Programme (FMP) (₹ 75.00 crore);
Taking into account the surrender of savings of ₹ 29.61 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 176.89 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 108

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 137 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 137 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 96 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	10382.40	...	10382.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7548.05	...	7548.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	20.00	20.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17930.46	20.00	17950.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 - Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted: 20.00 (खb)	...	20.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 20.01	...	20.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹ 26 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) फरीदाबाद, कोलकाता, नवी मुंबई और चेन्नई (₹ 20 करोड़) में प्रस्तावित खाद्य जांच प्रयोगशाला के लिए जमीन की खरीद और संबंधित निर्माण गतिविधियां।
- अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए, अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Advertisement and Publicity (₹ 26 crore) under Beti Bachao Beti Padhao.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) procurement of land and related construction activities for proposed food testing laboratories at Faridabad, Kolkata, Navi Mumbai and Chennai (₹ 20 crore)
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 109

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 138 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये और वर्ष 2015-2016 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

See page 138 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016 and page 98 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1540.23	0.90	1541.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.06	...	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1540.31	0.90	1541.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 12वें एशियाई खेलों (एसएजी) के लिए भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम ₹ 133 करोड़ और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 32 करोड़) की पूर्ति करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) निम्न के अधीन सहायता अनुदान वेतन (i) राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान (₹ 3.50 करोड़) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 5.10 करोड़) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 3.57 करोड़) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 1.95 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Recoupment of an advance of ₹ 133 crore sanctioned from Contingency Fund of India and Grants in aid General (₹ 32 crore) for 12th South Asian Games (SAG)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid Salary under (i) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 3.50 crore) (ii) Nehru Yuva Kendra Sangthan (₹ 5.10 crore) (iii) Sports Authority of India (₹ 3.57 crore) (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 1.95 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

અનુબંધ
ANNEXURE

अनुबंध

वर्ष 2015-16 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरिंग और मत्स्यपालन विभाग	एम एच 3601 पाद और मुख रोग नियंत्रण	16.55	44.34	राज्य सरकारों की अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए।
2.	उपभोक्ता मामले विभाग अनुदान सं.17	एम एच 5425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय 00.600-अन्य सेवाएं 01-राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण 01.00.52-मशीनरी और उपस्कर	4.50	0.55	एनटीएच में 1 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए।
3.	संस्कृति मंत्रालय	एम एच 2205 विश्व धरोहर निधि का अंशदान 2205.00.798.01.00.32	0.08(यो.भि.)	0.065	विश्व धरोहर निधि के लिए भारत का आकलित अंशदान।
		कला और संस्कृति और सहस्राब्दी समारोह के लिए स्कीम-अन्य (मिशन-स्कीमों और स्वायत्त संगठन) 2205.00.102.09.03.31	235.71 (यो.)	34.99	स्कीम के वेतन और उत्पादन अनुदान घटक के अंतर्गत अधिक संख्या में संगठनों/ अनुमोदित मामलों के लिए निधियां जारी करने के लिए।
		2205.00.102.09.03.34	10.85 (यो.)	4.50	अधिक आवेदन प्राप्त होने और विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार करना।
		दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 2205.00.105.02.01.31	2.80(यो.भि.)	4.00	इसके कर्मियों के पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने के लिए।
		भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-प्राचीन स्मारकों का संरक्षण			भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चालू संरक्षण/ परिक्षण आदि कार्यों को पूरा करने और चुनिन्दा केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और विकास कार्य करने के लिए।
		2205.00.106.12.01.16	13.00 (यो.)	4.00	भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों/संग्राहलयों में आम प्रवेश टिकटों के मुद्रण और आपूर्ति हेतु भारतीय प्रतिभूति प्रेस नासिक के लंबित भुगतान को निपटाना।
		2205.00.106.12.02.27	100.00 (यो.)	35.00	
		2205.00.106.12.09.27	1.00 (यो.)	1.75	राचोल सेनिनरी, रोमन आर्कडायोसिस ऑफ गोवा, कुडालमनिकम मंदिर केरल और जामा मस्जिद, दिल्ली के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2015-16.

(Rupees in Crore)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	MH 3601 Foot and Mouth Disease Control Programme	16.55	44.34	To meet the additional demand of State Govts. in the scheme.
2.	Department of Consumer Affairs Grant No.17	MH 5425 -Capital Outlay on Other Scientific Research 00.600- Other Services 01 -Construction of Laboratory Building for National Test House 01.00.52-Machinery & Equipment	4.50	0.55	For setting up of 1 Megawatt Solar Power Project in NTH.
3.	Ministry of Culture	MH 2205 Contribution of World Heritage Fund 2205.00.798.01.00.32	0.08 (NP)	0.065	India's assessed contribution to World Heritage Fund.
		Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations-Others (Missions, Schemes and Autonomous Organisations) 2205.00.102.03.05.31	235.71 (P)	34.99	For release of funds to more number of organizations/approved cases under salary & production grant component of the scheme.
		2205.00.102.09.03.34	10.85 (P)	4.50	Receipt of more applications and consideration by the expert committee.
		Delhi Public Library 2205.00.105.02.01.31	2.80 (NP)	4.00	For payment of pension and retirement benefits to its employees.
		Archaeological Survey of India-Conservation of Ancient Monuments			For completion of ongoing conservation/preservation works etc. and carrying on conservation and development works of selected centrally protected monuments of Archaeological Survey of India.
		2205.00.106.12.01.16	13.00 (P)	4.00	To clear pending payment of India Security Press Nasik towards printing and supply of Common Entry Tickets for protected monuments/museums, etc. archaeological Survey of India.
		2205.00.106.12.02.27	100.00 (P)	35.00	
		2205.00.106.12.09.27	1.00 (P)	1.75	To meet the additional expenditure for conservation/restoration works of Rachol Seminary, the Roman Archdioceses of Goa, Koodalmanickam Temple Kerala and Jama Masjid, Delhi.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय संग्रहालय 2205.00.107.02.03.06	0.15(यो.भि.)	0.15	चिकित्सा दावों के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए
		एम एच 3601 कला और संस्कृति योजना एवं सहस्रत्राब्दी समारोह (मिशन और स्कीम) 3601.03.201.12.02.35	0.02 (यो.)	36.92	राज्य सरकार को टैगोर संस्कृतिक परिसरों के निर्माण और गांधी धरोहर स्थल मिशन के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करने के लिए।
		एम एच 4202 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 4202.04.107.02.01.53	20.00 (यो.)	22.50	विभिन्न जारी मुख्य निर्माण कार्यों और भूमि अधिग्रहण के मामलों के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए।
4.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण 2406.01.003.13.01	51.46	10.90	आईएफएस के लिए सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और एसएफएस अधिकारियों एवं आरएफओ के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम चलाने के लिए।
		प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और इको-सिस्टम 3601.02.656.06.01	40.19	5.50	मैनग्राफ्स विकास के लिए प्रबंधन कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए और एक्वा इको-सिस्टम के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना।
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2071.01.118.01-केंद्र सरकार के पेंशनभोगी	965.00 (आ.भि.)	100.00	सीजीएचएस पेंशनभोगियों के अस्पताल में भर्ती होने का बढ़ा हुआ व्यय।
		2251.00.090.19-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	5.35 (यो) 71.00 (आ.भि.)	9.32 2.13	नई शुरु की गई "स्वच्छ अस्पताल अभियान योजना" का बढ़ा हुआ व्यय, सेवाओं को किराए पर लेना और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय।
		2210.01.103.24-दवाखाना/अस्पतालों की स्थापना	77.00 (यो.)	13.00	कार्यालय खर्च आपूर्ति और सामग्रियों की खरीद तथा व्यावसायिक सेवाओं को किराए पर लेने का बढ़ा हुआ व्यय।
		2210.05.105.26.16-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम		13.20	तम्बाकू विरोधी अभियान पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2210.06.001.02-वायुपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य की स्थापना	1.86 (यो.)	1.94	वेतन, मजदूरी, स्थानीय यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च, आरआरटी, आपूर्ति और सामग्री तथा छोटे निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाओं को किराए पर लेने व अन्य प्रभारों का बढ़ा हुआ व्यय।
		2210.006.113.01-केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	1.15 (यो)	0.68	छोटे निर्माण कार्यों पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.001.01-मुख्यालय में तकनीकी स्कंध	2.5 (यो)	10.00	स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		National Museum 2205.00.107.02.03.06	0.15 (NP)	0.15	For payment/reimbursement of medical claims.
		MH 3601 Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations (Missions and Schemes)- 3601.03.201.12.02.35	0.02 (P)	36.92	For release of funds to State Governments to take construction of Tagore Cultural Complexes and for implementation of project of Gandhi Heritage Site Mission.
		MH 4202 Archaeological Survey of India 4202.04.107.02.01.53	20.00 (P)	22.50	To meet expenditure on various ongoing major works and to make payments on account of land acquisition cases.
4.	Ministry of Environment Forests & Climate Change	Capacity Building in Forestry Sector 2406.01.003.13.01	51.46	10.90	For conducting Mid career training programme for IFS & Conduction of induction courses for SFS offers & RFOs.
		Conservation of Natural Resources and Ecosystems 3601.02.656.06.01	40.19	5.50	For implementation of Management Action Plan for Development of Mangroves and for National Plan for Conservation Aquatic Eco-system.
5.	Department of Health Family Welfare	2071.01.118.01-Central Government Pensioners	965.00 (Non-Plan)	100.00	Increased expenditure on hospitalization of the CGHS pensioners.
		2251.00.090.19-Secretariat-Social Services	5.35 (Plan) 71.00 (Non-Plan)	9.32 2.13	Increased expenditure on newly launched 'Clean Hospital Campaign Scheme', hiring of services and other establishment related expenditure.
		2210.01.103.24-Setting up of Dispensaries/Hosp.	77.00 (Plan)	13.00	Increased expenditure on Office Expenses, procurement of Supplies & Materials and hiring of Professional Services.
		2210.05.105.26.16-National Tobacco Control Programme		13.20	Increased expenditure on Anti-Tobacco Campaign.
		2210.06.001.02-Port Helath Establishment including Airport Organisation	1.86 (Plan)	1.94	Increased expenditure on Salaries, Wages, Domestic Travel Expenses, Office Expenses, RRT, Supplies & Materials and Minor Works, hiring of Professional Services and Other Charges.
		2210.006.113.01-Central Health Health Education Bureau, N. Delhi	1.15 (Plan)	0.68	Increased expenditure on Minor Works.
		2211.00.001.01-Technical Wing at Head Quarter	2.5 (Plan)	10.00	Increase in establishment related expenditure.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
		2211.00.106.01-मुख्यालय में क्रियाकलाप	10.00 (यो)	31.50	मीडिया अभियान पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.106.10.02-(सूचना शिक्षा और संचार-आरसीएच परियोजना)	130.00 (यो)	73.50	मीडिया अभियान पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.106.14- सूचना मंत्रालय की मीडिया इकाई के माध्यम से व्यय	5.25 (यो)	9.53	मीडिया अभियान पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.200.04-गर्भनिरोधो का सामाजिक विपणन	47.00 (यो)	30.00	परिवार नियोजन संबंधी सामग्रियों की खरीद पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.200.21-परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	47.00 (यो)	60.00	परिवार नियोजन संबंधी सामग्रियों की खरीद पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2211.00.798.01-अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान	5.00 (यो)	2.63	अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान के लिए बढ़ा हुआ व्यय।
		2552.00.285.01-दवाखाना/अस्पतालों की स्थापना	11.00 (यो)	9.00	वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त व्यय जो पीएंडटी दवाखानों का सीजीएस गुवाहाटी में विलय के कारण आवश्यक हुआ।
		3601.02.244.01-परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुसंधान	2923.89 (यो)	307.45	अवसंरचना के अनुसंधान के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
		3601.02.789.33-परिवार कल्याण-निर्देशन और प्रशासन	831.49 (यो)	150.06	अवसंरचना के अनुसंधान के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
		3601.02.796.33-परिवार कल्याण-निर्देशन और प्रशासन	356.11 (यो)	76.06	अवसंरचना के अनुसंधान के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता।
6.	भारी उद्योग विभाग	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन (कछार पेपर मील) को अनुदान	0.00	50.00	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक ईकाई, कछार पेपर मिल को परिवहन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त प्रचालन लागत पूरी करने के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु सामान्य सहायता अनुदान।
		हिंदुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) को ऋण	0.00	134.56	एचसीएल के कर्मचारियों को बकाया वेतन/ पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु ऋण और अग्रिम।
		हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) को ऋण	0.00	83.61	एचएमटी के कर्मचारियों को बकाया वेतन/ पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु ऋण और

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2211.00.106.01-Activities at Head Quarter	10.00 (Plan)	31.50	Increased expenditure on Media Campaign
		2211.00.106.10.02-GC (Information Education & Communication-RCH Project)	130.00 (Plan)	73.50	Increased expenditure on Media Campaign
		2211.00.106.14- Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting	5.25 (Plan)	9.53	Increased expenditure on Media Campaign
		2211.00.200.04-Social Marketing of Contraceptives	47.00 (Plan)	30.00	Increased expenditure on procurement of Family Planning Material.
		2211.00.200.21-Free Supply of FP Material	47.00 (Plan)	60.00	Increased expenditure on procurement of Family Planning Material.
		2211.00.798.01-Contribution to International Organization	5.00 (Plan)	2.63	Increased expenditure towards contribution to International Organization.
		2552.00.285.01-Setting up of Dispensaries and Hospitals	11.00 (Plan)	9.00	Additional expenditure on salaries and other establishment-related expenditure necessitated by merger of P&T Dispensaries with CGHS, Guwahati.
		3601.02.244.01-Family Welfare Infrastructure Maintenance	2923.89 (Plan)	307.45	Additional assistance to State Governments for maintenance of infrastructure.
		3601.02.789.33-FW-Direction & Administration	831.49 (Plan)	150.06	Additional assistance to State Governments for maintenance of infrastructure.
		3601.02.796.33-FW - Direction & Administration	356.11 (Plan)	76.06	Additional assistance to State Government for maintenance of infrastructure.
6.	Department of Heavy Industry	2852.08.215.10.00.31-Grants to Hindustan Paper Corporation Ltd. (Cachar Paper Mills)	0.00	50.00	Grants-in-Aid General to augment the expenditure for meeting additional operational cost on account of transport subsidy to Cachar Paper Mills a unit of HPC.
		6858.60.190.09.00.55-Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	134.56	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55-Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	83.61	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
					अग्रिम और 1997 के वेतन आशोधन के कार्यान्वयन का अतिरिक्त प्रभाव।
	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) को ऋण		0.00	2.84	टीएसपीएल के कर्मचारियों को बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु ऋण और अग्रिम।
	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसी) को ऋण		0.00	10.46	टीएसपीएल के कर्मचारियों को बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु ऋण और अग्रिम।
	हिंदुस्तीन फोटो फिल्म लिमिटेड (एचपीएफ) को ऋण		0.00	23.50	एनपीसीसी लिमिटेड, एचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी के कर्मचारियों को बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए खर्च में बढ़ोतरी हेतु ऋण और अग्रिम।
7. ग्रामीण विकास	मुख्य शीर्ष-2501		0.10	1.00	डीडीयू-जीकेवाई ने कुछ अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है।
	1. अन्य प्रभार 2501.06.102.01.01.50				
	2. विज्ञापन और प्रचार प्रसार 2501.06.102.01.03.26		2.90	2.00	डीडीयू-जीकेवाई ने विशेष आईईसी गतिविधियों की योजना बनाई है, जिसके लिए अतिरिक्त निधि अपेक्षित है।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	2235.02.104.19-राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्प लाइन की स्थापना करना		0.01	2.00	राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्प लाइन की स्थापना स्कीम में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
	2235.02.106.06-भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम		0.01	3.00	स्कीम में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
	2225.01.789.16-बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउंडेशन		1.00	124.55	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ समारोह पर विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए।
	2225.02.105.01.01-एल्कोहल और द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम		20.15	8.00	स्कीम में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
	2235.02.105.01.03-एल्कोहल और द्रव्य दुरुपयोग का विस्तार, पैटर्न और प्रवृत्ति के आकलन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण		0.01	2.00	स्कीम में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
	2235.02.106.04-राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान		4.73	5.00	संस्थान भवन के निर्माण के लिए।
	3601.02.789.07.01-अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		1599.00	6.2129	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निधियां जारी करने के लिए।
	4225.80.190.16-कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम		112.00	12.24	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निधियां जारी करने के लिए।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					statutory dues and additional impact of implementation of 1997 pay revision to the employees of HMT.
		6858.60.190.25.00.55-Loans to Tungabhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	2.84	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of TSPL.
		6860.05.190.02.00.55-Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPPC)	0.00	10.46	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NPPC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
		6860.60.216.01.00.55-Loans to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited (HPF).	0.00	23.50	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues/implementation of court order to the employees of HPF Ltd.
7. Rural Development		Major Head-2501			DDU-GKY propose to undertake some research and evaluation studies
		1. Other Charges			
		2501.06.102.01.01.50	0.10	1.00	
		2. Advertising and Publicity	2.90	2.00	The DDU-GKY has planned certain IEC activities for which additional funds would be required.
		2501.06.102.01.03.26			
8. Department of Social Justice & Empowerment		2235.02.104.19- Setting up of Helpline for Senior Citizens at National Level	0.01	2.00	For providing additional funds in the Scheme of Setting up of Helpline for Senior Citizens at National Level.
		2235.02.106.06-Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars	0.01	3.00	For providing additional funds in the Scheme.
		2225.01.789.16-Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar Foundation	1.00	124.55	To take up various activities on 125th Birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar.
		2235.02.105.01.01-Prevention of Alcoholism and Substance Abuse	20.15	8.00	For providing additional funds in the Scheme.
		2235.02.105.01.03-National Survey to Assess the Extent, Pattern and Trends on Drugs Abuse and Substance Abuse	0.01	2.00	For providing additional funds in the Scheme.
		2235.02.106.04-National Institute of Social Defence	4.73	5.00	For construction of Institute Building.
		3601.02.789.07.01-Post Matric Scholarship for SCs	1599.00	6.2129	For releasing funds for NE Region
		4255.80.190.16-National Finance Development corporation for Weaker Sections	112.00	12.24	For releasing funds for NE Region

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
9.	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग	2235.02.101.10.02-विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपस्कर	125.50	6.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में (क) शिविर/ विशेष गतिविधियों (ख) मुख्यालय गतिविधियों के लिए।
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
	क-गृह मंत्रालय	एमएच-2055 पुलिस 00.109.13 जिला पुलिस स्थापना	103.64	5.55	वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।
	क-गृह मंत्रालय	एमएच-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00.107.03 होम गार्ड-स्थापना	14.48	13.12	वेतन बढ़ने के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।
	क-गृह मंत्रालय	एमएच-2245 प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात, आदि का कारण राहत 80.102.01-आपदा प्रबंधन में तैयारी बढ़ाना	2.61	11.39	राहत पर व्यय पूरा करना और राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए प्रावधान रखना।
	डी-विद्युत मंत्रालय	एमएच-2801 विद्युत 04.103.01 विद्युत संयंत्र और आनुषंगी निर्माण कार्य	284.15	62.02	एचएसडी की खरीद पर व्यय पूरा करना।
	एफ-पर्यावरण और वन मंत्रालय	एमएच-6406 वानिकी और वन्य प्राणी के लिए 00.101.01- एएनआईएफपीडीसीएल को ऋण	17.00	9.00	एएनआईएफपीडीसीएल के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी पर व्यय पूरा करना।
	जी-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	एमएच-2408 खाद्य, भंडारण और भंडागारण 01.101.02 चावल की खरीद	10.53	9.43	चावल की खरीद पर व्यय पूरा करना।
	आई-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	एमएच-2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 05.105.52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी	31.64	29.00	एएनआईएमआईआरएस को जीआईए हेतु व्यय पूरा करना।
	आर-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	एमएच-3054 सड़क और सेतु 04.192.01 पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद	4.19	6.00	पीबीएमसी द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण पर व्यय पूरा करना।
	एस-पोत परिवहन मंत्रालय	एमएच-3052 पोत परिवहन 02.103.02 मुख्य भूमि-द्वीप समूह पोतों के प्रचालनात्मक प्रभार	60.00	10.00	मरम्मत और कुव भुगतान पर व्यय पूरा करना।
	एस-पोत परिवहन मंत्रालय	एमएच-5052 पोत परिवहन पर पूंजी परिव्यय 80.201.01 जहाजों की खरीद	20.00	160.52	पोतों के निर्माण पर व्यय पूरा करना।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
9.	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	2235.02.101.10.02-Aids and Appliances for Handicapped	125.50	6.00	For activities in NE Region and Sikkim (a) Camp/Special (b) HQ activities.
10.	Andaman and Nicobar Islands	MH-2055 Police			
	A-Ministry of Home Affairs	00.109.13 District Police Establishment	103.64	5.55	To meet the expenditure for salaries.
	A-Ministry of Home Affairs	MH-2070 Other Administrative Services			
		00.107.03 Home Guards-Establishment	14.48	13.12	To meet the expenditure for salaries due to upgradation of pay.
	A-Ministry of Home Affairs	MH-2245 Relief on Account of Natural Calamities, Flood, Cyclones etc.			
		80.102.01 Enhancing Preparedness in managing Disasters	2.61	11.39	To meet expenditure on relief and to keep provision for State Disaste Response Fund.
	D-Ministry of Power	MH-2801 Power			
		04.103.01 Power Plant and Anciliary Works	284.15	62.02	To meet the expenditure on purchase of HSD.
	F-Ministry of Environment and Forests	MH-6406 Loan for Forestry and Wild Life			
		00.101.01 Loan to ANIFPDCL	17.00	9.00	To meet the expenditure on salaries and wages of the employees of ANIFPDCL.
	G-Ministry of Food Processing Industries	MH-2408-Food, Storage and Warehousing			
		01.101.02 Purchase of Rice	10.53	9.43	To meet the expenditure on purchase of rice.
	I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health			
		05.105.52 Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society	31.64	29.00	To meet the expenditure for GIA to ANIMERS.
	R-Ministry of Road Transport and Highways	MH 3054 Roads and Bridges			
		04.192.01 Port Blair Municipal Council	4.19	6.00	To meet the expenditure on construction of roads being executed through PBMC.
	S-Ministry of Shipping	MH 3052 Shipping			
		02.103.02 Operational Charges of Mainland-Islands Vessels	60.00	10.00	To meet the expenditure on repair and crew payment.
	S-Ministry of Shipping	MH 5052 Capital Outlay on Shipping			
		80.201.01 Purchase of Ships	20.00	160.52	To meet the expenditure on construction of vessels.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
एस-पोत परिवहन मंत्रालय	एमएच-5052 पोत परिवहन पर पूंजी परिव्यय 80.796.01 जहाजों की खरीद		75.35	25.15	पोतों के निर्माण पर व्यय पूरा करना।
11. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
1 आईएसटीएम	2070.00.003.04.04.16(प्रकाशन)	.01	.0140 (1.40लाख)		संस्थान की प्रकाशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
	2070.00.003.04.03.01 (अनिवार्य प्रशिक्षण-वेतन)	3.00	12.19		यह सीधी भर्ती से आने वाले सहायकों और आशुलिपिकों के सीधे आईएसटीएम में कार्यभार ग्रहण करने और उनका वेतन आईएसटीएम द्वारा अदा किये जाने के कारण है।
	2070.00.003.04.03.20(अनिवार्य प्रशिक्षण-आईआई)	7.00	10.526		सीधी भर्ती से आने वाले 'सहायकों' और आशुलिपिकों के प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के व्यय की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय प्रभाग द्वारा आबंटित सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए निधि की आवश्यकता है।
2 सीआईसी	2070.00.800.32.01.14(रेंट दरें और कर)	4.00	2.55		सीआईसी के लिए 1708 वर्ग फुट के अतिरिक्तस्थान जिसे सीआईसी में कार्यालय स्थान की कमी की पूर्ति करने के लिए किराए पर लिया गया है, के किराये के लिए 'किराया दर और कर' शीर्ष के लिए सीआईसी की मांग को पूरा करने के लिए।
3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	2052.00.090.05.01.20 (ओआई)	0.65	0.75		विभाग को 2013 बैच के 149 आईएसएस अधिकारियों के दिल्ली में तीन माह के लिए छात्रावास में निवास करने और साथ ही नए भर्ती आईएसएस अधिकारियों के अन्य व्यय की पूर्ति करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को 47.84 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा। वित्त वर्ष में आईएसटीएम के बी/डी स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण व्यय के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस विभाग में मेजबानी, टी/कॉपी के लिए कैंटीन, टीबोर्ड और कॉफी बोर्ड के लिए इस प्रकार के भुगतान की आवश्यकता है।
4 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	2055.00.101.01.02.02 (पारिश्रमिक)	0.07	0.042 (4.20लाख)		केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बढ़ी हुई पारिश्रमिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
	2055.00.101.01.02.26 (विज्ञापन एवं प्रचार)	0.15	0.079 (7.90लाख)		इस संगठन के विज्ञापन और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	S-Ministry of Shipping	MH 5052 Capital Outlay on Shipping			
		80.796.01 Purchase of Ships	75.35	25.15	To meet the expenditure on construction of vessels.
11.	Ministry of Personnel Public, Grievances and Pensions (PPG&P)				
1	ISTM	2070.00.003.04.04.16 (Publication)	.01 (1.40 Lakh)	.0140 (1.40 Lakh)	To meet the publication requirements of the institute.
		2070.00.003.04.03.01 (Mandatory Training- Salary)	3.00	12.19	It is due to the joining of Direct recruits Assistants & Stenographers directly at ISTM and their Salaries are being paid by ISTM.
		2070.00.003.04.03.20 (Mandatory Training-OAE)	7.00	10.526	To meet expenditure on account of training related activities of Direct Recruit "Assistants" & "Stenographers". Requirement of funds is needed to conduct all the training courses allotted by Central Secretariat Division.
2	CIC	2070.00.800.32.01.14(Rent Rates & Taxes)	4.00	2.55	To meet the demand of CIC on "Rent Rates & Taxes" head on account of payment of rent for additional space of 1708 sq. ft. for CIC which has been taken on rent to meet the shortage of office space for CIC.
3	DOPT	2052.00.090.05.01.20 (OAE)	0.65	0.75	Department had to make payment of Rs.47.84 Lakh to Ministry of Urban Development towards expenditure to be incurred for the hostel accommodation in Delhi for three months in respect of 149 IAS Officers of 2013 batch along with other expenditure for the newly recruited IAS officers. It is also to be used for the payment of Expenditure Training of officers for B/D level Training at ISTM in the financial year. In addition payment is required for the payment of Canteen, Tea Board and Coffee Board towards Hospitality, TEA/ Coffee in this Department.
4	CBI	2055.00.101.01.02.02 (Wages)	0.07 (4.20 Lakh)	0.042 (4.20 Lakh)	To meet the increased wages requirement of CBI.
		2055.00.101.01.02.26 (Advertising & Publicity)	0.15 (7.90 Lakh)	0.079 (7.90 Lakh)	For meeting the requirements of advertisement & publicity needs of the organization.